लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र
Eleventh Session]

[खंड 39 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. ~~XXXIX~~ contains Nos. 21—30]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

658(Ai) LS—1.

विषय-सूची

अंक 29—बुधवार 31 मार्च, 1965 / 10 चैत्र, 1887 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
659	नेहरू उच्च शिक्षा अकादमी	2691–94
660	मुस्लिम कल्याण समिति	2694
661	मंत्रियों द्वारा अपनी आस्तियां तथा दायित्व घोषित किया जाना	2695––99
663	पुनर्वास कृष्यकरण संस्था	2699––03
664	पोर्ट केनिंग के पास खुदाई कार्य	2703–04
666	नागरिकों की शिकायतों सम्बन्धी आयोग	2704––07
667	हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था	2707–08
668	दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका की वित्तीय स्थिति	2708–09
669	अंग्रेजी को जारी रखने सम्बन्धी विधान	2709––12

प्रश्नों के लिखित उत्तर

प्रश्न संख्या		
662	पैट्रो-रसायन उर्वरक	2712
665	कैनिंग पत्तन के पास खुदाई का कार्य	2713
670	प्राकृतिक तेल के नये संसाधन	2713
671	अरविन्द आश्रम, पांडिचेरी	2713–14
672	उर्वरक निगम द्वारा अर्जित लाभ	2714–15
673	मथुरा संग्रहालय की बुद्ध मूर्त्ति का सिर	2715
674	विद्यार्थियों की हड़ताल	2716
675	अंक्लेश्वर में तेल	2716
676	औषधियों के मूल्य	2716–17
677	स्त्री शिक्षा	2717
678	माडल स्कूल	2717–18
679	आसाम में तेल	2718
680	पाश्चात्य तेल कम्पनियां	2718

अतारांकित

प्रश्न संख्या		
1744	ग्रामीण उच्च शिक्षा संस्था, श्रीनिकेतन	2719
1745	सांस्कृतिक अनुदान	2719

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 29—Wednesday, March 31, 1965/ Chaitra 10, 1887 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
659	Nehru Academy of Higher Learning	2691—94
660	Muslim Kalyan Samiti	2694
661	Declaration of Assets and Liabilities by Ministers	2695—99
663	Rehabilitation Reclamation Organisation	2699—03
664	Drilling near Port Canning . .	2703—04
666	Commission for Citizens' Grievances	2704—07
667	Security arrangements at Airports .	2707-08
668	Finances of D. M. C. . . .	2708-09
669	Legislation re : Continuance of English	2709—12

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos.		
662	Petro-Chemical Fertilizers	2712
665	Drilling near Port Canning	2713
670	New Source of Natural Oil .	2713
671	Aurobindo Ashram, Pondicherry .	2713-14
672	Profit earned by Fertilizer Corporation	2714-15
673	Head of a Buddha Statue of Mathura Museum	2715
674	Students' Strike	2716
675	Oil in Ankleshwar	2716
676	Prices of Medicines	2716-17
677	Women's Education	2717
678	Model Schools	2717-18
679	Oil in Assam .	2718
680	Western Oil Companies	2718

Unstarred Question Nos.		
1744	Institute of Rural Higher Education, Sriniketan	2719
1745	Cultural Grants	2719

अतारांकित
प्रश्न संख्या

	विषय	पृष्ठ
1746	अखिल भारतीय ललित कला एवं शिल्प समिति	2720
1747	नागपुर के पास गन्दे पानी को साफ़ करने का संयंत्र	27 20–21
1748	राजस्थान में बहुप्रयोजनीय स्कूल	2721
1749	विदेश जाने वाले उड़ीसा के छात्र	27 21
1750	उड़ीसा में विज्ञान मन्दिर	2721–22
1751	स्पेशल सब-जेल, विय्यूर, केरल	27 22
1752	स्पेशल सब-जेल, विय्यूर, केरल	97 23
1753	शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी	27 23
1754	लड़कियों की शिक्षा	27 23–24
1755	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पद सुरक्षित करना	2724
1756	दिल्ली में स्कूल फीस	27 24–25
1757	लॉटरियां	2725
1758	बरौनी-हल्दिया तेल पाइप लाइन	27 25
1759	कालिजों में प्रवेश	27 26
1760	म्यूनिसिपल बोर्ड का लड़कों का हायर सैकेण्ड्री स्कूल, रीडिंग रोड, नई दिल्ली	27 26
1761	केरल में वेतनभोगी वर्ग का आन्दोलन	2727
1763	भारत-संयुक्त अरब गणराज्य के सांस्कृतिक कार्यक्रम	27 27
1764	बेनज़ीन संयंत्र का लगाया जाना	27 28
1765	इण्डियन कौंसिल फार कल्चरल रिलेशन्स	27 28
1766	शिक्षा सम्बन्धी समितियां अथवा आयोग	2729
1767	शिक्षा के प्रसार के लिए सहायक-यंत्र	2729
1768	"अच्छे" स्कूलों को सहायता	27 29
1769	आसाम में नये विश्वविद्यालय	2730
1770	विशेष पुलिस विभाग की पुरी शाखा	27 30
1771	उड़ीसा को प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के लिये अनुदान	27 30–31
1772	त्रिपुरा में अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा	27 31
1773	उड़ीसा में हिन्दी का विकास	27 31
1774	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थान सुरक्षित करना	27 32
1775	नगर हवेली	2733
1776	नज़रबन्द संसद् सदस्यों द्वारा भेजे गये अभ्यावेदन	2733
1777	पाठ्यपुस्तकों में श्री नेहरू के भाषण	2733–34
1778	महामहोपाध्याय की उपाधि	27 34

Unstarred Question Nos.	Subject	PAGES
1746	All India Fine Arts and Crafts Society	2720
1747	Sewage Purification Plant near Nagpur	2720- 1
1748	Multipurpose Schools in Rajasthan	2721
1749	Orissa students going abroad	2721
1750	Vijnan Mandirs in Orissa .	2721-22
1751	Special Sub-Jail Viyyoor, Kerala	2722
1752	Special Sub-Jail Viyyoor, Kerala .	2723
1753	Hindi as Medium of Instruction	2723
1754	Girls Education . . .	2723-24
1755	Reservation of Posts for S. Cs. and S. Ts.	2724
1756	School Fees in Delhi	2724-25
1757	Lotteries . . .	2725
1758	Barauni-Haldia Oil Pipe Line	2725
1759	Admission in Colleges . . .	2726
1760	M. B. Boys Higher Secondary School, Reading Road, New Delhi	2726
1761	Agitation by Salaried Class in Kerala .	2727
1762	Drainage Pipes in Curzon Road, New Delhi	2727
1763	Indo-U.A.R. Cultural Programmes	2727-28
1764	Setting up of a Plant for Benzene	2728
1765	Indian Council for Cultural Relation	27.8
1766	Committees or Commissions on Education	2729
1767	Mechanical aids for Promoting Education	2729
1768	Aid to "Excellent" Schools	2729
1769	New Universities in Assam . .	2730
1770	Special Police Establishment, Puri Branch .	1730
1771	Grants to Orissa for Primary and Secondary Education	2730-31
1772	Declaration of Scheduled areas, Tripura .	2731
1773	Development of Hindi in Orissa . .	2731
1774	Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	2732
1775	Nagar Haveli	2733
1776	Representations of Members under Detention	2733
1777	Nehru Speeches in Text Books	2733-34
1778	Title of Mahamahopadhyaya	2734

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1779	त्रिभुवन विश्वविद्यालय की उपाधियों को मान्यता देना	2734
1780	मोतिया खां, दिल्ली के इस्पात के व्यापारी	2734
1781	गोविन्द वल्लभ पन्त पॉलिटैक्निक, नई दिल्ली	2735
1782	आल इंडिया रेडियो प्रोग्राम स्कूल	2735
1783	इंजीनियरों की संस्था (भारत)	2735
1784	मध्य अन्दमान में बस सेवा	2735
1785	अन्दमान में रंगत पर पुल	2736
1786	मध्य अन्दमान में रंगत अस्पताल	2736
1787	गृह कल्याण केन्द्र .	2736
1788	मलकगंज, दिल्ली में भूमि का पट्टा	2737
1789	केन्द्रीय सचिवालय सेवा	2738
1790	रासायनिक उर्वरक .	2738
1791	काश्मीर में गिरफ्तारियां .	2739
1792	पुलिस कर्मचारियों के लिए मकान . .	2739–40
1794	इंजीनियरों तथा भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों के वेतन-क्रम	2740
1796	कागज तकनीकी शिक्षा स्कूल, सहारनपुर	2740·41
1797	शिक्षा मंत्रालय में विदेशी . .	2741
1798	स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरों में समान श्रेणियां	2741
1799	राष्ट्रीय जीव-विज्ञान प्रयोगशाला . .	2742
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		2742
शेख अब्दुला को चीन की यात्रा के लिये निमंत्रण दिये जाने के समाचार		2742
	श्री कपूर सिंह	2742
	श्री स्वर्ण सिंह	2742–47
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	. . .	2747–48
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन		
	इकसठवां प्रतिवेदन	2748
याचिकाओं का उपस्थापन	. .	2748
संघ राज्य-क्षेत्र (लोक-सभा के लिये प्रत्यक्ष निर्वाचन) विधेयक, 1965--पुरःस्थापित	. . .	2748
अनुदानों की मांगें		2749
संचार विभाग		2749
	श्री दाजी .	2749–52
	श्री सोलंकी	2752–54

Unstarred Q. Nos.	*Subject*	PAGES
1779	Recognition of Degrees of Tribhuvan University	2734
1780	Steel Dealers of Motia Khan, Delhi	2734
1781	G. B. Pant Polytechnic, New Delhi	2735
1782	A. I. R. Programmes for Schools	2735
1783	Institution of Engineers (India)	2735
1784	Bus Service in Middle Andamans .	2735
1785	Bridge over Rangat in Andamans .	2736
1786	Rangai Hospital in Middle Adamans	2736
1787	Grih Kalyan Kendra . .	2736
1788	Lease of Land in Malkagan j.	2737
1789	Central Secretariat Service .	2738
1790	Chemical Fertilizers	2738
1791	Arrests in Kashmir	2739
1792	Houses for Police Officers .	2739-40
1794	Scales of Pay of Engineers and I. A. S. Officers	2740
1796	School of Paper Technology, Saharanpur	2740-41
1797	Foreigners in Ministry of Education .	2741
1798	Uniform Divisions in Graduate, Post-Graduate Levels	2741
1799	National Biological Laboratory	2742
	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance .	2742
	Reported invitation to Sheikh Abdullah to visit China	2742
	Shri Kapur Singh .	2742
	Shri Swaran Singh .	2742—47
	Papers laid on the Table	2747-48
	Committee on Private Members' Bills and Resolutions .	2748
	Sixty-first Report	2748
	Presentation of Petitions	2748
	Union Territories (Direct Election to the House of the People) Bill, 1965—introduced	2748
	Demands for Grants .	2749
	Department of Communications	2749
	Shri Daji	2749—52
	Shri Solanki .	2752—54

विषय	पृष्ठ
श्री राम सहाय पाण्डेय . . .	2764–58
श्री विश्वनाथ राय . . .	2758–59
श्री बासप्पा	2759–61
श्री ओंकार लाल बेरवा . . .	2761–62
श्री रामचन्द्र मलिक . . .	2762–64
श्री बागड़ी . . .	2764–65
श्री धुलेश्वर मीना . . .	2765–66
डा० मा० श्री० अणे . . .	2766–67
श्री बसुमतारी	2767–68
श्री ह० च० सोय	2768–69
श्री स० मो० बनर्जी	2769–70
श्री महेश दत्त मिश्र	2770–71
श्री सुब्बरामन	2771
श्रीमती सुभद्रा जोशी	2772
श्री शिव नारायण	2772
श्री सत्य नारायण सिंह	2773–79
वैदेशिक कार्य मंत्रालय	
श्री मी० रु० मसानी	2780–82
श्री उ० मु० त्रिवेदी	2782–87
श्री हरिश्चन्द्र माथुर	2787–90
डा० राम मनोहर लोहिया	2790
सदस्य की गिरफ्तारी (श्री दशरथ देव) . . .	2791

Subject	PAGES
Shri R. S. Pandey .	2754—58
Shri Bishwanath Roy	2758–59
Shri Basappa . .	2759—61
Shri Onkar Lal Berwa .	2761–62
Shri Rama Chandra Mallick	2762—64
Shri Bagri . . .	2764–65
Shri Dhuleshwar Meena .	2765–66
Dr. M. S. Aney	2766–67
Shri Basumatari	2767–68
Shri H. C. Soy .	2768–69
Shri S. M. Banerjee .	2769–70
Shri Mahesh Dutta Misra	2770–71
Shri Subbaraman . .	2771
Shrimati Subhadra Joshi . .	2772
Shri Sheo Narain . . .	2772
Shri Satya Narayan Sinha .	2773—79
Ministry of External Affairs	
Shri M. R. Masani . .	2780—82
Shri U.M. Trivedi	2782—87
Shri Harish Chandra Mathur . .	2787—90
Dr. Ram Manohar Lohia . .	2790
Arrest of Member (Shri Dasaratha Deb) . . .	2791

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 31 मार्च, 1965/10 चैत्र 1887 (शक)

Wednersday, March 31, 1965/Chaitra 10, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

नेहरू उच्च शिक्षा, अकादमी

+

*659. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्व नाथ पाण्डेय :
श्री रा० गि० दुबे :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नेहरू उच्च शिक्षा अकादमी स्थापित करने का प्रस्ताव है और नोबेल शांति पुरस्कार के नमूने पर एक नेहरू शांति पुरस्कार की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मोटी-मोटी बातें क्या हैं; और

(ग) इन पर कब तक अन्तिम निर्णय हो जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ग) प्रायोजनाओं पर अभी विचार किया जा रहा है और आशा है कि उन्हें शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जाएगा ।

विवरण

नेहरू उच्च शिक्षा अकादमी :

जवाहर लाल नेहरू मैमोरियल फंड का प्रस्ताव है कि नेहरू अकादमी के नाम से उच्च अध्ययन की एक रिहायशी सम्पूर्ण अकादमी स्थापित की जाए । योजना अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सकी है किन्तु ऐसा विचार है कि अकादमी दिल्ली के निकट एक शांत स्थान में स्थापित की जाए। अकादमी के क्षत्र उसके प्रारूप तथा अन्य विभिन्न ब्योरों पर, उपराष्ट्रपति डा. जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में, शिक्षाविदों की एक समिति विचार कर रही है। ऐसा विचार है कि अकादमी का स्वरूप और स्तर अनूठे हों तथा वह संकाय और विद्यार्थी दोनों समुदायों के सर्वोत्तम प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित कर सके। ऐसे स्तर निर्धारित किये जाएंगे कि योग्यतम विद्यार्थी आकर्षित हो सकें। अकादमी, वर्तमान भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या में केवल बढ़ोतरी मात्र नहीं होगी। यह उच्च शिक्षा की एक ऐसी अकादमी होगी जहां जीवन के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित नेतृत्व और उत्कृष्ट विद्यार्थी तैयार हो सकें। अकादमी में विज्ञान और मानवविद्याओं के शिक्षण की व्यवस्था होगी, किन्तु मानवविद्याओं, सामाजिक विज्ञानों तथा प्राकृतिक विज्ञानों को अधिक महत्व दिया जाएगा। आशा है कि अकादमी में विकास की आयोजना से सम्बन्धित समस्याओं, राष्ट्रीय एकता और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा समझ के अध्ययन से सम्बन्धित पाठ्यक्रम भी होंगे।

नेहरू शान्ति पुरस्कार :

अन्तर्राष्ट्रीय समझ के लिए नेहरू पुरस्कार नामक एक अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ करने का निश्चय किया गया है। पुरस्कार के नियम और शर्तें विचाराधीन हैं। पुरस्कार के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष पुरस्कार के रूप में एक लाख रुपये का पुरस्कार उस व्यक्ति या संस्था को दिया जाएगा जिन्होंने अथवा जिसने उससे पिछले वर्ष में विश्व शान्ति तथा अन्तर्राष्ट्रीय समझ के आदर्शों के लिए अधिकतम योगदान दिया हो। प्रख्यात व्यक्तियों की एक स्वतन्त्र निर्णायक समिति (जूरी) पुरस्कार के लिए नाम का चयन करेगी और इसमें सभी देशों के नागरिक और संस्थाएं भाग ले सकेंगी। पुरस्कार से सम्बन्धित प्रशासनिक कार्य भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् को सौंपने का प्रस्ताव है। 1965 कैलेण्डर वर्ष का पुरस्कार 1966 वर्ष में देने का सुझाव है।

Shri Yashpal Singh : May I know whether any technical aid mill be taken for this Academy?

श्री मु० क० चागला : अभी हमने विदेशी सहायता लेने के बारे में विचार नहीं किया है परन्तु हमें आशा है कि हम किसी विदेशी सहायता के बिना ही इस परियोजना को पूरा कर लेंगे ;

Shri Yashpal Singh : What subjects will be taught in this Academy.

Shri M. C. Chagla : We have not decided the subjects to be taught but the subjects which were liked by Panditji will be taught.

Shri Vishwa Nath Pandey : May I know the difference in the system of education of this institution and existing Indian Universities?

श्री मु० क० चागला : जी हां : विचार यह है कि यह संस्था हमारे वर्तमान विश्व-विद्यालयों से भिन्न प्रकार की होगी। हम ऐसे पाठ्यक्रम इसमें रखेंगे जो सामान्यतः विश्व-विद्यालयों में नहीं पढ़ाये जाते हैं। अन्यथा इस विश्वविद्यालय की स्थापना का क्या लाभ।

श्री रा० गि० दुबे : क्या इस अकादमी में सभी चौदह भारतीय भाषायें पढ़ाई जायेंगी ?

श्री मु० क० चागला : हमने अभी पाठ्यक्रम नहीं बनाये हैं। अभी यह निर्णय नहीं लिया गया है कि इसमें भाषायें पढ़ाई जायेंगी या नहीं।

Shri Siddheshwar Prasad: In the Statement it has been given that the standard of Education in this institution will be very high. May I know, whether Government propose to take any action to keep the standard high ?

श्री मु० क० चागला : हमने उप-राष्ट्रपति, इस समय राष्ट्रपति, के सभापतित्व में एक समिति बनाई है। इसमें विद्वान शिक्षा शास्त्रियों को सदस्य बनाया गया है। यह इस परि-योजना को चलायेंगे। विचार ऐसा है कि परीक्षा के द्वारा समस्त भारत से योग्य विद्यार्थी इसमें आयें।

श्री हरि विष्णु कामत : विवरण में यह दिया गया है कि "पुरस्कार के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष पुरस्कार के रूप में एक लाख रुपये का पुरस्कार उस व्यक्ति अथवा संस्था को दिया जायेगा जिन्होंने अथवा जिसने उससे पिछले वर्ष में विश्व शांति तथा अन्तर्राष्ट्रीय समझ के प्रादर्शों के लिए अधिकतम योगदान दिया हो।"

क्या यह सच नहीं है कि श्री जवाहरलाल नेहरू सरकार के प्रधान के रूप में भारत सीमाओं में बंधे हुए थे तथा इसलिये गांधीवाद के समान उन्हें भी सफलतायें तथा असफलतायें मिलीं तथा यदि हां, तो क्या सरकार यह ठीक समझती है कि पहले पहल एक गांधी शांति पुरस्कार आरंभ करें ?

श्री मु० क० चागला : सदस्यों को दोनों महापुरुषों की तुलना नहीं करनी चाहिये। गांधी जी राष्ट्रपिता थे।

श्री हरि विष्णु कामत : इन्होंने गांधी जी के सिद्धान्तों का भली प्रकार प्रचार किया।

श्री मु० क० चागला : इस समय हम नेहरू का स्मारक बना रहे हैं इसलिये इस पर विचार करना है।

श्री कपूर सिंह : नोबल शांति पुरस्कार तथा लेनिन शांति पुरस्कार दो महापुरुषों की यादगार के रूप में नहीं हैं। क्या हमारा विचार भी इसी प्रकार नेहरू की यादगार को रूप देना है ?

श्री मु० क० चागला : मैं समझता हूं कि नेहरू जी को लेनिन अथवा स्तालिन से तुलना नहीं की जानी चाहिए।

श्री कपूर सिंह : श्रीमान मैं तुलना नहीं कर रहा हूं। मैं भी चाहता हूं कि तुलना नहीं की जाये।

Shri Kishan Pattanayak : May I know, when we are establishing Nehru Memorials, why Memorials in the name of Subhas Chandra Bose and Sardar are not being established ?

श्री मु० क० चागला : दोबारा वैसा ही प्रश्न। नेताजी महान नेता थे तथा हम उनकी यादगार बनाने के बारे में विचार कर सकते हैं। परन्तु यह प्रश्न केवल स्वर्गीय प्रधान मंत्री के बारे में है।

Muslim Kalyan Samiti

+

*660 { **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Home affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an organisaion styled Muslim Kalyan Samiti has been formed in the border areas of West Bengal;

(b) whether it is also a fact that this organisation has links with civil and military officers of East Pakistan ;

(c) whether it is also an fact that the main functions of this organisation is to uproot the refuges who have come from Pakistan after exchanging their property, and to rehabilitate again Muslims from Pakistan ; and

(d) if so, the action taken by Government in this regard ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) to (c). According to the information received from the West Bengal Government there is an organisation called Muslim Kalyan Samiti in Village Gangaprasad and other adjoining villages under Police Station Berhampore, District Murshidabad, but it has no link with civil and military officers of East Pakistan, nor is its main function to uproot the refugees who have come from Pakistan after exchanging their property and to rehabilitate again Muslims from Pakistan.

(d) Does not arise.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether the number of Muslims increased in Assam after the appointment of this Committee ?

Shri Hathi : No Sir.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: May I know whether Government have enquired through its C.I.D. that Pakistan has some connection with these committees and Pakistan is getting information in regard to our actions through them ?

Shri Hathi : I have already replied in the main reply that we have called for this information from West Bengal Government and they have told us that they have no connection with Pakistani Civil and Military authorities.

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether the welfare committee set up now has connection with the Muslim welfare committee of Pakistan and whether it has been enquired that they are settling marriages between East and West Bengal ?

Shri Hathi : There is no committee in East Bengal of this type, we have only the information that this committee is engaged in the welfare activities of Muslims youths :

Shri U. M. Trivedi : May I know whether there is any other Muslim welfare committee in Pakistan of the same nature as it is in India ?

Shri Hathi : I do not know that there is any committee in Pakistan ?

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या सरकार ने इस कल्याण समाज की गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी इकट्ठा की है ?

श्री हाथी : हमने पश्चिम बंगाल सरकार से जानकारी हासिल करने का प्रयत्न किया है। मुख्य कार्य धार्मिक है अर्थात् एक सीमा तक साम्प्रदायिक है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने इसकी जानकारी लेने का प्रयत्न किया है कि यह कल्याण समिति किस उद्देश्य से बनाई गई थी।

श्री हाथी : मैंने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार इस पर विचार कर रही है और उन्होंने यही बताया है कि यह समिति धार्मिक काम करती है।

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether it is a fact that by establishing these committee communal elements, become active. If so, whether Government propose to ban these institutiions ?

Shri Hathi : This is a wide question and Government is considering to ban these.

डा० मा० श्री अणे : क्या इस समिति में कोई हिन्दू सदस्य हैं ? इसका नाम कल्याण समिति क्यों रखा गया। कोई उर्दू नाम रखना चाहिये था ?

Shri Hathi : It has no Hindu Member. But I think that (Kalyan) word is from Bengalee language.

मंत्रियों द्वारा अपनी आस्तियां तथा दायित्व घोषित किया जाना

*661. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० श्रीनिवासन :
श्री परम शिवन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक मंत्री ने अपनी आस्तियां तथा दायित्व घोषित कर दिये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा न करने वालों के नाम क्या हैं ;

(ग) किन राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्रों ने अभी तक संहिता नहीं अपनाई है; और

(घ) उनके संहिता न अपनाने अथवा अपनाने से इन्कार करने के क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ). एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) सभी केन्द्रीय मंत्रियों तथा संसदीय सचिवों ने अपनी आस्तियां तथा दायित्व घोषित कर दिये हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ). निम्नलिखित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों में कोई मंत्री नहीं है :--

1. केरल ।
2. दिल्ली ।
3. दादरा और नगर हवेली ।
4. अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह ।
5. लक्कादीव तथा मिनिकाय द्वीपसमूह ।

इसलिये, उनके द्वारा संहिता के अपनाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता । निम्नलिखित राज्य सरकारें संहिता को अपनाने के प्रश्न पर अभी विचार कर रही हैं:--

1. आसाम
2. मद्रास
3. मैसूर
4. राजस्थान
5. जम्मू व काश्मीर
6. महाराष्ट्र
7. नागालैण्ड

अन्य सभी ने संहिता को अपना लिया है ।

श्री हरि विष्णु कामत : पिछले सत्र में 19 नवम्बर, को एक प्रश्न का उत्तर देते समय मंत्रि महोदय ने बताया था कि उन्होंने एक आचार संहिता राज्य सरकारों को विचारार्थ भेजी है । उस संहिता में ऐसी व्यवस्था है कि सभी को आस्तियों तथा दायित्वों के विवरण देने होंगे । क्या मंत्री महोदय यह बताने की स्थिति में हैं कि क्या उस आचार संहिता को राज्य सरकारों ने किस रूप में स्वीकार किया है, पूर्णतः अथवा अंशतः ?

श्री हाथी : जिन राज्यों ने इस संहिता को स्वीकार किया है उन्होंने इसको पूर्णतः स्वीकार किया है ।

श्री हरि विष्णु कामत : विवरण में बताया गया है कि कुछ राज्य सरकारों ने अभी संहिता को स्वीकार नहीं किया है । उनमें आसाम, मद्रास, मैसूर, राजस्थान, जम्मू और

काश्मीर महाराष्ट्र तथा नागालैण्ड हैं। सभी केन्द्रीय मंत्रालयों तथा सभा सचिवों ने अपनी आस्तियों तथा दायित्वों के घोषणापत्र दे दिये हैं। जब ये सभी लोग कर्मचारी हैं तो क्या इन घोषणापत्रों को सभा-पटल पर रख दिया जायेगा जिससे यह केवल दल तक सीमित न रहें ?

श्री हाथी : वह कर्मचारी हैं परन्तु सरकारी कर्मचारी नहीं हैं । इसके अतिरिक्त मैं नहीं जानता कि सरकार उन सभी कागजातों को सभा पटल पर रख देती है जो उसको अन्य सरकारों से मिलते हैं ।

Shri Yashpal Singh : One of the Central minister has observed that a man if spends some lakhs, can become chief Minister and if spend some crores can become Prime Minister. Whether it has been enquired that how much that minister owns.

Mr. Speaker :—Thakur Saheb should try to have crores.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार का ध्यान आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री की इस घोषणा की ओर दिलाया गया है कि मकानों को आवास बोर्ड को स्वयं सौंप देना चाहिये तथा यदि हां, तो क्या सरकार अन्य राज्यों को सलाह देगी कि ऐसा करे ?

श्री हाथी : सरकार का ध्यान समाचारों की ओर दिलाया गया है । मैं समझता हूं कि हमारी सलाह के अनुसार राज्य सरकारें आरंम्भ करेंगी ।

श्री प्र० चं० बरुआ : देश के उस भाग में जहां का मैं निवासी हूं एक कहावत है कि जो भी लंका जाता है वह रावण बन जाता है । इसी प्रकार जिसको टैक्स देना पड़ता है वह कर अपवंचक बन जाता है । इसी प्रकार जो मंत्री बनता है वही भ्रष्ट हो जाता है । अतः इस प्रकार का वातावरण समाप्त करने के लिए क्या सरकार का विचार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में कोई संशोधन करने का है कि उम्मीदवार अपनी आस्तियां बतायें ?

श्री हाथी : यह एक सुझाव है ।

श्री स० मो० बनर्जी : केन्द्रीय गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट के बाद कि उड़ीसा के दो मुख्य मंत्रियों ने बहुत धन इकट्ठा कर लिया है मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार इस रिपोर्ट के आधार पर उनकी आस्तियों की जांच करने का तथा गैर-कानूनी सम्पत्ति का पता लगने पर उन्हें दण्ड देने का है ?

श्री हाथी : मैं समझता हूं कि इसका मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

Shri Ram Sewak Yadav : Mr. Speaker, may I know that one Finance Minister Shri T. T. Krishnamachari has became owner of 18 companies and Sole distributor of 22 companies ? If so, what is the reaction of the Government ?

Mr. Speaker : Reply has already been given ?

श्री हाथी : इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री रंगा : इस प्रश्न का उत्तर कहां दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है कि यह जानकारी ठीक है अथवा गलत । इस आधार पर कि कई मंत्रियों ने सरकारी धन का उपयोग अपने मकान बनाने तथा उसको सजाने के लिए किया है क्या सरकार कोई ऐसे कदम उठा रही है कि भविष्य में ऐसा न हो ?

श्री हाथी : राज्यों के मंत्री अपने विवरण मुख्य मंत्रियों को देते हैं तथा मुख्य मंत्री प्रधान मंत्री को देता है। इनको ठीक ही माना जाता है क्योंकि यह सभी जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा दिये जाते हैं।

मैं समझता हूं कि श्री रंगा ने जो कुछ फरमाया है उसके बारे में गृह-कार्य मंत्री ने आन्ध्र सरकार से बातचीत की है।

श्री रंगा : केवल आन्ध्र में ही नहीं। ऐसा तो सभी जगह हुआ है ?

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कुछ दिन पहले ही मंत्रियों को आपने आदेश दिए थे कि स्पष्ट प्रश्न होने पर स्पष्ट उत्तर दिया जाना चाहिये। मेरे माननीय मित्र श्री रंगा ने इन विवरणों की भंग जांच की प्रणाली के बारे में पूछा था। उन्होंने बताया था कि मंत्री महोदयों द्वारा दिए गये विवरणों को ठीक ही माना जाता है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। उन्होंने बताया कि मंत्री जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : श्री पटनायक तथा श्री मित्रा का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : अपवाद हो सकते हैं। परन्तु हमें समझना चाहिये कि प्रत्येक मंत्री बेईमान नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : तब तो वह जो चाहें वह दे सकते हैं।

श्री शा० ना० चतुर्वेदी : क्या ये विवरण समय आने पर एक बार दी जाती है अथवा मंत्रियों की आस्तियों में परिवर्तन होने पर ?

श्री हाथी : यह वर्ष में एक बार दी जाती है।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : मुझे प्रसन्नता है कि मंत्रियों की आस्तियों की जांच के लिए एक पद्धति है। क्या सरकार का विचार विरोधी पक्ष समेत सभी संसद् सदस्यों तथा विधान सभाओं के सदस्यों की आस्तियों की जांच करने का भी है ?

श्री वासुदेवन नायर : हम तैयार हैं ?

श्री हरि विष्णु कामत : उनके सम्बन्ध में हुई जांच सभा पटल पर रखी जानी चाहिये।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : तैयार होने का प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : हमें यहां पर चर्चा में एक तरीके से भाग लेना चाहिये। एक प्रश्न पूछा गया। माननीय मंत्री को उसका उत्तर देने दीजिये। इतने सदस्यों को एक साथ नहीं बोलना चाहिये।

श्री रंगा : श्रीमान्, कभी कभी ऐसा करना लाभदायक होता है। क्योंकि इससे हमारी भावनाओं की जानकारी हो जाती है।

अध्यक्ष महोदय : कभी कभी ऐसा करना लाभदायक हो सकता है परन्तु हमेशा प्रश्न के समय बाधा नहीं डालनी चाहिये।

श्री हाथी : अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : वह इससे बचना चाहते हैं।

Shri Sarju Pandey : May I know whether the accounts submitted by Ministers show that there are some Ministers who have amassed great wealth after they became Ministers, if so, the action taken against them ?

Shri Hathi : They do not submit accounts, they submit returns of assets every year. We can know by these returns that how much their asset has been increased.

Shri Rameshwara nand : May I know whether Government propose to turn such persons out of the country who have amassed wealth by corruption?

Mr. Speaker : This is a very good suggestion.

श्री दाजी : श्रीमान, नवम्बर में गृह-कार्य मंत्री ने कहा था कि इस संहिता के अधीन मंत्रियों तथा उनके पुत्रों को अपनी आस्तियां बनानी होंगी। क्या यह सच है कि यह घोषणा केवल उनके अवयस्क पुत्रों के बारे में है अथवा उनकी पत्नियों तथा पुत्रों के बारे में भी हैं ? क्या इन विवरणों में उनके मंत्री बनने के पहले की आस्तियां तथा मंत्री बनने के बाद की आस्तियां के तुलनात्मक आंकड़े हैं ?

श्री हाथी : जब राज्य तथा केन्द्र के मंत्रियों ने आचार संहिता स्वीकार कर ली तो पहले पहल उनको स्वीकृति के एक महीने के अन्दर विवरण देने थे। आश्रित पुत्रों की आस्तियों के विवरण तीन महीने में दिए जाने थे। सभी राज्यों ने इस संहिता को स्वीकार नहीं किया है परन्तु जिन राज्यों ने स्वीकार किया है उन्होंने समय पर जानकारी दे दी है। प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को वह यह जानकारी दिया करेंगे ।

श्री दाजी : मैंने यह प्रश्न पूछा था कि क्या पत्नियों तथा पुत्रों को भी ऐसी घोषणा करनी पड़ेगी ?

श्री हाथी : वयस्क पुत्र आश्रित नहीं होते हैं इसलिये यह आवश्यक नहीं कि वह जानकारी दें। उनके अपने अलग काम हैं तथा उसी के अनुसार वह अपना जीवनयापन करते हैं।

पुनर्वास कृष्यकरण संस्था

+

*663. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया : }

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1964 से अब तक राज्यों ने पुनर्वास कृष्यकरण संस्था को कितने एकड़ भूमि दी है और अब तक कितनी भूमि कृषि योग्य बनाई गई है; और

(ख) 1965 में राज्यों द्वारा कितनी और भूमि दिये जाने की संभावना है ?

पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास): (क) पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों को बसाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा भूमि की पेशकश केन्द्रीय सरकार को दी जाती है और सीधे पुनर्वास कृष्यकरण संस्था को नहीं। पहली जनवरी, 1964 से विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लगभग 2,62,000 एकड़ भूमि प्राप्त की गई है। इस क्षेत्र में से लगभग 1,77,770 एकड़ भूमि पुनर्वास कृष्यकरण संस्था द्वारा कृषि योग्य बनाई जायेगी तथा शेष भूमि राज्य सरकारों की ऐजन्सियों द्वारा कृषि योग्य बनाई जायेगी। पुनर्वास कृष्यकरण संस्था द्वारा अब तक 15,593 एकड़ भूमि कृषि योग्य बनाई गई है।

(ख) दण्डकारण्य में मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा की राज्य सरकारों द्वारा 1965 में 34,580 एकड़ भूमि प्राप्त होने की संभावना है जब कि दूसरे क्षेत्रों में भूमि की पेशकश तथा प्राप्ति उपयुक्त कृषि योग्य भूमि के उपलब्ध होने पर ही निर्भर होगी जिसके लिये निरंतर प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार इस कृष्यकृत भूमि पर प्रव्रजकों को फिर से बसाना चाहती है अथवा सरकार का विचार राज्य फार्म स्थापित करने का है ?

डा० म० मो० दास : राज्य फार्म स्थापित करने ही पड़ेंगे। इसके साथ ही प्रव्रजकों को भी बसाना होगा।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने दण्डकारण्य और इन्द्रावती-सावरी बेसिन के विकास के प्रश्न पर विचर कर लिया है, जिसका कि मैं समझता हूं मंत्री महोदय ने वित्त मंत्री के साथ अब सर्वेक्षण कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने वहां पर एक औद्योगिक शृंखला स्थापित करने की संभावना पर विचार कर लिया है ?

डा० म० मो० दास : यद्यपि माननीय सदस्य के इस अनुपूरक प्रश्न का मुख्य प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है, मैं उन्हें बता दूं कि इन्द्रावती-सावरी बेसिन में एक औद्योगिक शृंखला स्थापित करने का प्रस्ताव है।

श्री प्र० चं० बरुआ : शरणार्थियों के बसाये जाने में देरी के लिये केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा कुल कितना व्यय किया गया ?

डा० म० मो० दास : मैं प्रश्न नहीं समझ सका।

अध्यक्ष महोदय : देरी पर खर्चा ?

श्री० प्र० चं० बरुआ : पुनर्वास में देरी के कारण शरणार्थियों को शिविरों में रखना पड़ा था और उनके लिये कपड़े और भोजन की व्यवस्था की गई थी जिसके लिए पैसा खर्च करना पड़ा था। वह खर्च क्या था ?

डा० म० मो० दास : मैं अब भी नहीं समझ सका।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी नहीं समझ सका हूं। श्री हंसदा।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मैं दूसरा प्रश्न पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें प्रतीक्षा करनी होगी।

श्री सुबोध हंसदा : राज्यों में कृष्यकरण के कार्य में क्या शारीरिक परिश्रम द्वारा कृष्यकरण का प्रयत्न किया गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

डा० म० मो० दास : आन्ध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले में लगभग 500 एकड़ भूमि कृष्यकरण के लिए ठेकेदारों को दी गई थी । यद्यपि मुझे पक्का पता नहीं है, मैं समझता हूं कि यह मजदूरों द्वारा की गई है । 1000 शरणार्थी परिवार नेफा में बसाये जायेंगे। वहां भी भूमि मजदूरों द्वारा कृषि के योग्य बनाई जा रही है ।

Shri Bibhuti Mishra : In my district about 40-50 thousand migrants from East Pakistan were provided with land, but the Government have not so far established any industry there. Do Government propose to establish any industry there, although the Government do say for establishing the industry but do not do so ?

डा० म० मो० दास : माननीय सदस्य शायद पुराने प्रव्रजकों के बारे में कह रहे हैं ।

श्री विभूति मिश्र : मैं पुराने और नये प्रव्रजकों, दोनों के बारे में कह रहा हूं ।

डा० म० मो० दास : जहां तक हमें जानकारी है, पुराने प्रव्रजकों को बिहार में भूमि दी गई थी और वे ठीक तरह से हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या उनके लिये कोई उद्योग चालू करने का का प्रस्ताव है ?

डा० म० मो० दास : इसके लिए मुझे सूचना चाहिये ।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या नये प्रव्रजकों को फिर से बसाने के लिए आसाम में कोई भूमि कृषि के योग्य बनाई गई है ?

डा० म० मो० दास : आदिम जाती के लोगों के लिए 4,500 एकड़ भूमि छोड़ कर 9,000 एकड़ भूमि के कृष्यकरण की एक योजना है। इसकी मंजूरी दी जा चुकी है और राज्य सरकार कामरूप रक्षित क्षेत्र में एक राज्य फार्म स्थापित करने का विचार रखती है । गोलपारा जिला में कुल 2,000 एकड़ भूमि रक्षित रखी गई है।

श्री गं० रं० कृष्ण : क्या इस मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाये हैं कि इन योजनाओं से हरिजनों के लाभ के लिए राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई भूमि आवंटन की योजनाओं को बाधा न पहुंचे ? शरणार्थियों को पीने के पानी जैसी सुविधाएं और जो अन्य सुख सुविधायें दी जाती हैं क्या वे सुविधाएं पास में रहने वाले हरिजन परिवारों को भी दी जायेंगी ?

डा० म० मो० दास : जी, हां । स्थानीय लोग इन से लाभ उठाते हैं । मैं नहीं समझता कि पुनर्वास कार्य से अन्य किसी क्षेत्र अथवा समुदाय के हित को चोट पहुंचती है ।

Shri Onkar Lal Berwa: How much land will be given to them in Rajasthan canal area and how many families are proposed to be rehabilitated there?

डा० म० मो० दास : माननीय सदस्य जरा सा और कष्ट करें और इसकी सूचना दें।

श्रीमती रेणुका राय : राज्य फार्मों के लिये कुल कितनी भूमि अलग से रखी गई है ? क्या उन्हें सामूहिक आधार पर चलाया जायेगा अथवा सहकारी आधार पर, और क्या उन्हें शरणार्थी स्वयं चलायेंगे अथवा राज्य कर्मचारी ?

डा म० मो० दास : अब तक ऐसा कोई राज्य फार्म स्थापित नहीं किया गया है। वर्तमान फार्मों का मुख्य काम केवल फसलों के नमूने तैयार करना और प्रव्रजकों को दिये जाने वाले अच्छे बीजों का उत्पादन करना रहा है। शरणार्थी परिवारों को उनको दी गई व्यक्तिगत भूमि पर बसाया गया है। आरम्भ में हम उन्हें केवल सामूहिक खेती के फायदे बता रहे हैं।

श्री बसुमतारी : क्या यह सच है कि गोलपारा उप डिवीजन के प्रमुख व्यक्तियों ने शरणार्थियों के बसाने के लिये पटसन मिल की एक योजना रखी है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

डा० म० मो० दास : यदि माननीय सदस्य इसके लिए सूचना दें तो मुझे यह जानकारी देने में हर्ष होगा।

श्री राम सहाय पांडे : मध्य प्रदेश सरकार ने कितनी भूमि देने की पेशकश की है और क्या यह सच है कि योजना में चम्बल घाटियों को शामिल किया गया है ?

डा० म० मो० दास : चम्बल घाटियों को योजना में अभी तक शामिल नहीं किया गया है।

Shri Gulshan : The hon. Minister just now said that some refugees have been renabilitated on reclaimed lands. How many refugees apart from them want to be rehabilitated on agriculture ?

डा० म० मो० दास : शिविरों में इस समय कुल जितने शरणार्थी हैं उनमें से दो तिहाई कृषि का काम करना चाहते हैं।

Shri Gulshan : My question has not been answered.

Mr. Speaker : He says that he has not got the figures at the moment, but about two thirds of the total numbers that are now in camps want to be rehabilitated on agriculture.

श्री उ० मू० त्रिवेदी : इस पुनर्वास संगठन के सम्बन्ध में अथवा शरणार्थियों के पुनर्वास के प्रयोजन के लिए क्या जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने कोई भूमि देने की पेशकश की है ?

डा० म० मो० दास : जहां तक पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का सम्बन्ध है, हमें उस सरकार से कोई पेशकश प्राप्त नहीं हुई है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The refugees have poured in Madhya Pradesh in a big number. The Madhya Pradesh Government have written to the Central Government several times that those people are not getting the facilities and amenities which they should get and therefore they are very much troubled. Will the Central Government sanction the demands put before them by the Madhya Pradesh Government without delay to remove their worries ?

डा० म० मो० दास : मध्य प्रदेश को भी शरणार्थी भेजे गये हैं और उनके पुनर्वास के लिय वहां की सरकार प्रबन्ध कर रही है । खर्च केन्द्रीय सरकार उठाती है ।

मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी और हमारे अधिकारी एक साथ बैठ कर इस विषय पर चर्चा करते हैं और जो भी वित्तीय सहायता उनको दी जानी होती है वह दी जाती है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The assistance is considerably delayed to them.

पोर्ट कैनिंग के पास खुदाई कार्य

\+

*664. **डा० चन्द्रभान सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री विभूति मिश्र :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री राम सहाय पांडे :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के पास पोर्ट केनिंग क्षेत्र में तेल की खोज के लिए खुदाई करने के प्रश्न पर अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). भूकम्पीय सर्वेक्षण द्वारा एक उचित अपनत रचना (anticlinal structure) की खोज होने पर पोर्ट कैनिंग क्षेत्र में व्यधन कार्य को हाथ में लेने के लिए सिद्धान्त रूप में फैसला किया गया है। भूकम्पीय सर्वेक्षण कार्य अभी प्रगति पर है ।

डा० चन्द्रभान सिंह : इस परियोजना पर अब तक कितना धन व्यय किया गया है ?

श्री हुमायून् कबिर : तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, और सर्वेक्षण अभी चल रहा है ।

डा० चन्द्रभान सिंह : क्या माननीय मंत्री की गई प्रगति से सन्तुष्ट हैं ?

श्री हुमायून् कबिर : जी हां, हम सन्तुष्ट हैं, क्योंकि कुछ ऐसी आशाएं हैं कि उस क्षेत्र में हो सकता है एक अच्छी अपनत रचना हो

स्टैनवैक ने पहले एक सर्वेक्षण किया था और उन्हें वहां गैस के कुछ चिन्ह मिले थे। इसलिये हम मामले का अनुसरण कर रहे हैं।

श्री कपूर सिंह : क्या इस सामान्य धारणा में कोई सचाई है कि हमारे खुदाई कार्यों में जितनी असफलताएं मिलती हैं उतनी किसी और देश को नहीं मिलीं ?

श्री हुमायून् कबिर : मुझे मेरे माननीय मित्र के इस प्रश्न पर आश्चर्य है, क्योंकि इसके विपरीत हमारी सफलता असाधारण रही है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या इसके पड़ौस में आरम्भिक सर्वेक्षणों से तेल संसाधनों की संभावना का पता चला है ?

श्री हुमायून् कबिर : यदि आरम्भिक सर्वेक्षण से कोई आशा न होती तो हम उसको चालू न रखते । वास्तव में हमने सर्वेक्षण का कार्य तेज कर दिया है । एक पार्टी की बजाय अब वहां पर चार पार्टियां सर्वेक्षण कर रही हैं।

Shri P. L. Barupal : Survey had been carried out in Jaisalmer Distt. of Rajasthan regarding oil. What decision has been taken in that regard ?

श्री हुमायून् कबिर : यह सवाल मख्य प्रश्न से पैदा नहीं होता ।

नागरिकों की शिकायतों सम्बन्धी आयोग

\+

*665. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री प्र० के० देव :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री विश्व नाथ पांडेय :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :
श्री बिभूति मिश्र ।
श्री क० ना० तिवारी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ दिन से जनता की शिकायतें दूर करने के लिये एक आयोग नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग के सदस्य कौन कौन होंग और उसके क्या कार्य होंगे ; और

(ग) केन्द्रीय सर्तकता आयोग, सदाचार समिति, प्रस्तावित नये आयोग तथा भ्रष्टाचार को दूर करने के लिय बनाये गये अन्य निकायों के कार्यों का किस प्रकार समन्वय किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). भारत सरकार जनता की शिकायतें दूर करने के लिये एक आयोग की नियुक्ति के प्रस्ताव पर और साथ ही आयोग के संगठन और कार्य के ब्यौरे पर विचार कर रही है । मुख्य प्रश्न के बारे में निर्णय होते ही केन्द्रीय सर्तकता, आयोग, सदाचार समिति आदि के साथ प्रस्तावित आयोग के समन्वय से सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार शुरू कर दिया जायगा ।

श्री प्र० चं० बरुआ : प्रस्तावित आयोग और केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा सदाचार समिति के कार्यों में किस प्रकार समन्वय स्थापित करने का विचार है, और दोहरे काम को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्री हाथी : केन्द्रीय सतर्कता आयोग का सम्बन्ध मुख्य रूप से भ्रष्टाचार की शिकायतों अथवा सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई अनियमितताओं से है । जो संगठन स्थापित करने का विचार है वह, अथवा नागरिकों की शिकायतों से सम्बन्धित निदेशक अथवा आयुक्त लोगों की शिकायतों, विलम्बों तथा अन्य बातों की जांच करेगा ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की राय मांगी गई है और क्या इस प्रकार का संगठन राज्यों में भी स्थापित किया जायेगा ?

श्री हाथी : जहां तक सतर्कता आयोग के स्थापित किये जाने का सम्बन्ध है, अधिकांश राज्यों ने ऐसे सतर्कता आयोग स्थापित कर लिये हैं। जहां तक नागरिकों की शिकायतों को दूर करने सम्बन्धी संगठन का सम्बन्ध है, हम ने अभी यह फैसला नहीं किया है कि यह संगठन किस प्रकार का होगा ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : जनता की असंख्य शिकायतों के सन्दर्भ में, इस नये उद्देश्य को अपनाने के लिये सरकार किन महत्वपूर्ण अविलम्बनीय विषयों से प्रभावित हुई है ?

श्री हाथी : मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है । प्रशासन में विलम्ब के सम्बन्ध में शिकायतें हैं, और लोग यह अनुभव करते हैं कि वे जो काम चाहते हैं उनके सम्बन्ध में मंजूरियां जारी करने आदि का काम उतनी तेजी से नहीं किया जाता है जितनी तेजी से कि किया जाना चाहिये ; और उनकी ये शिकायतें हैं। इसलिये हम इस प्रकार का संगठन चाहते हैं ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The hon. Minister said that some of the States have set up such like Commissions. Which of the States have not set up those Commissions and what are the reasons therefor ? What is the Constitution of this Commission and whether M.Ps' will be included in that ?

Shri Hathi : The reply I just now gave relates to Central Vigilance Commission. Many States have appointed Vigilance Commissions. Any person who is a Judge of a High Court and who may not get into State service after his retirement, is eligible to be a member of the Central Vigilance Commission.

श्री कपूर सिंह : हमारी इस प्रथा में क्या बुद्धिमत्ता है कि मंत्रियों के स्तर पर तो शिकायतों को पैदा होने दिया जाता है और फिर अन्य स्तरों पर उन्हें दूर करने के लिये प्रयत्न किये जाते हैं ?

श्री हाथी : यह तो मैं नहीं जानता कि क्या बुद्धिमत्ता है । परन्तु सच्चाई यह है कि यदि कोई शिकायत होती है तो, तो उसकी जांच करना और उसे दूर करना सरकार का कर्तव्य होता है ।

श्री कपूर सिंह : मेरा प्रश्न भिन्न है ।

Shri Vishwanath Pandey : By what time this Commission will be appointed and what is the total expenditure involved in it ?

Shri Hathi : It is still under consideration. I can give no time limit.

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि अधिकांश राज्यों में लोगों की शिकायतों को दूर करने की कोई न कोई व्यवस्था है । क्या उनके कार्य को आंका गया है अथवा आंकने का विचार ह ?

श्री हाथी : जी नहीं, मैं ने यह नहीं कहा कि सार्वजनिक शिकायतों के निदेशालय जैसी संस्था राज्यों में स्थापित की गई है । मैं ने तो यह कहा था कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग से मिलता जुलता संगठन स्थापित किया गया है ।

Shri Bibhuti Mishra : Do you propose to take in this organisation a man like Mahatma Gandhi, who was treated by the farmers as their elder brother when the former used to go amidst them in Champaran and revealed him all public and private things ?

Shri Hathi : It is still under consideration as to what form the organisation is to take. But he is right that the persons to be taken in this organisation should have interest in the people.

श्री रंगा : यह देखते हुए कि कुछ राजनतिक दलों ने सदाचार समिति में भाग लेने से इन्कार कर दिया है, और सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार के मामलों की छानबीन करने, सरकार को इसकी सूचना देने और यह सुझाव देने के लिये है कि क्या दण्ड दिया जाना चाहिये, आदि, क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जब यह आयोग बन जाये, तो यह सदाचार समिति, जो कि एक गैर-पक्षीय अथवा सर्वपक्षीय समिति नहीं है, और सतर्कता आयोग पर किसी तरह भी निर्भर न हो, ताकि उनका काम एक दूसरे से बिलकुल अलग हो और कोई गड़बड़ न हो ?

श्री हाथी : जैसा कि मैं ने आरम्भ में बताया केन्द्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार के मामलों अथवा सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई अनियमितताओं को देखता है । यह केवल लोगों की शिकायतों को देखेगा । इसीलिये दोनों के कृत्य अलग अलग होंगे ।

जहां तक सदाचार समिति का सम्बन्ध है, मैं नहीं जानता कि सार्वजनिक शिकायतों से सम्बन्धित निदेशक से इसका क्या सम्बन्ध होगा ।

श्री रंगा : इसका कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये ।

श्री हाथी : मैं नहीं समझता कि सार्वजनिक शिकायतों से सम्बन्धित निदेशकों से इसका कोई सीधा सम्बन्ध होगा । परन्तु यह पता लगने के बाद कि समूचा ढांचा क्या होगा, यद्यपि इस समय इसका कोई प्रश्न नहीं है, इस पर विचार किया जा सकता है ।

Shri U. M. Trivedi : If some senior officer gives a wrong statement when called to furnish his explanation and if there is a documentary proof also to that effect then whether the state Commission or the Commission to be appointed at the Centre will conduct an enquiry against him ?

Shri Hathi : This will depend upon the post of the officer. If he is a State Government officer then the State Government will conduct the enquiry and if he is a Central Government officer then the Central Government will conduct the enquiry.

Shri Ram Sewak Yadav : Is it a fact that the root cause of corruption among officers and other people is the economic disparity, if so, whether Government propose to take steps to eradicate this alongwith the appointing of vigilance Commission and Sadachar Samitis ?

Shri Hathi : This is a separate question. Economic disparity is there, but corruption and economic disparity do not necessarily go together.

श्रीमती सावित्री निगम : क्या इस आयोग के किन्हीं निर्देशपदों पर निर्णय किया गया है, और क्या आयुक्त द्वारा कुनबापरस्ती की भी जांच की जायेगी ?

श्री हाथी : जैसा कि मैं ने बताया सारा मामला विचाराधीन है । अभी तक कोई विशिष्ट निर्देश पद नहीं बनाये गये हैं ।

Shri M. L. Verma : Will the Government consider Sadachar Samiti a part and parcel of the Commission ? Will it have any authority ?

Mr. Speaker : That question does arise here.

हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था

\+

*667. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 9 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 171 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था की जांच करने वाली उच्च-शक्ति प्राप्त समिति का प्रतिवेदन इस बीच मिल गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): (क) आशा है कि शीघ्र ही मिल जायगा ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

श्री घुलेश्वर मीना : सरकार इस सिफारिश पर कब कार्यवाही करेगी ?

श्री हाथी : प्रतिवेदन मिलने के पश्चात् इसका फैसला किया जा सकता है । हमें अभी प्रतिवेदन नहीं मिला है ।

श्री घुलेश्वर मीना : इस समिति में कितने सदस्य हैं और उनके क्या नाम हैं ?

श्री हाथी : सदस्य इस प्रकार हैं ; संयुक्त सचिव, गृह-कार्य मंत्रालय, सचिव, केन्द्रीय राजस्व बोर्ड, वित्त मंत्रालय, उपसचिव, प्रतिक्षा मंत्रालय ।

श्री घुलेश्वर मीना : ये नाम नहीं हैं ।

श्री हाथी : मैं नाम नहीं दे रहा हूं क्योंकि कुछ अधिकारियों की बदली हो गई है । इसलिये नामों का कोई विशेष अर्थ नहीं है । फिर, उपमहानिदेशक, असैनिक उड्डयन विभाग तथा सह-महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा । ये सदस्य हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच नहीं है कि वालकॉट के कुख्यात मामले में, जिससे कि सरकार की कमजोर सुरक्षा व्यवस्था का पता चलता है, जांच समिति ने हवाई अड्डों पर सुरक्षा सम्बन्धी कुछ निश्चित सिफारिशें की थीं जिनकी उस समय कमी थी, यदि हां, तो क्या इन सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है, और अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हाथी : जैसा कि मैं ने बताया समिति का प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या उस समिति का भी ?

श्री हाथी : यह समिति वालकॉट घटना के परिणामस्वरूप नियुक्त की गई थी । शायद वह परिवहन मंत्रालय की समिति का जिक्र कर रहे हैं, परन्तु मैं गृह मंत्रालय की समिति की बात कर रहा हूं ।

श्री हरि विष्णु कामत : मुझे विश्वास है कि उस समिति ने भी कुछ सिफारिशें दी थीं ।

दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका की वित्तीय स्थिति

+

*668. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका की वित्तीय स्थिति की जांच करने के लिये एक उच्च-शक्ति प्राप्त आयोग नियुक्त करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो आयोग कब तक नियुक्त किया जायेगा, इसके सदस्य कौन-कौन होंगे तथा उसके निर्देशपद क्या होंगे ; और

(ग) आयोग से अपना प्रतिवेदन कब तक देने को कहा गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क), (ख) और (ग). भारत सरकार की 29 मार्च, 1965 की जिस अधिसूचना संख्या 1/3/65–दिल्ली, द्वारा जांच आयोग की स्थापना की गई थी, उसकी एक प्रति सदन के सभा-पटल पर रख दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4107/65]**

Shri Yashpal Singh : Since how long are these complaints being received and total number thereof ?

Shri L. N. Mishra : It is about the complaints or their number. The Committee has been set up to inquire into the financial condition of the Delhi Corporation.

Shri Yashpal Singh : What steps have Government taken about the irregularities and misappropriation of money in the Corporation ?

Shri L. N. Mishra : There is no question of misappropriation. The Corporation had a grievance for some time that it should get more grants from Government as its means were not sufficient to meet the expenses. We suggested that they should increase their means. The Committee has been set up with this object in view.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Is it a fact that one of the reasons for the financial crisis is that there has been delay in realising the Corporation taxes and also that schemes involving more expenditure than its income have been formulated ?

Shri L. N. Mishra : It is true that they spent more than their income and sometimes spent on unnecessary items and that is why their condition has deteriorated. The Committee has been set up to inquire into it.

Shri Onkar Lal Berwa : I want to know whether the amount received from Centre for purchasing the buses, has been spent by the Corporation. It has been gathered that this amount has been spent on some other item. Is there any information in regard thereto ?

Shri L. N. Mishra : I don't have the information with me but they get amount for purchasing the buses.

Legislation regarding continuance of English

*669. **Shri Madhu Limaye** :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of States among Rajasthan, Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Punjab which have passed legislatian for continuance of English as an associate language of the State;

(b) whether a suggestion was made by Central Government for making such legislations; and

(c) if so, whether making of such a suggestion by the Centre does not amount to imposition of English in these States ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Jaisukhlal Hathi) : (a) No State has passed legislation providing for continuance of English as an associate language.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Shri Madhu Limaye : It has been said that the Central Government didn't give any suggestion. I have read in the newspapers that the State Governments have been advised to continue the use of English as an optional language and to enact a legislation in this regard. May I take it that this news was incorrect.

Shri Hathi : I would read article 345 of the Constitution for the information of Hon. Member. It is not necessary to enact any legislation to continue the use of English.

"अनुच्छेद 346 और 347 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य का विधान-मण्डल विधि द्वारा उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों में सब या किसी के लिये प्रयोग के अर्थ उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या हिन्दी को अंगीकार कर सकेगा :

परन्तु जब तक राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा इस से अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक राज्य के भीतर उन राजकीय प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिन के लिये इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले वह प्रयोग की जाती थी ।"

Shri Madhu Limaye : Shri Lal Bahadur Shastri had instructed the State Governments in this connection. In case it is clarified that no instructions will be issued by Centre to the State Governments for the continuance of English at State level, there is no grievance.

Mr. Speaker : He has already told.....

Shri Madhu Limaye : I know the article referred to by him. In Kerala where there is President's Rule, the Centre has instructed the State Governmment to continue the use of English along with Malyalam and perhaps it has happened in Orissa also. Therefore, it has become necessary to know about it. The Hon. Minister should think well before giving answer.

Shri Hathi : The question is :

"The names of the states among Rajasthan, Bihar, U.P., Madhya Pradesh and Punjab....."

Now the Hon. Member is asking about Kerala. I have given a proper reply.

Shri Ram Sewak Yadav : I think it is implied in the Constitution and the Hon. Home Minister also wants that the languages spoken by the people should be the medium in all the states. Then making English associate language along with the common language in the states and particularly in Kerala where there is President's rule, is it not against what is implied in Constitution if so, then would the Government withdraw its suggestion ?

Mr. Speaker : Legal questions cannot be asked here.

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या सरकार को पता है कि यद्यपि कई राज्यों ने अपनी प्रादेशिक भाषाओं को राजभाषा के रूप में प्रयोग करने के लिये कानून बना दिये हैं, फिर भी अंग्रेजी को जारी रखने के लिये वे फिर कानून बना रहे हैं ?

Mr. Speaker : There is no necessity of going beyond the scope of the question. What Shri Limaye meant is contained in part (a) of the question—whether some circular has been sent to the State or some instructions issued. The question in respect of the other States cannot be asked.

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : मैं इन राज्यों के बारे में पूछ रहा हूं : क्या इन राज्यों में से कुछ राज्यों ने सरकारी कार्यों के लिये प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग के लिये कानून में संशोधन करने के लिये कोई और कानून पास किये हैं।

श्री हाथी : कुछ राज्यों ने कानून पास किये हैं, परन्तु उन्होंने यह व्यवस्था भी कर दी है कि किन प्रयोजनों के लिये, अंग्रेजी का प्रयोग किया जायेगा और किन प्रयोजनों के लिये नहीं। प्रत्येक राज्य ने कानून बनाया है और यह व्यवस्था भी की है। गुजरात का उदाहरण ही लीजिये। गुजरात में फरवरी, 1965 में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार ने उन प्रयोजनों का उल्लेख कर दिया है जिनके लिये अंग्रेजी का प्रयोग होगा। लगभग 60 ऐसे प्रयोजन दिये हुए हैं।

Shri Tridib Kumar Chaudhuri : What about U. P. ?

Mr. Speaker : It will be difficult to tell about individual States. The Hon. Minister should lay a statement.

Shri Prakash Vir Shastri : Is it a fact that states mentioned in part (a) of the question have been forced to continue the use of English even after 26th January, 1965 because the Central Government does correspondence with these states in English. If so, whether the Government are taking some steps to give facilities to the state Governments to do there work in their own language.

Shri Hathi : Because the Union language is English or Hindi, therefore for conducting the correspondence with states, only the Union language is used which is Hindi or English.

Shri Prakash Vir Shastri : While Hindi has become the principal official language at Centre after January, 1965, then what is the objection in conducting the correspondence in Hindi with the States.

Shri Hathi : This is about non-Hindi Statess.

Shri Prakash Vir Shastri : Just now the Hon. Minister told that the Centre didn't give any such direction. Is it a fact that Chief Minister of U.P. Shrimati Sucheta Kripalani stated in the House that she was introducing legislation regarding English at the instance of the Centre. If so, how far it is true.

श्री हाथी : मेरी कठिनाई यह है कि विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा के प्रयोग को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पहला भाषा का प्रयोग प्रशासकीय प्रयोजनों के लिये है ; दूसरा भाषा का प्रयोग विधान मंडलों के लिये है ; और भाषा का तीसरा प्रयोग उच्च न्यायालयों और उनके निर्णयों के लिये है। (**अन्तर्बाधायें**)।

Shri Kishan Pattnayak : The Hon. Minister is not giving a straight forward reply to the question.

Shri Hathi : As for as legislatures.....

Mr. Speaker : If you interrupt him, how can he reply.

Shri Kishan Pattnayak : We do not want a wrong reply.

Shri Ram Sevak Yadav : I want to raise a point of order.

Mr. Speaker : A question has been raised and let it be replid to. If the reply is not corrct, you can raise objection; but unless complete reply has been given, how can you raise an objection ?

Shri Ram Sevak Yadav : We do not want philosophy: we want a proper reply.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWER TO QUESTION

पेट्रो-रसायन उर्वरक

*662. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री राधे लाल व्यास :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री चि० र० राजा :
श्री कोया :
श्री रामपुरे :
डा० चन्द्रभान सिंह :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री 2 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 311 के उत्तर के सम्दन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य मंत्री द्वारा अपने विश्वव्यापी दौरे के दौरान की गई खोज वार्ता के फलस्वरूप पैट्रो-रसायन, नाइट्रोजिनस उर्वरक और तेल की खोज तथा उसके शोधन के बारे में कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं तथा प्रस्तावित सहयोग तथा विस्तार के लिये वित्तीय तथा प्राविधिक आधार क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). सम्पर्क में आने वाली पार्टियों के साथ कुछ बातचीत हुई है और कुछ प्रस्ताव अस्थायीरूप से प्राप्त हुए हैं ; तथा कई अन्य प्रस्तावों की प्रतीक्षा है । विशेष प्रस्तावों की मुख्य बातों की इस समय सूचना देना उचित नहीं है ।

कैनिंग पत्तन के पास खुदाई का कार्य

*665. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व एक अमरीकी तेल समवाय को केनिंग पत्तन क्षेत्र में 10,000 फीट खोदने के बाद गैस का पता लगा है ;

(ख) क्या यह समवाय अपना काम आगे जारी रखना चाहता था किन्तु उसे न्यूयाक स्थित अपने मुख्यालय के आदेशानुसार कार्य बन्द करना पड़ा ।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी हां, 13,000 फुट की गहराई पर ।

(ख) इस विषय पर सूचना उपलब्ध नहीं है ।

प्राकृतिक तेल के नये संसाधन

*670. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री सं० चं० सामन्त :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आसाम तथा गुजरात के स्थानों के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं प्राकृतिक तेल के किसी नये संसाधन का पता लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो कहां और क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन् कबीर) : (क) जी नहीं ।

(ख) सारे भारत के अवसादी क्षेत्रों में तेल के लिए अन्वेषण कार्य किये जा रहे हैं ।

अरविन्द आश्रम, पांडिचेरी

*671. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री नि० चं० चटर्जी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री ह० प० चटर्जी :
श्री सिंहासन सिंह :
डा० मा० श्री० अणे :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हरि विष्णु कामत :

श्री नाथ पाई :
श्री विश्व नाथ पाण्डेय :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 11 और 12 फरवरी को उपद्रवी भीड़ ने पांडिचेरी में श्री अरविन्द आश्रम पर अनेक व्यवस्थित आक्रमण किये जिसके फलस्वरूप माता जी के निवासस्थान तथा श्री अरविन्द के समाधि-स्थान सहित आश्रम की वस्तुओं को भारी क्षति हुई ; और

(ख) क्या यह पता लगाने के लिये कि इन आक्रमणों के पीछे किसका हाथ था, और अपराधियों को दण्ड देने के लिये कोई प्रयास किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). पांडीचेरी सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय विद्यार्थियों द्वारा किये गये हिन्दी-विरोधी आन्दोलन का गुन्डों और समाज-विरोधी तत्वों ने लाभ उठाया, जिसके परिणामस्वरूप, 11 तथा 12 फरवरी, 1965 को न केवल आश्रम तथा उसके संसाधनों को ही अपितु लोगों की व्यक्तिगत, और नगरपालिका तथा सरकार आदि की सम्पत्ति को भी क्षति पहुंची । इन घटनाओं के बारे में मामले न्यायालयों में हैं। 46 व्यक्तियों पर मुकदमें चल रहे हैं। 11 फरवरी, 1965 को पांडीचेरी में घटित इन घटनाओं के कारणों तथा स्वरूप, और अरविन्द आश्रम पर आक्रमण तथा इस प्रकार की घटनाओं को दुबारा घटित होने से रोकने के लिये आवश्यक उपायों के बारे में गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच की जायगी।

उर्वरक निगम द्वारा अर्जित लाभ

*672. श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री कृ० चं० पन्त :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 1963–64 में भारत के उर्वरक निगम के शुद्ध लाभ के सम्बन्ध में वित्त मंत्री के अनुमान के विषय में निगम की प्रेस विज्ञप्ति की ओर दिलाया गया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस त्रुटि के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) :(क) जी हां ।

(ख) भारत के उर्वरक निगम ने 13-3-65 को जारी किये गये प्रेस नोट में तथा 15 मार्च, 1965 को निगम के चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक ने एक पत्र टाइम्स आफ इंडिया के संपादक को लिख कर इन्कार किया है । प्रत्येक की प्रतिलिपि सभा पटल पर रख दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये एल-टी०-4108/65]**

मथुरा संग्रहलाय की बुद्ध मूर्ति का सिर

*673. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि मथुरा संग्रहालय से 1961 में चुराई गई बुद्ध की मूर्ति का सिर स्विटजरलैण्ड में मिला है; और

(ख) यदि हां, तो कला की इस बहुमूल्य कृति को पुनः प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) बर्न स्थित भारतीय दूतावास से प्रार्थना की गई है कि वह चुराई गई बुद्ध की मूर्ति के सिर को सौहार्दपूर्ण निपटारे द्वारा देश को लौटाने की व्यवस्था की जाए।

विद्यार्थियों की हड़ताल

*674. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री कोल्ला वेंकंया :
श्री रामपुरे :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1964 में विद्यार्थियों की हड़ताल का कोई सर्वेक्षण किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या मुख्य बातों का पता चला है ; और

(ग) इस के परिणामस्वरूप क्या सबक मिला है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) कोई सरकारी सर्वेक्षण नहीं किया गया ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

अंकलेश्वर में तेल

*675. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री मानसिंह पृ० पटेल :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दाजी :
श्री रा० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ल० ना० भंजदेव :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रा० स० पाण्डेय :
श्रीमती जोहराबेन चावडा :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में अंक्लेश्वर के उत्तर में नवगांव में ऐसे तेल-क्षेत्र का पता लगा है जहां से काफी मात्रा में तेल मिलने की आशा है ;

(ख) यदि हां, तो तेल के कितनी मात्रा में पाये जाने का अनुमान है ; और

(ग) क्या वहां से तेल निकालने के लिये कोई योजना बनाई गई है ; यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) जी हां ।

(ख) और (ग) . अन्वेषी व्यधन कार्य क्षेत्र तथा संचयों का चित्रण करने के लिए (delineate) प्रगति पर है । इस कार्य के पूरा होने के बाद समुपयोजन (exploitation) योजना तैयार की जायेगी ।

औषधियों के मूल्य

*676. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री बाल्मीकी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कुछ उपाय किये गये हैं कि आयात की गयी अथवा देश में बनाई गई औषधियों तथा भेषजों के खुदरा मूल्य बढ़ने न पायें; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपाय किये गये हैं और उनका क्या प्रभाव हुआ है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेसन): (क) जी हां ।

(ख) स्वास्थ्य मंत्रालय में, भारत सरकार ने भारत सुरक्षा नियमों के अधीन 19 दिसम्बर, 1962 को एक आदेश "औषधि (मूल्य प्रदर्शन) आदेश, 1962" जारी किया जिस के अन्तर्गत निर्माताओं, आयातकों, और वितरकों द्वारा अपने उत्पाद की थोक और खुदरा कीमत प्रदर्शन करने वाली मूल्य-सूची प्रकाशित करने की व्यवस्था की गई और जिसके अनुसार औषधियों के व्यापारी इन सूचियों को अपने संस्थानों पर प्रदर्शित करेंगे । इस आदेश के अंतर्गत एक दफा प्रदर्शित की गई कीमतों में परिवर्तन करने में निर्माताओं पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था । उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत सुरक्षा नियमों के

अधीन 11 नवम्बर, 1963 को एक आदेश "औषधि (मूल्य-नियंत्रण) संशोधित आदेश, 1963" जारी किया है । इस आदेश के अनुसार औषधियों की अधिकतम खुदरा कीमतें जो कि निर्माताओं आदि की मूल्य-सूची में प्रदर्शित पहली अप्रैल, 1963 को लागू थीं, तब तक नहीं बढाई जा सकती जब तक कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार सरकार की पहले से अनुमति न ले ली जाए। इस आदेश के लागू होने के बाद से औषधियों की अधिकतम खुदरा कीमतें सामान्यत: स्थिर रही हैं।

स्त्री शिक्षा

*677. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्रीमती जोहराबेन चावडा :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्त्री शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद के सभापति ने यह आरोप लगाया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्त्री शिक्षा के लिये नियत की गयी निधि का एक बड़ा हिस्सा अन्य प्रयोजनों पर खर्च किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी हां ।

(ख) जून, 1962 में राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि लड़कियों की शिक्षा से सम्बन्धित विशेष योजनाओं के लिए नियत राशि को वे उसी प्रयोजन के लिये इस्तेमाल करें जिस के लिए वह स्वीकृत की गई हो । अधिकांश राज्यों ने, स्त्री शिक्षा के लिये नियत राशि का दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं किया है । जिन थोड़े से राज्यों ने ऐसा किया है, उन से ऐसा न करने का अनुरोध किया जा रहा है।

माडल स्कूल

*678. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बच्चों को देश के प्रशासन का भार संभालने का प्रशिक्षण देने के लिये माडल स्कूल खोलने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मोटी-मोटी बातें क्या हैं ; और

(ग) वे स्कूल कहां-कहां खोले जायेंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) चौथी आयोजना में कुछ चुने हुए स्कूलों के विकास की एक योजना विचाराधीन है ।

(ख) और (ग) . योजना के ब्योरे अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं।

आसाम में तेल

*679 **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में लक्वा, रुद्रसागर, और अन्य स्थानों पर हाल ही में काफी मात्रा में तेल वाले क्षेत्र का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो तेल के कितनी मात्रा में पाये जाने का अनुमान है ; और

(ग) उस क्षेत्र में तेल निकालने की योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायन् कबिर) : (क) और (ख). दिसम्बर, 1960 में रुद्रसागर और अगस्त, 1964 में लक्वा में तेल मिला। इन संचयों की सम्भाव्यताओं का निश्चय किया जा रहा है ।

(ग) तेल-युक्त संस्तरों के लक्षणों और मात्रा का निश्चय करने के बाद संमुपयोजन की योजनाएं तैयार की जायेंगी ।

पाश्चात्य तेल कम्पनियां

***680. श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में काम कर रही पाश्चात्य तेल कम्पनियां सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध कर रही हैं कि वे ऐसी वस्तुओं के संभरण की व्यवस्था करें जिनका बहुत कम उत्पादन होता है और जिन्हें रुपये में भुगतान करके आयात किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) और (ख). अन्तर्राष्ट्रीय तेल कम्पनियां रूस से आयात हुए बहुत कम उत्पादकों की व्यवस्था के लिए सहमत नहीं हुई हैं। उन्होंने कहा है कि यह व्यवस्था विश्व आधार पर उन के मुख्यालयों द्वारा तैयार की गई नीति के विरुद्ध है। रुपयों में भुगतान करने वाले दूसरे देशों से बहुत कम उत्पादकों के आयात के बारे में बातचीत नहीं हुई है क्योंकि वे इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

Institute of Rural Higher Education, Sriniketan

1744 { **Shri Sidheshwar Prasad** :
Shri K. C. Pant :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the amount of grant given by the Ministry to the Institute of Rural Higher Education, Sriniketan;

(b) the manner in which the assets of the said Institute were disposed of after it was wound up;

(c) the reasons for which it was closed down;

(d) the number of such institutions in the country along with their locations and the amount of grant given to each of them; and

(e) whether any assessment regarding the working of these institutions has been made ?

Minister of Education (Shri M.C. Chagla) : (a) Rs. 18,22,051.00

(b) The assets of the Rural Institute were placed at the disposal of the Visva-Bharati University for educational purposes.

(c) The Rural Institute was closed by the Visva-Bharati on account of certain internal difficultiers arising out of the conduct of some students.

(d) A statement is attached. [Placed in Library, See L.T.—4109/65]

(e) Yes, Sir.

सांस्कृतिक अनुदान

1745. { **श्री कृ० चं० पन्त** :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उन सांस्कृतिक संस्थाओं / संगठनों के नाम क्या हैं जिन्हें क्रमश: 1962–63 तथा 1963–64 में आवर्तक अथवा अनावर्तक अनुदान दिये गये ,

(ख) क्या इन सभी संस्थाओं/संगठनों को प्रगति प्रतिवेदन देने के लिए कहा गया था,

(ग) उन में से कितनों ने वर्ष 1962–63 का प्रतिवेदन अभी तक नहीं दिया है, और इस के क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसी संस्थाओं/संगठनों को आगे अनुदान देना बन्द करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबीर): (क) 1962–63 और 1963–64 के दौरान 250 से अधिक सांस्कृतिक संस्थाओं/संगठनों को अनुदान दिया गया था और जैसे ही जानकारी प्राप्त हो जाएगी, सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) जी, नहीं । लेकिन उन्हें लेखों के जांच किए गए विवरण देने हैं, और इस आशय का एक प्रमाण-पत्र भी कि अनुदानों का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है जिन के लिए अनुदान दिए गए हैं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

अखिल भारतीय ललित कला एवं शिल्प समिति

1746. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री कृ० चं० पन्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय ललित कला एवं शिल्प समिति, नई दिल्ली द्वारा ऋण अदायगी के शर्तों के अनुसार अभी तक कोई रेहन नामे नहीं किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस विलंब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में शीघ्रता करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरतवीस) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). यह इन तथ्यों की वजह से उठने वाली कानूनी रुकावटों के कारण न किया जा सका —(i) समिति का भवन जिस भूमि पर बना है उसका चिरस्थायी पट्टा समिति को नहीं मिला था, था और (ii) म्युनिसिपल अधिकारी वर्ग द्वारा भवन का पूर्ति प्रमाण पत्र स्वीकृत नहीं किया गया । जिस पर भी अध्यक्ष के हितों की रक्षा करते हुए रेहन नामे न किए जाने तक ऋण अदायगी के समुचित कदम उठाए गए । समिति ने रिपोर्ट दी है कि रेहन नामे शीघ्र हो जाएंगे और इस विषय में कार्रवाई हो रही है ।

नागपुर के पास गन्दे पानी को साफ करने का संयंत्र

1747. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री कृ० चं० पन्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने गन्दे पानी को साफ करने तथा गन्दगी का उपयोग करने के बारे में कछ अनुसंधान करने के उद्देश्य से नागपुर के पास ओक्सिडेशन पौंड सहित एक क्षेत्र प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए अप्रैल 1959 में मंजूरी दे दी थी,

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रयोगशाला उचित रूप से कार्य कर रही है तथा कब से, और

(ग) उसकी उपपत्तियां क्या हैं तथा वर्तमान प्रणाली में सुधार करने के लिए इन्हें किस प्रकार उपयोग में लाया जा रहा है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नागपुर, का नियमित कार्यक्रम, गन्दे पानी को साफ करने तथा गन्दगी का उपयोग करने के काम का अनुसंधान है। इंस्टीट्यूट (संस्थान) ने नागपुर के निकट भांडेवाडी में, एक ओक्सिडेशन पौंड सहित लघु नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित की है।

(ख) यह तालाब 11 फरवरी, 1965 को शुरू किया गया था और ठीक तरह से काम कर रहा है।

(ग) इस विषय का अभी पूरा अध्ययन नहीं हुआ है।

राजस्थान में बहुप्रयोजनीय स्कूल

1748. **श्री कर्णीसिंह जी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में बहुप्रयोजनीय स्कूल खोलने के उद्देश्य से तीसरी पंच-वर्षीय योजना में अब तक राजस्थान सरकार को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): राजस्थान में बहुउद्देशीय स्कूल खोलने अथवा उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए तीसरी आयोजना के दौरान अभी तक कोई सहायता नहीं दी गई है।

विदेश जाने वाले उड़ीसा के छात्र

1749. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963-64तथा 1964–65 में भारत सरकार से ऋण लेकर कितने छात्र अध्ययन के लिए विदेश गए;

(ख) उन में से कितने उड़ीसा के थे; और

(ग) उड़ीसा के छात्रों को कुल कितना ऋण दिया गया ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरतबीस) :

(क) 1963–64 : 23
1964–65 : 31

(ख) कोई नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में किसान विज्ञान मंदिर

1750. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1961–62 से 1964–65 तक उड़ीसा राज्य में कितने विज्ञान मन्दिर स्थापित किये गये ;

(ख) इस कार्य के लिए उक्त अवधि में कुछ धनराशि दी गई;

(ग) क्या इस कार्य के लिए 1965–66 में उड़ीसा सरकार को कोई अनुदान या ऋण दिया गया है या दिया जाने वाला है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) इस अवधि में कोई नया विज्ञान मंदिर स्थापित नहीं किया गया ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ). 1961–62 से 1964–65 तक कोई नया विज्ञान मंदिर नहीं खोला गया । अतः 1965–66 में या उस से पहले कोई अनुदान देने का प्रश्न नहीं उठता । फिर भी भविष्य में स्वीकृत सहायता के प्रतिरूपानुसार, उड़ीसा सरकार द्वारा जो नए विज्ञान मंदिर खोले जाएंगे, उन्हें अनुदान दिया जाएगा ।

स्पेशल-सब-जेल विय्यूर, केरल

1751 **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्पेशल सब-जेल, विय्यूर, केरल, के ऐसे कमरों में जहां नज़र-बन्दों को रखा जाता है, छत के पंखे लगवाये हुए हैं ;

(ख) क्या नज़रबन्द अपने रेडियो सेट का प्रयोग कर सकते हैं ;

(ग) क्या नज़रबन्दों को रात्रि में अपने-अपने कमरों में रखा जाता है ;

(घ) क्या नज़रबन्दों ने ऐसी प्रार्थना की है कि उन्हें गर्मियों में रात को जेल के आंगन में सोने की अनुमति दी जाये ; और

(ङ) क्या सरकार को नज़रबन्दों के लिये पंखों और रेडियो की व्यवस्था करने तथा गर्मियों में रात को उन्हें आंगन में सोने की अनुमति देने में कोई आपत्ति है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) नज़रबन्दों को अपने खर्च पर टेबल फ़ैन इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी गई है ।

(ख) जेल में रात्रि के 9.15 बजे तक नज़रबन्दों के रेडियो सुनने की व्यवस्था है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जी, हां । किन्तु सुरक्षा की दृष्टि से नज़रबदों को आंगन में सोने की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

(ङ) ऊपर, (क), (ख) और (घ) के उत्तरों को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्पेशल-सब-जेल, विय्यूर, केरल

1752. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्पेशल सब-जेल, विय्यूर केरल, में गैर मलयाली नज़रबन्द हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें वह भोजन दिया जाता है जिसे खाने के वे आदि हैं ;

(ग) क्या उन्होंने प्रार्थना की है कि उन्हें अपने राज्य की जेलों में भेजा जाये; और

(घ) क्या सरकार का विचार उनकी प्रार्थना स्वीकार करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ). गैर-मलयाली नज़रबन्दों को उन के राज्यों की जेलों में भेज दिया गया है । उन्हें जेल में रहते समय वही भोजन दिया गया था जिसके वे आदि थे ।

शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी

1753. **श्री मानवेन्द्र शाह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कितने विश्वविद्यालय हैं जिन में परीक्षा का माध्यम हिन्दी है है और किस कक्षा तक ;

(ख) देश में ऐसे कितने विश्वविद्यालय हैं जिन में हिन्दी एक अनिवार्य विषय है और किस कक्षा तक ;

(ग) देश में ऐसे कितने विश्वविद्यालय हैं जिन में हिन्दी ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है और किस कक्षा तक ; और

(घ) क्या केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हिन्दी के ज्ञान का विशिष्ट स्तर प्राप्त होने तक हिन्दी को अनिवार्य विषय बनाने के बारे में कोई निदेश भेजा है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) से (ग) तक सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) जी नहीं ।

लड़कियों की शिक्षा

1754. **श्री सिद्दय्या :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की लड़कियों की शिक्षा के प्रसार के लिए कोई विशेष योजनायें हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री म० क० चागला) : (क) और (ख). अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की लड़कियों के लिए विशेष तौर पर आरक्षित कोई योजना नहीं है । किन्तु, तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के पिछड़े वर्गों के खंड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लड़कों और लड़कियों के मध्य शिक्षा-प्रसार के लिए 2881 लाख रुपये 48 पैसे की रकम की विशेष तौर पर व्यवस्था की गई है । यह व्यवस्था मैट्रिक के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की योजना वाली व्यवस्था से भिन्न है और शिक्षा योजनाओं के सामान्य खंड में उपलब्ध व्यवस्था के अतिरिक्त है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पद सुरक्षित करना

1755. **श्री सिद्धय्या** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पद सुरक्षित करने के लिए सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, संविहित तथा अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं को हिदायतें जारी की हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने पद सुरक्षित कर दिये हैं ; और

(ग) 1 मार्च, 1965 को इन में से प्रत्येक संस्था में प्रत्येक पदाली में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के कितने व्यक्ति काम कर रहे थे तथा इस तारीख को कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) गृह मंत्रालय ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को ऐसी कोई हिदायतें सीधे नहीं दीं । हां, गृह-मंत्रालय ने सम्बन्धित प्रशासकीय मंत्रालयों से अनुरोध किया है कि वे उनके नियंत्रण के अधीन आने वाले उपक्रमों को केन्द्रीय सरकारी सेवाओं के समान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पद सुरक्षित करने के लिये हिदायतें दें । संविहित तथा अर्ध-सरकारी संस्थाएं आम तौर पर इन आदेशों के अनुसार ही आचरण करती हैं। प्रशासकीय मंत्रालयों को तो 1954 में संविहित संस्थाओं को, जो उस समय इन आदेशों का पालन नहीं कर रही थीं , उनका पालन करने के आदेश देने के लिये कहा गया था बशर्ते कि सम्बन्धित परिनियम में ऐसे आदेश जारी करने की इजाज़त हो। यदि किसी खास मामले में सम्बन्धित परिनियम पद-सुरक्षा सम्बन्धी आदेशों का पालन करने का आदेश नहीं देता था, तो सम्बन्धित मंत्रालयों से अनुरोध किया गया था कि वे परिनियामक प्राधिकारियों से उन्हें लागू करने की सिफारिश करें।

(ख) और (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली में स्कूल फीस

1756. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली के

कुछ स्कूलों में अपनी फीस सितम्बर, 1964 में 12 रुपये से बढ़ाकर जनवरी, 1965 में 54 रुपये 50 पैसे कर दी है ;

(ख) क्या कोई ऐसी व्यवस्था है कि जिस के अन्तर्गत बढ़ाई गई फीस लिये जाने से पहले, उसकी जांच की जाती हो ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). जहां तक उन उच्च माध्यमिक, मिडिल और प्राथमिक स्कूलों का संबंध है, जो दिल्ली प्रशासन अथवा स्थानीय निकायों द्वारा मान्यता-प्राप्त और सहायता-प्राप्त हैं ; फीसें दिल्ली प्रशासन द्वारा विनियमित की जाती हैं। प्राइवेट और गैर-सहायता-प्राप्त स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीसों पर दिल्ली प्रशासन का फिलहाल कोई नियंत्रण नहीं है ।

लाटरियां

1757. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 9 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1188 जो लाटरियां चलाने के बारे में था, के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त हो चुके हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) निर्णय राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है ।

बरौनी हल्दिया तेल पाइप लाइन

1758. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री बाल्मीकी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी से हल्दिया तक तेल पाइप लाइन बिछाने के काम में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) (क) और (ख). जी हां । पाइप लाइन की कुल 522 किलो मीटर लम्बाई में से लगभग 320 किलो मीटर लाइन बिछा दी गई है ।

(ग). 1965 के अन्त तक ।

Admission in Colleges

1759. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have suggested to the Universities to admit students on the basis of selection;

(b) whether central universities have been given clear instructions to work on this basis; and

(c) the reaction of other Universities in this regard ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) and (b). No, Sir. Each University, whether Central or State, is competent to prescribe its own rules governing admission of students to its different courses.

In April, 1961, the suggestion made by the Standing Committee of the Inter-University Board of India that the admissions should be made to the Central Universities on an all India basis on merit was communicated to these Universities.

Again in August, 1962, on the recommendation of the National Integration Council, the University Grants Commission, at the instance of the Government of India, requested all Universities to amend their existing rules of admission, wherever necessary, to ensure that admissions are determined on the basis of academic merit and suitability for the courses and no student, who is otherwise qualified, be denied admission bacause of his/her caste, class, creed, place of birth and residence or other extraneous considerations. It was also emphasised that admissions should be fair and impartial and free from the operation of "influences and pressures".

(c) The Universities that sent their comments to the University Grants Commission, have expressed their general agreement with these recommendations.

म्यूनिसिपल बोर्ड का लड़कों का हायर सेकेन्डरी स्कूल, रीडिंग रोड, नई दिल्ली

1760 { श्री दाजी :
श्रीमती विमला देवी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) म्यूनिसिपल बोर्ड का लड़कों का हायर सेकेन्ड्री स्कूल, रीडिंग रोड़, नई दिल्ली में अध्यापकों की मंजूर संख्या कितनी है और पिछले छः महीनों से कितने अध्यापक काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या स्कूल प्राधिकारियों ने रिक्त स्थानों को भरने के लिये कोई प्रार्थना की थी; और

(ग) यदि हां, तो कब और उस पर नई दिल्ली नगरपालिका ने बहुत समय तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) अध्यापकों की स्वीकृत संख्या 43

सितम्बर, 1964 से फरवरी 1965 तक सेवाधीन अध्यापकों की संख्या 42

(ख) और (ग). रिक्त स्थान को भरने की प्रार्थना 23 नवम्बर, 1964 को प्राप्त हुई थी । पद खाली रहा क्योंकि पद के लिए चुने गए चार उम्मीदवारों में से कोई नहीं आया । 24 फरवरी, 1965 से रिक्त स्थान पर नियुक्ति कर दी गई है ।

केरल में वेतन भोगी वर्ग का आन्दोलन

1761. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० र० चक्रवर्ती :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में वेतन-भोगी वर्ग ने अन्तरिम सहायता तथा वेतन-क्रमों पर पुनर्विचार की अपनी मांगों को मनवाने के लिये आन्दोलन करने की धमकी दी है ;

(ख) क्या केरल सरकार ने इन मांगों को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार से विशेष वित्तीय सहायता के लिये प्रार्थना की है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी सहायता मांगी है और सरकार ने उस पर क्या निश्चय किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). राज्य सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों के वेतन तथा महंगाई भत्ता आदि बढ़ाने के ख़र्च में केन्द्रीय सहायता के रूप में 3.5 करोड़ रुपये की राशि चालू वित्तीय वर्ष में मांगी है । यह खर्च इस प्रकार का है कि राज्य सरकार के साधनों से पूरा किया जाना चाहिये । और खास तौर पर इस उद्देश्य के लिये कोई सहायता देना सम्भव नहीं हो सका । फिर भी राज्य सरकार की कठिन आर्थिक स्थिति को देखते हुए चालू वर्ष 1964-65 में दो करोड़ रुपये का ऋण राज्य के योजना व्यय की मद में अतिरिक्त सहायता के रूप में मंजूर कर दिया गया ।

भारत संयुक्त अरब गण राज्य के सांस्कृतिक कार्यक्रम

1763. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में संयुक्त अरब गण राज्य सांस्कृतिक शिष्टमण्डल भारत आने वाला है ;

(ख) क्या उसके आगमन का मुख्य उद्देष्य भारत और संमुक्त अरब गण राज्य के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को अन्तिमरूप देना है ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग).. प्रश्न ही नहीं उठते ।

बेनजीन संयंत्र का लगाया जाना

1764. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **पैट्रोलियम** और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेनजीन संयंत्र लगाने में सहायता देने के लिये भारत सरकार तथा इटली की एक फर्म के बीच करार हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) करार के कब लागू होने की संभावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां ।

(ख) करार के अन्तर्गत फर्म संयंत्र के लिए उपकरण एवं सामग्री के विस्तृत इंजीनियरिंग प्रदाय को करेगी और कोयाली शोधनशाला (गुजरात राज्य) के समीप इसके निर्माण कार्य की देख भाल करेगी । देशीय उपलब्ध सामग्री एवं उपकरणों का यथा सम्भव अधिक मात्रा में प्रयोग किया जायेगा । परियोजना के लिए विदेशी विनिमय की आवश्यकता, भारत को इ० एन० आई० द्वारा दिए गए ऋण से पूरा किया जायेगा । यूनिट प्रतिवर्ष 33,000 टन बेनजीन और 14,000 टन टोलीन (Toluene) का उत्पादन करेगा ।

(ग) मार्च, 1965 के अन्त से करार लागू होगा ।

Indian Council for Cultural Relations

1765. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether he is aware of certain allegations regarding gross financial irregularities in the Indian Council for Cultural Relations and favouritism by senior officers of the council in the matter of appointments;

(b) whether there are any indications to this effect in the financial reports for the years 1962-63 and 1963-64;

(c) whether it is a fact that the economic assistance to the Council for popularising Hindi in foreign countries has not been properly utilised;

(d) whether there are no spacific service rules for employees working in the Council; and

(e) if so, the action taken by Government in the matter ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir. Some anonymous complaints received by the Ministry were investigated and found to be baseless.

(b) The report for 1962-63 does not contain any gross financial irregularities or any mention of favouritism. The report for 1963-64 is under examination and no opinion can be expressed at this stage.

(c) No, Sir.

(d) & (e). The service rules have been finalised and were approved by the Council's Governing Body on 23-2-65 for adoption.

Committees or Commissions on Education

1766. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of Education Commissions or Committees constituted during the last fifteen years which were entrusted with the work of suggesting educational reforms and changes;

(b) the number of those of them whose reports have been received and the action taken thereon; and

(c) the number of reports still under consideration and when decisions would be taken thereon ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the table of the House in due course.

शिक्षा के प्रसार के लिये सहायक-यंत्र

1767. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "यूनेस्को" शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत को दृश्य-श्रव्य तथा अन्य सहायक यंत्र देने के लिए तैयार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) ऐसा सामान जो कि आवश्यक है यूनेस्को के साथ किए गए समझौते के अधीन प्राप्त किया जाएगा ।

"अच्छे" स्कूलों को सहायता

1768. महाराजकुमार विजय आनन्द : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन हायर सेकेन्डरी स्कूलों को सहायता देने के लिए कोई योजना बनाई है जो शिक्षा वर्ष में "बहुत ही अच्छे परिणाम" प्राप्त करके दिखाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मोटी-मोटी बातें क्या हैं ; और

(ग) इस योजना को कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

New University in Assam

1769 Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up two Universities in the State of Assam;

(b) if so, their location and when thay will be established; and

(c) the expenditure to be incurred thereon ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) In addition to one University which is being set up by the State Government, the Government of India are considering the recommendations of the Committee jointly appointed by the University Grants Commission and the Ministry of Education to establish a Central University or an Institution to be "deemed" as a University for the North Eastern Region of India, catering to the Hill areas of Assam also.

(b) The State Government has already introduced a Bill in the Legislative Assembly to set up a University at Dibrugarh in the Lakhimpur District of Assam. It will take some time before the Bill is enacted and the preliminaries to start the University are worked out. As ragards the proposed university for the North Eastern Region is concerned, no decision has been taken so far as to when and where it will be established.

(c) A total expenditure of about Rupees four crores is estimated for the university being established by the State Government. Estimates in regard to the other proposal for setting up a Central University or a "deemed" University have not yet been worked out.

विशेष पुलिस विभाग की पुरी शाखा

1770. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष पुलिस विभाग की पुरी शाखा ने 1964-65 में अब तक उड़ीसा में राज्य तथा केन्द्र के कितने सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जांच की ; और

(ख) उक्त अवधि में कितने मामलों में जांच पूरी की गई है और दंड दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4110 / 65]**

उड़ीसा को प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए अनुदान

1771 **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में उड़ीसा सरकार को माध्यमिक शिक्षा के लिए वास्तव में कितनी धनराशि के अनुदान और ऋण दिये गये ; और

(ख) 1965-66 में उस राज्य को इस प्रयोजन के लिये कितनी धन राशि देने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) माध्यमिक शिक्षा में सुधार की केन्द्र संचालित योजना हेतु 1964-65 के दौरान उड़ीसा के लिए 3.49 लाख रुपये की राशि नियत की गई है । इस प्रयोजन के लिए कोई ऋण नहीं दिया गया है ।

(ख) 1965-66 वर्ष के लिए अभी कोई राशि नियत नहीं की गई हैं ।

त्रिपुरा में अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा

1772. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिपुरा में आदिम जातियों के लिये अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा करने की मांग के बारे में, जैसा ढेबर आयोग ने निर्धारित किया था कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) और (ख). सरकार को त्रिपुरा में कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिये कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । इस बारे में अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित आदिम जाति क्षेत्र आयोग की सिफारिशें उसकी रिपोर्ट के अनुच्छेद 47.9 अध्याय 49 तथा सिफारिशों के सारांश में अध्याय 8 की सिफारिश संख्या 9 और 10 (जिनके उद्धरण संलग्न हैं) में दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिय संख्या एल० टी० 4111/65]** ढेबर आयोग द्वारा सुझाये गये विकल्प को, जिसमें कहा गया है कि आदिम जाति क्षेत्रों को आदिम जाति विकास खंडों के अन्तर्गत रख दिया जाय, सरकार ने स्वीकार कर लिया है । इसलिये त्रिपुरा में किसी क्षेत्र को अनुसूचित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में हिन्दी का विकास

1773. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में उड़ीसा में हिन्दी के विकास के लिये उस राज्य के किन स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान दिया गया था ;

(ख) इसी अवधि में प्रत्येक के लिये कितनी-कितनी धन राशि मंजूर की गई ;

(ग) क्या स्वीकृत धन राशि पूरी-पूरी खर्च की गई है अथवा अब तक कितनी रकम खर्च की गई है ; और

(घ) 1965-66 में मंजूर की गई या की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) उत्कल प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, कटक ।

(ख) 5,580 रुपये ।

(ग) अपेक्षित सूचना अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि अनुदान की शर्तों के अनुसार सभा को, जंचे हुए लेखे और उपयोगिता प्रमाण-पत्र 20-5-1965 तक प्रस्तुत करने हैं ।

(घ) 1965-66 वर्ष के लिए अनुदान देने हेतु, स्वेच्छिक हिन्दी संस्थाओं के आवेदन पत्र अभी उड़ीसा सरकार से आने हैं ।

Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes

1774. **Dr. Ram Manohar Lohia** :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have issued an order discontinuing the system of reservation of seats for Scheduled Castes in the competitive examination to be held for the departmental candidates for class I and II posts;

(b) whether it is a fact that this order will not apply to those examinations for which the rules were framed before November, 1963;

(c) if so, whether this order was also applied to that examination which was held in the first half of 1964 for Section Officers in the Central Secretariat; and

(d) whether it is also a fact that this order is not being applied to a similar type of examination for which the rules were framed in October-November, 1961 and which was scheduled to be held in March, 1962 but it is now going to be held in April, 1965 ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) & (b). Orders have been issued on 8th November, 1963 according to which there is no reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in appointments made by promotion to a class II or a higher service or post on the basis *inter alia* of competitive examinations limited to departmental candidates. These orders take effect from 8th November, 1963 except where selections by the Departmental Promotion Committee under the old orders had already been made, or rules for competitive examination published before 8th November, 1963.

(c) Rules for the competitive examination for promotion to the Section Officers' Grade (Class II posts) in the Central Secretariat Service held in February, 1964 were published before 8th November, 1963 and, therefore, reservation was made for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in that Examination.

(d) The examination scheduled to be held in March, 1962 departmentally by the Ministry of Railways was not held at that time. The U.P.S.C. are now holding a limited competitive examination for departmental candidates for promotion to the Section Officers' Grade in the Railway Board Secretariat Service in May, 1965. Rules for this examination were published on 3-10-1964, *i.e.* long after 8.11.1963, and therefore no reservation can be made for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in this axamination in terms of the orders of 8-11-63 referred to above.

Nagar Haveli

1775. **Shri Baswant** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the time upto which Nagar Haveli will be administered by the Centre;

(b) whether there are certain obstacles of international character at present; and

(c) whether there is any proposal to change the existing set up ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) & (b). There is no proposal to change the existing set up of Nagar Haveli.

(b) No, Sir.

नजरबन्द संसद् सदस्यों द्वारा भेजे गये अभ्यावेदन

1776. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल तथा आन्ध्र प्रदेश राज्यों में नज़रबन्द संसद्-सदस्यों ने अपने अपने राज्य की सरकार तथा केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन दिये हैं कि भारत सुरक्षा अधिनियम, 1962 की धारा 44 को ध्यान में रखते हुए उन्हें संविधान के अनुच्छेद 85 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 17 फरवरी, 1965 से बुलाये गये संसद् के सत्र में भाग लेने की अनुमति दी जाये ;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन किस तारीख को किये गये ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार को तारीख 31 जनवरी, 1965 का एक अभ्यावेदन आंध्र प्रदेश के श्री कोल्ला वैंकैय्याह से प्राप्त हुआ था किन्तु उसमें भारत सुरक्षा अधिनियम, 1962 की धारा 44 का कोई हवाला नहीं था ।

(ग) उन्हें सूचित कर दिया गया था कि किसी संसद् सदस्य के लिये ऐसी अवस्था में जब वह गिरफ्तारी या निरोधक नज़रबन्दी के कारण संसद के अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ हो, तब राष्ट्रपति द्वारा सदन की बैठक बुलाने पर, उसमें उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है ।

Nehru Speeches in Text Books

1777. **Shri D. S. Patil** :
Shri Tulsidas Jadhav :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the speeches made by Shri Nehru on the demise of Gandhiji and also on the occasion of Independence are proposed to be included in the text books of Higher Secondary schools and of colleges; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in this connection ?

Minister of Education (Shri M.C. Chagla): (a) & (b). It has been decided to incorporate both the speeches in a suitable form and at appropriate levels in the Hindi and the English text books, being prepared by the Central Institute of English and the National Council of Educational Research and Training.

Title of Mahamahopadhyaya

1778. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the period during which the title of Mahamahopadhyaya was awarded;

(b) the State-wise names of persons to whom this honour has so far been awarded year-wise; and

(c) the reasons for discontinuing to award this title in future ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) Since its institution in 1887 to 1946.

(b) The collection of this information will involve labour and expense which will not be commensurate with the results achieved.

(c) As a title, its conferment will attract the provisions of Article 18 of the Constitution of India.

त्रिभुवन विश्वविद्यालय की उपाधियों को मान्यता देना

1779. श्री बाल्मीकी :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री मधु लिमये :
श्री मु० मो० हक :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अपने यहां नौकरी के मामले में त्रिभुवन विश्वविद्यालय (नेपाल) की उपाधियों को मान्यता देती है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इनको मान्यता देने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) जी, नहीं ।

(ख) सरकार इस मामले पर विचार कर रही है और यथा शीघ्र निर्णय कर लिया जायेगा ।

Steel Dealers of Motia Khan, Delhi

1780. **Shri D. N. Tiwary**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the houses and business premises of steel dealers of Motia Khan, Delhi were searched on the 5th March, 1965;

(b) if so, the reasons therefor and the number of houses and business premises searched; and

(c) the details of goods seized in the search ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) :(a) Yes, Sir.

(b) In connection with investigations in the 31 cases under Section 7 of the Essential Commodities Act registered at Police Stations Paharganj and Hauz Qazi, in respect of alleged acquisition and sale of iron and steel materials, 29 business premises and 32 residential premises were searched.

(c) No goods were seized in the course of these searches but various documents and racords were taken charge of.

गोविन्द बल्लभ पन्त पालिटेक्निक, नई दिल्ली

1781. **श्री राजदेव सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोविन्द बल्लभ पन्त पालिटेक्निक, ओखला, नई दिल्ली में कितनी छात्रवृत्तियां अभी देना बाकी है और कितने समय से वे नहीं दी गई हैं ; और

(ख) संभवत: कब तक इनका भुगतान हो जायगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) कोई भी छात्र-वृत्ति देनी बाकी नहीं है । सभी छात्रवृत्तियां नियत की जा चुकी हैं ।

(ख) कार्यक्रम के अनुसार भुगतान किया जा रहा है ।

इंजीनियरों की संस्था (भारत)

1783. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियरिंग की संस्था (भारत) के 45वें वार्षिक सम्मेलन में क्या क्या मुख्य टिप्पणियां और सुझाव रखे गये ; और

(ख) उन्हें ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या निश्चय किये हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स (भारत) से, सरकार को इस संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य अन्दमान में बस सेवा

1784. **श्री मुहम्मद इलियास** :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य अन्दमान में बाकुलतलां और रंगत के बीच कोई बस

सेवा नहीं है जिस के कारण उस क्षेत्र के लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख). बाकुलतलां और रंगत के बीच साफ मौसम में बस चलती है । इस रास्ते पर रंगत नदी पर पुल बन जाने के बाद हर मौसम में चलने वाली एक नियमित बस सेवा शुरू करने के प्रश्न पर विचार किया जायगा ।

अंदमान में रंगत पर पुल

1785. **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान में रंगत नहर के ऊपर पुल बनाने का काम पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण-कार्य पूरा होने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख). रंगत नदी के ऊपर स्थायी पुल के लिये स्थान निश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि इस नदी की धारा अक्सर अपना मार्ग बदल लेती है। हां, एक अस्थायी पुल का निर्माण लगभग पूरा हो चला है ।

मध्य अंदमान में रंगत अस्पताल

1786. **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य अन्दमान के रंगत अस्पताल में कोई महिला डाक्टर तथा एम्बुलेंस नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख). रंगत के हस्पताल में एक पुरुष डाक्टर है। इस क्षेत्र की आबादी बहुत कम है ; अतः एक पुरुष डाक्टर के अलावा एक महिला डाक्टर को भी नियुक्त करना बिल्कुल उचित नहीं है। मरीजों को ले जाने के लिये ऐम्बुलेंस की बजाय दो ट्रालियों का प्रबन्ध किया गया है।

'Grih Kalyan Kendra'

1787. **Shri Daljit Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of 'Grih Kalyan Kendra' as also the places where they have been opened so far;

(b) the nature of training and facilities being given therein;

(c) whether trainees are given some work by which they could earn their livelihood; and

(d) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) The number of Grih Kalyan Kendras so far opened is 52 as mentioned below:—

Delhi/New Delhi	43
Madras	5
Bombay	2
Dehra Dun	2

The location of the above centres is given in the attached statement. **[Placed in Library. See No. L.T. 4112/65].**

(b) Training is imparted in crafts like tailoring and embroidery to women dependents of Central Government Employees. Sewing machines, cloth and other accessories are provided by Grih Kalyan Kendra. Educational and Cultural activities are also organised to widen the outlook of women so as to better the community life in Government colonies.

(c) Yes.

(d) The knowledge and skill imparted/learnt at the Grih Kalyan Kendra Centres help the trainees to make garments for members of their families. The scheme also provides job work on home industry basis in stitching and knitting for augmenting the family income. For this purpose, the Organisation undertakes to execute bulk stiching orders for Government Departments and get them stitched mostly by trainees or other women of Government employees families.

मलकागंज दिल्ली में भूमि का पट्टा

1788. **श्री शिव चरण गुप्त** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मलकागंज, दिल्ली में भूमि का बिक्री मूल्य 25 रु० प्रति वर्ग गज़ निश्चित किया था और विस्थापित व्यक्तियों को निश्चित अवधि में भुगतान करने पर 10 प्रतिशत छूट दी थी ;

(ख) क्या यह सच है कि विस्थापित व्यक्तियों को उनके द्वारा पहले पांच वर्षों में दी गई दर पर पट्टे की राशि का भुगतान करना था ;

(ग) क्या यह सच है कि छूट समाप्त कर दी गई है और पट्टे की राशि बढ़ी हुई दर पर मांगी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो ये रियायतें कब वापस ली गई थीं और क्या यह प्रेस में अधिसूचित किया गया था ?

पुनर्वास मंत्री (श्री महावीर त्यागी) : (क) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, 1955 के परिशिष्ट 11 के अनुसार मलकागंज में रिहायशी क्वार्टरों के अधीन पट्टे के संशोधित नियम के आधार पर भूमि का आरक्षित मूल्य 25 रुपये से 27 रु० 50 पैसे प्रति वर्ग गज़ था। यह मूल्य 1954-55 में उस समय के बाजार भाव के आधार पर निश्चित किया गया था। भूमि के मूल्य पर 10 प्रतिशत की छूट दी गई थी।

(ख) (ग) और (घ). विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, 1955 के परिशिष्ट 12 के अनुसार क्वार्टरों के एलाटियों को भूमि के पट्टे के साथ पुरानी पट्टे की शर्तों के अनुसार पहले 5 वर्षों में भूमि के मूल्य पर 3 प्रतिशत जमीन का किराया देना पड़ता था। आगामी 15 वर्षों में एलाटियों को ऊपर दिये गये जमीन के किराये के अतिरिक्त 15 बराबर की किश्तों में भूमि की आधी कीमत चुकानी पड़ती थी। ऊपर दिये गये जमीन के किराये को 15 वर्षों में नहीं बढ़ाया गया है।

भूमि के मूल्य पर संशोधित पट्टे की शर्तों के आधार पर जो 10 प्रतिशत की छूट दी गई थी उसे, दिल्ली में भूमि के बाजार भाव के बढ़ जाने के कारण 20 मई, 1960 में बन्द कर दिया गया था। इस रियायत के बन्द करने के सम्बन्ध में प्रेस में अधिसूचना नहीं दी गई थी।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा

1789. **श्री दे० जी० नायक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा (श्रेणी 1) एसोसियेशन ने सेवा के प्रति किये गये पक्षपातपूर्ण व्यवहार के लिय मंत्रालय को अभ्यावेदन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा (श्रेणी 1) पदाधिकारियों को अन्य प्रशासनिक सेवाओं के समान पदोन्नति के अवसर दिये जायें उस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ला० ना० मिश्र) : (क) जी, हां। एसोसियेशन ने उपसचिव तथा उससे ऊपर के पदों में और ज्यादा भाग पाने की मांग की थी।

(ख) भेदभाव के बर्ताव के बारे में अभ्यावेदन का आधार तथ्यों के बारे में गलतफहमी था। केन्द्र में वरिष्ठ प्रशासकीय पदों के लिये चयन इन बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है (1) पदों के लिये आवश्यक योग्यताएं ; (2) चयन के क्षेत्र में उपलब्ध तथा उपयुक्त सभी अधिकारियों के अनुभव, पृष्ठ भूमि योग्यता तथा उपयुक्तता ; और (3) ऐसे अधिकारियों की अपनी-अपनी सेवाओं में वरिष्ठता। इस तरह नियुक्तियां इस आधार पर नहीं की जातीं कि व्यक्ति किस सेवा में है, अपितु उपरिलिखित मानदंडों के आधार पर की जाती हैं। इन मानदंडों में एक सेवा से दूसरी सेवा के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता।

Chemical Fertilizers

1790. **Shri Madhu Limaye** :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Rameshwaranand :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the chemical fertiliser production target for the next five years;

(b) the break-up of the target in respect of private and public sectors; and

(c) whether a part of it would have to be exported compulsorily ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan) : (a) & (b). The target of production of fertilisers during each year of the Fourth Plan period has not yet been finally fixed as the fertiliser programme to reach the target of production fixed for the Fourth Plan is being finalised. The objective is to reach a target of 2 million tonnes of Nitrogen, and 1 million tonnes of $P_2 O_5$, by the end of the Fourth Plan.

The estimated production during 1965-66 is given below :

	'000 tons	
	Nitrogen	$P_2 O_5$
Public	295	43
Private	13	137
By-product etc. (Public & Private)	17	..
Bone Meal & Ground rock-phosphate . . .	..	20
Total . . .	325	200

(c) No.

Arrests in Kashmir

1791. **Shri Madhu Limaye** :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Rameshwaranand :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of persons arrested under the Defence of India Rules in Kashmir as also the parties to which they belong; and

(b) whether prior intimation about these arrests was given to the Central Government ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) According to available information 249 persons were arrested for the period upto 10th March, 1965. The break-up is as follows :—

National Conference	1
Students' Youth League and Young Men's League .	7
D.N.C. (Democratic National Conference) . . .	4
Communist	1
Awami Action Committee	8
Plebiscite Front	228
Total	249

(c) No, Sir.

पुलिस कर्मचारियों के लिये मकान

1792. **श्री अ० व० राघवन** :
श्री पोट्टेकाट्टु :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों के लिये मकानों की व्यवस्था

करने के प्रयोजन से प्रत्येक राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई है ; और

(ख) प्रत्येक राज्य में कितने मकानों का निर्माण किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—4113/65]।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी।

इंजीनियरों तथा भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों के वेतन-क्रम

1794. **श्री ज० ब० सिं० बिष्ट :**
श्री बालकृष्ण सिंह :
श्री राजदेव सिंह :
श्री जेधे :
श्री सुमत प्रसाद :
श्री प्रताप सिंह :
श्री विश्वनाथ राय :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री बालकृष्ण वासनिक :
डा० प० मंडल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अधीन सभी विभागों में बी० ई० डिग्री प्राप्त ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो 800 रुपये या 1000 रुपये वेतन पर सेवा निवृत हो जाते हैं ; और

(ख) क्या भारतीय प्रशासन सेवा के कनिष्ठ वेतन-क्रम में कोई अधिकारी 800 रुपये से 1000 रुपये तक के वेतन पर सेवा निवृत होते हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) सिद्धांतरूप से, यह बात सम्भव है कि भारतीय प्रशासन सेवा के कनिष्ठ वेतन-क्रम में (जो 1000 रुपये तक जाता है) कोई अधिकारी कनिष्ठ वेतन-क्रम में रहता हुआ ही सेवा निवृत्त हो जाय। हां, गृह मंत्रालय को अभी हाल के वर्षों में इस प्रकार निवृत्ति के किसी मामले के बारे में ज्ञात नहीं है ।

School of Paper Technology, Saharanpur

1796. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 852 on the 4th March, 1964 and state :

(a) whether the School of Paper Technology that was proposed to be set up at Saharanpur with Swedish assistance has since been opened; and

(b) if so, the number of students receiving education in the school at present ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir. Since the building at Saharanpur has not yet been completed, temporary arrangements have been made for training of the students at the Government Industrial and Technical Institute, Lucknow. The training of students has started from 15th of January, 1965.

(b)	Diploma course .	14
	Certificate course . . .	24

शिक्षा मंत्रालय में विदेशी

1797. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन विभागों में कितने विदेशी काम कर रहे हैं;

(ख) उनमें से कितने विभागों के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं ;

(ग) क्या उनमें से कोई उन पदों पर तीन साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं ;

(घ) क्या उनमें से किसी ने 65 वर्ष की आयु सीमा पार कर ली है ; और

(ङ) क्या उनके स्थान पर भारतीय नियुक्त किये जायेंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) एक ।

(ख) एक ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) जी, हां ।

टिप्पणी : प्रश्न के भाग (क) में दिए गए अंक में नेपाल के निवासी शामिल नहीं हैं। क्योंकि उन्हें भारत सरकार में नौकरी करने की दृष्टि से विदेशी नहीं समझा जाता ।

स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरों में समान श्रेणियां

1798. **श्री गोपालदत्त मेंगी** :
श्री समनानी :
श्री अब्दुल ग़नी गोनी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक विश्वविद्यालयों ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरों पर विभिन्न श्रेणियों के लिये समूचे देश में अंकों की समान प्रतिशतता की वांछनीयता के बारे में अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड को लिखा है ; और

(ख) निर्णय करने तथा उसे क्रियान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) और (ख). बम्बई में 1963 में हुई अन्तर विश्वविद्यालय की 38वीं बैठक में कुछ विश्वविद्यालयों ने यह विषय विचारार्थ सुझाया था। बोर्ड ने तय किया कि उत्तर-स्नातक और डिग्री, दोनों स्तरों पर कला, विज्ञान और वाणिज्य के संकायों में परिणामों का वर्गीकरण अंकों की निम्नलिखित प्रतिशतता पर आधारित होना चाहिये :—

प्रथम श्रेणी (अथवा ग्रेड क)—न्यूनतम 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक

द्वितीय श्रेणी (अथवा ग्रेड ख)—न्यूनतम 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक

तृतीय श्रेणी (अथवा ग्रेड ग)—न्यूनतम 35 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्ड ने बैठक की कार्यवाही सभी विश्वविद्यालयों में परिचालित कर दी है। अब यह विश्वविद्यालयों पर निर्भर करता है कि जैसा उचित समझें कार्यवाई करें।

राष्ट्रीय जीव-विज्ञान प्रयोग शाला

1799. **श्री हेम राज** : क्या शिक्षा मंत्री 18 नवम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 139 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालमपुर, पंजाब के निकट राष्ट्रीय जीव-विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने में अब तक क्या प्रगति हुई ; और

(ख) इसकी इमारतों का निर्माण-कार्य कब तक आरम्भ होने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) राष्ट्रीय जीव-विज्ञान प्रयोगशाला के लिए जो भूमि चुनी गयी थी, वह अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

शेख अब्दुल्ला को चीन की यात्रा के लिये निमंत्रण दिये जाने के समाचार

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : मैं वैदेशिक-कार्य मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"चीन सरकार द्वारा शेख अब्दुल्ला को चीन की यात्रा के लिए निमंत्रण दिये जाने के समाचार और इस बारे में भारत सरकार की प्रतिक्रिया"।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) : चीन के उप-प्रधान तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री, मार्शल चेन यी को करांची के नगर निगम ने 27 मार्च, 1965 को जो भोज दिया था उसमें पाकिस्तान के वैदेशिक-कार्य मंत्री, श्री जेड० ए० भुट्टो ने यह घोषणा की थी कि चीन सरकार ने शेख अब्दुल्ला को चीन आने के लिये निमंत्रण दिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चीन सरकार का यह निश्चय, श्री चेन यी ने उन्हें अभी अभी बताया है।

सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि शेख अब्दुल्ला ने इसे स्वीकार कर लिया है । उनको जो पासपोर्ट दिया गया था उसमें चीन के लोक गणराज्य के लिये कोई पृष्ठांकन नहीं था ।

श्री कपर सिंह : क्या इस निमंत्रण का सम्बन्ध चीन द्वारा काश्मीर में जनमत संग्रह के समर्थन से है; और यदि हां, तो क्या उसकी पार्टी को विदेशों में भारत विरोधी प्रचार के लिये 35,000 रुपये की विदेशी मुद्रा दी गई थी ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस मामले में चीनी और पाकिस्तानी सांठ गांठ से कार्य कर रहे हैं और हो सकता है कि शेख को इससे प्रोत्साहन मिला हो । हम उनके चीन जाने को उचित नहीं समझते और हम शेख अब्दुल्ला को अपने विचारों से अवगत भी करा देंगे ।

श्री कपूर सिंह : आपने 35,000 रुपये की विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा ।

श्री स्वर्ण सिंह : यह धन उन्हें उचित कार्य के लिये दिया गया था, न कि भारत विरोधी प्रचार के लिये ।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Have the Government got any intelligence department which may give minute to intimate account of the anti-Indian activities of Sheikh Abdullah, besides the usual press reports?

Shri Swaran Singh : Yes, we know about his activities through our embassies.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : चीन की यात्रा का जो निमंत्रण शेख अब्दुल्ला को श्री भुट्टो द्वारा प्राप्त हुआ है, क्या भारत सरकार ने उस संबंध में उन्हें यह स्पष्ट रूप से बता दिया है कि यदि उन्होंने यह निमंत्रण स्वीकार किया, तो उनको भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन जेल भेज दिया जायेगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने पहले ही कहा है कि हमने शेख अब्दुल्ला के चेतावनी दे दी है कि उनका चीन जाना अच्छा नहीं होगा । उनके विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में उचित समय पर निश्चय किया जायेगा ।

श्री दाजी (इन्दौर) : क्या सरकार ने शेख अब्दुल्ला को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि वह चीन न जायें, जब कि उनके पासपोर्ट में यह नहीं दिया हुआ है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने पहले ही कह दिया है कि हम उन्हें कह देंगे । हमने अभी कहा नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : सरकार को इस सम्बन्ध में हिचकिचाहट किस बात की है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप लोग उनसे व्यवस्थित रूप से प्रश्न पूछेंगे, तो आपको अधिक जानकारी मिल सकेगी और मैं भी प्रयत्न कर सकता हूं कि आपको सूचना मिले । प्रश्न पूछते समय आपको शोर नहीं करना चाहिये । यदि प्रत्येक प्रश्न शांतिपूर्ण ढंग से पूछा जाय और उत्तर संतोषजनक न हो तो मैं भी सरकार से कह सकता हूं कि वह ठीक और संतोषजनक उत्तर दें ।

प्रधान मंत्री और अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : हमारा रवैया बिल्कुल स्पष्ट है । हम भरसक प्रयत्न करेंगे कि शेख अब्दुल्ला चीन न जायें ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : क्या यह सच नहीं कि सरकार इस स्थिति में इसलिये पहुंची है कि उसने शेख अब्दुल्ला को ऐसा पासपोर्ट देने की गलती की है जिसमें उन्हें कश्मीरी नागरिक नहीं बताया गया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : शेख अब्दुल्ला ने अपने आवेदन पत्र में यह घोषित किया था कि :

> "विदेश यात्रा के लिये मैं भारतीय पासपोर्ट के लिये आवेदन करता हूं। मैं सत्यनिष्ठा से प्रमाणित करता हूं कि मैंने न तो भारत की नागरिकता छोड़ी है और न ही उससे वंचित किया गया हूं।"

इस प्रमाणपत्र पर उनके हस्ताक्षर हैं। यह सच है कि उन्होंने एक कालम में अपने आप को काश्मीरी मुस्लिम बताया है। एक आवेदन पत्र में उन्होंने अपने आप को जम्मू तथा काश्मीर राज्य का प्रथम श्रेणी का नागरिक बताया है। (**अन्तर्बाधाएं**)

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। मंत्री महोदय के पास जो सूचना है उसे वह दे रहे हैं। आप उसे पहले सुन लीजिये और फिर उसकी आलोचना कीजिये अथवा अपने टिप्पण दीजिये।

श्री स्वर्ण सिंह : यह सूचना उन्होंने अपने पिता की नागरिकता वाले कालम में दी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वतंत्रता से पहले जम्मू और काश्मीर राज्य में कई श्रेणियों के नागरिक थे। इसी प्रसंग में उन्होंने यह सूचना दी थी। हमें इसकी उसी समय जांच करनी चाहिये थी। परन्तु दुर्भाग्यवश हमने जांच नहीं की। परन्तु भविष्य में हम इसका ध्यान रखेंगे।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : The hon. Minister is not giving a straight forward reply. The question is whether Sheikh Abdullah declared him self an Indian citizen? I want that a straight and clear reply should be given.

श्री अल्वारेस (पंजिम) : शेख अब्दुल्ला को चीन के निमंत्रण से यह स्पष्ट है कि काश्मीर के सम्बन्ध में नया राजनैतिक आक्रमण किया जा रहा है। इस परिस्थिति को देखते हुए क्या सरकार अपने दूतावासों को यह आदेश दे रही है कि वह शेख अब्दुल्ला के पासपोर्ट पर चीन के लिये पृष्ठांकन न करें ?

श्री स्वर्ण सिंह : प्रधान मंत्री ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि उन्हें चीन नहीं जाने दिया जायेगा।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : इस तथ्य को देखते हुए कि इस निमंत्रण की घोषणा पाकिस्तान से हुई है, क्या सरकार शेख अब्दुल्ला को बता दिया है कि यदि वह चीन गये तो न केवल उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया जायेगा बल्कि उन्हें भारत भी नहीं आने दिया जायेगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : यदि वह चीन न गये तो बात समाप्त हो जाती है। परन्तु यदि वह चीन गये, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही स्थिति को देखते हुए की जायेगी। जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है हमें शायद उससे कुछ अधिक करना पड़े।

श्रीमती सावित्री निगम (बांदा) : क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार से औपचारिक रूप में विरोध प्रकट किया है कि वह एक भारतीय नागरिक को पथभ्रष्ट क्यों कर रहा है ?

श्री स्वर्ण सिंह : पाकिस्तान से विरोध प्रकट करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि हम उसकी नीतियों को भली प्रकार जानते हैं ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : The officer concerned had returned the passport because Sheikh Abdullah had shown himself as Kashmiri Citizen; but later on at Minister's level it was decided that he should be given a passport. And is it not a fact that he had applied for a passport for Pakistan during the regime of late Prime Minister and our government gave him a passport for all the countries?

श्री स्वर्ण सिंह : पहला पासपोर्ट भी पाकिस्तान के अतिरिक्त अन्य देशों के लिये पृष्ठांकित था । मैंने पहले भी कह दिया था कि उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी भारतीय नागरिकता का प्रमाणपत्र दिया था ।

Mr. Speaker : The members should not try to speak together. It will become difficult for me to conduct the proceedings in this way. The member should only say that he wants to raise a point of order; he should not speak without my permission. Now let Shri Ram Sewak say what is his point of order?

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : A straight forward question was put to the hon. Minister that whether it is a fact that the passport officer returned the application of Sheikh Abdullah for passport because he had mentioned in his application his citizenship as Kashmiri Muslim? But the hon. Minister has not given a straight reply to it. He is trying to give some legal arguments. I want your ruling on it.

Mr. Speaker : There is no point of order. Is the Minister prepared to say something?

Shri Swaran Singh : It is not a fact that some officer returned the application.

Shri Raghunath Singh (Varanasi) **:** I want to know what nationality was mentioned by Shri Sheikh Abdullah in his application for passport for Haj and whether he was issued a new passport or the old one was renewed?

Shri Swaran Singh : No separate passport is issued for Haj. The passport issued for Saudi Arabia is valid for Haj also.

Shri Raghunath Singh : What nationality was mentioned by Shri Sheikh Abdullah in his application for Haj?

Shri Swaran Singh : I would like to have some notice.

अध्यक्ष महोदय : अब श्री हेम बरुआ अपना व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं ।

श्री हेम बरुआ: शेख अब्दुल्ला को जो पासपोर्ट दिया गया था वह भारत-पाकिस्तान पासपोर्ट था । पासपोर्ट के नियमों के अनुसार पासपोर्ट का अन्य देशों के लिये पृष्ठांकन नहीं किया जा सकता । अब यह प्रश्न दूसरे सदन में उठाया गया था तो राज्य मंत्री ने बताया था कि शेख अब्दुल्ला को पासपोर्ट देने के प्रश्न पर निर्णय प्रधान मंत्री और वैदेशिक कार्य मंत्री ने किया था । परन्तु विदेश मंत्री ने, कुछ दिन हुए, हमें यह बताया था कि शेख अब्दुल्ला को पासपोर्ट उनके विदेश मंत्री बनने से पहले दिया

[श्री हेम बरुआ]

गया था। आज वह कहते हैं कि जो पासपोर्ट पंडित नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को पाकिस्तान के लिये दिया था, उसमें अन्य देशों के लिये पृष्ठांकन था या नहीं, वह नहीं जानते। अतः उनका कथन काफी विसंगत है । इसलिये मैंने यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया है ।

श्री रंगा (चित्तूर) : अभी उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय की भूल के कारण शेख अब्दुल्ला ने अपने माता पिता की नागरिकता के सम्बन्ध में जो असंतोषजनक प्रमाणपत्र दिया था उसकी जांच न हो सकी । दूसरे सदन में यह बताया गया था कि यह राजनैतिक निर्णय है । दूसरे, जो सूचना उन्होंने सभा को अब दी है वह उन्हें बहुत पहले स्वयं देनी चाहिये थी न कि श्री प्र०रं० चक्रवर्ती के प्रश्न पूछने पर । और जिस प्रकार सरकार, अध्यक्ष महोदय, आपको और हमें उत्तर दे रही है वह संतोषजनक नहीं है ।

Mr. Speaker : Does Shri Bagri want to raise any point of order?

Shri Bagri (Hissar) : The External Affairs Minister, while replying to the debate, informed the House that Sheikh Abdullah had declared himself a first class citizen of Kashmir. It is a sort of slur on the Country that a Kashmiri is a first class citizen of India. On what basis he was granted Rs. 35,000 after his release from the jail, while a Member of Parliament is granted Rs. 6,000 only.

Shri Rameshwaranand(Karnal) : Is it not the utter foolishness of the Government that granted the passport and a sum of Rs. 35,000 to Sheikh Abdullah, whose reputation is very well known in the Country?

Mr. Speaker : None of the points of order can be called a point of order. A point of order should be raised when some rule has been violated.

Shri Bagri has laid great stress on first class citizen and he wants it to be expunged from the proceedings. The hon. Minister has stated that a classification for citizenship was there in Kashmir before independence. It may be that there was some sort of classification for citizenship in Kashmir before independence. I do not know what is the point of order. If the hon. Member want to raise this question of Rs. 35,000 they can raise it when the demands for grants of the Ministry of External Affairs are taken up House.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : I had also given a Calling Attention Notice.

Mr. Speaker : I do not have your name, but the hon. Member may ask the question.

Shri Prakash Vir Shastri: Has any information been received by the External Affairs Ministry from our High Commission in London that the Pakistani High Commissioner organised the press conference for Sheikh Abdullah in London and a purse of £ 32,000 was presented to Sheikh Abdullah by the Kashmiri Muslims; and Sheikh Abdullah announced that he would soon announce independent Kashmir for the money presented to him?

Shri Swaran Singh : He had connections with the embassies in London and Paris and his statements about Kashmir are most objectionable.

Mr. Speaker : What about the purse presented to him?

Shri Saran Singh : We have no knowleege about the purse presented to him there.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, डाक तथा तार, 1965 आदि

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, डाक तथा तार, 1965। **[सभा-पटल पर रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—4103/65]**

(2) विनियोग लेखे, डाक तार, 1963-64 **[सभा-पटल पर रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—4104/65]**

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियम

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर): मैं तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 की धारा 10 के अन्तर्गत पैट्रोलियम तथा गैस प्राकृतिक (संशोधन) नियम, 1965 की एक प्रति, जो दिनांक 6 मार्च, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर०, 339 में प्रकाशित हुई थी सभा पटल पर रखता हूं। **[सभा-पटल पर रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—4095/65]**

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तगत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) दिनांक 6 मार्च, 1965 की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 327 में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि) संशोधन नियम, 1965

(2) दिनांक 6 मार्च, 1965 की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 328 में प्रकाशित भारतीय असैनिक सेवा भविष्य निधि (संशोधन) नियम, 1965

(3) दिनांक 6 मार्च, 1965 की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 329 में प्रकाशित भारतीय असैनिक सेवा (गैर-योरोपीय सदस्य) भविष्य निधि (संशोधन) नियम, 1965।

(4) दिनांक 6 मार्च, 1965 की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 330 में प्रकाशित राज्य सचिव की सेवायें (सामान्य भविष्य निधि) संशोधन नियम, 1965। [सभा-पटल पर रखी गईं। देखिए संख्या एल० टी० 4105/65]

संघ लोक सेवा आयोग (परमार्श स छूट) संशोधन विनियम

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (5) के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 1965 की एक प्रति, जो दिनांक 20 मार्च, 1965 की अधिसूचना संख्या जी एस०आर० 431 में प्रकाशित हुए थे, एक व्याख्यात्मक टिप्पण के साथ सभा पटल पर रखता हूं। [सभा-पटल पर रखी गईं। देखिए संख्या एल० टी० 4106/65]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का

इकसठवां प्रतिवेदन

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

Sixty First Report

श्रीकृष्ण मूर्ति राव (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों तथा विधेयकों सम्बन्धी समिति के इकसठवें प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता हूं।

याचिकाओं का उपस्थापन

PRESENTATION OF PETITIONS

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur) : Sir, I beg to present two petitions signed by a petitioner relating to the Central Excises and Salt Act, 1944, and the rules made thereunder.

संघ राज्य क्षेत्र (लोक सभा के लिये प्रत्यक्ष निर्वाचन) विधेयक, 1965

UNION TERRITORIES (DIRECT ELECTION TO THE HOUSE OF THE PEOPLE) BILL, 1965

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री हाथी): श्री नन्दा की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक सभा में कुछ संघ राज्य-क्षेत्रों के लिये नियत स्थानों को भरने के लिये वहां पर प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाली विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक-सभा में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिये नियत स्थानों को भरने के लिये वहां पर प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था ; ले पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री हाथी : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

अनुदानों की मांगें

DEMANDS FOR GRANTS

संचार विभाग

वर्ष 1965–66 के लिये संचार विभाग की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
101	संचार विभाग . .	9,88,000
102	समुद्रपारीय संचार सेवा .	1,44,46,000
103	डाक और तार विभाग (कार्य-चालन व्यय) .	1,16,95,23,000
104	डाक और तार विभाग द्वारा सामान्य राजस्व में दिया जाने वाला लाभांश और राजस्व निधियों में विनियोग . . .	8,62,96,000
105	संचार विभाग का अन्य राजस्व व्यय .	22,65,000
148	डाक और तार पूंजी परिव्यय (राजस्व से देय नहीं)	45,09,17,000
149	संचार विभाग का अन्य पूंजी परिव्यय . .	29,33,000

श्री दाजी (इन्दौर) : तीसरी योजना के समाप्त होने व चौथी योजना के आरम्भ होने के साथ-साथ विभाग का कार्य बहुत बढ़ गया है । लेकिन विभाग के विरुद्ध अनेक शिकायतें हैं । इस समय स्थिति यह है कि न तो विभाग में काम करने वाले और न ही उपभोक्ता पूर्णत: सन्तुष्ट हैं । इसका कारण यह है कि डाक और तार बोर्ड को स्वायत्तशासी अधिकार प्राप्त नहीं हैं । सही अर्थ में यह बोर्ड नहीं है और इसका काम मामलों को गृह-कार्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को भेजने का है ।

[श्री दार्जे]

मैं याद दिला दूं कि प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री, जो उस समय संचार मंत्री थे, के सुझाव पर 1959 में यह बोर्ड स्थापित किया गया था। 28-3-1958 को श्री शास्त्री ने कहा था कि यदि ऐसे नियमों तथा वित्तीय नियंत्रणों द्वारा विभाग के काम में बाधा डाली जायेगी तो यह आगे प्रगति नहीं कर सकेगा। इस आधार पर यह बोर्ड स्थापित किया गया था। वास्तव में इसकी स्थिति एक ऐसे हब्शी के समान है जिसके माता-पिता का पता नहीं होता।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बोर्ड को वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त रहीं हैं। बोर्ड का वित्त सदस्य वित्तीय मामलों पर निर्णय नहीं कर सकता। यहां तक कि कुछ संवर्गों का पुनर्गठन, टेलीफोन स्विच बोर्ड चालकों के लिये मानक आदि जैसे छोटे छोटे मामले भी गृह-कार्य मंत्रालय अथवा वित्त मंत्रालय को भेजने पड़ते हैं। जब इसे निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं है तो इसका क्या लाभ है। यदि हम अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या तथा अर्थ-व्यवस्था की सेवा करना चाहते हैं और डाक तथा तार को जनता के लिये सच्ची सेवा बनाना चाहते हैं तो इसका शीघ्र पुनर्गठन करना चहिये। इसे रेलवे बोर्ड के समान पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करनी चाहिये।

1962 में वित्त मंत्रालय ने नियत निधि में व्यय का समंजन करने के मामले में मंत्रालयों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान की थी लेकिन इस बोर्ड को यह शक्ति नहीं दी गई। वित्त मंत्रालय का इसके साथ व्यवहार एक ईर्षालू सास के समान है। यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि इस प्रकार के व्यवहार से देश का हित नहीं होगा और डाक तथा तार बोर्ड कुशलता से कार्य नहीं कर सकता है।

दूरसंचार सेवाओं में प्रतिवर्ष बचत होती रही है। लेकिन इस वर्ष इसमें 2 करोड़ का घाटा दिखाया गया है जबकि डाक सेवा में अच्छी बचत दिखाई गई है। यह घाटा वास्तविक नहीं है, यह तो लेखे का चातुर्य है। हमें इस बात की जांच करनी चाहिए कि दूरसंचार सेवायें, जो डाक तथा तार विभाग का आय कराने वाला प्रभाग है उसमें बचत ही नहीं बल्कि काफी बचत क्यों नहीं हुई। इसका पहला और मुख्य कारण यह है कि सारा प्रशासनिक ढांचा गलत, पुराने ढंग का तथा अकार्य-कुशल है। पिछले वर्षों में बकाया बिलों की राशि 40 या 50 लाख रुपये हुआ करती थी लेकिन पिछले वर्ष यह 1 करोड़ रुपये थी और इस वर्ष 3 करोड़ रुपये है। ऐसा इसलिये हुआ कि यूनियन की सलाह के विरुद्ध बिल बनाने का एक नया तरीका चालू किया गया। 5 करोड़ रुपये के बिल अब भी भेजने शेष हैं। नौकरशाह कहते हैं कि अधिक अधिकारी नियुक्त करो व और पद बनाओ। यह नौकरशाही बुद्धपन का प्रत्यक्ष उदाहरण है। तकनीकी कर्मचारियों की तुलना में अन्य कर्मचारियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। सभी स्थानों पर तकनीकी कर्मचारियों की 15–20 प्रतिशत कमी है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक ओर तो मुझे नागरिकों की शिकायतें रखनी पड़ती हैं कि सेवायें कार्यकुशल नहीं हैं तथा दूसरी ओर सही ढंग से व कुशलता से अपना कर्त्तव्य निभाने में कर्मचारियों की कठिनाईयों का उल्लेख करना पड़ता है।

कैसे गलत प्रणालियां चालू की गई हैं इसका एक और उदाहरण है। कुछ समय पूर्व यह निश्चय किया गया कि टेलीफोन मीटर तीन महीने में एक बार पढ़े जायेंगे। देश भक्त कर्त्तव्य निभाने वाले कर्मचारियों ने फिर कहा कि यह प्रणाली ठीक नहीं है। लेकिन उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। परिणाम यह हुआ कि अनेक टेलीफोनों के मामलों में तीन महीने में मीटरों में एक चक्कर पूरा हो गया था और जब मीटर देखे गये तो सूई से दूसरे अथवा तीसरे चक्कर का थोड़ा सा भाग

पता लगा। इससे विभाग को लाखों रुपये की हानि हुई क्योंकि यह पता नहीं लग सकता था कि एक चक्कर पूरा हो गया था और नया चक्कर आरम्भ हो चुका था या नहीं। जब कर्मचारियों ने इस ओर ध्यान दिलाया तो उनसे कहा गया कि विभाग को चलाने के बारे में सलाह देना उनका काम नहीं है।

हाल में दिल्ली कार्यालय ने कुछ सांकेट विशिष्ट विवरण के अनुसार न होने के कारण अस्वीकार कर दिये थे। सामान वास्तव में विशिष्ट विवरण के अनुसार नहीं था लेकिन बम्बई कार्यालय ने इसे स्वीकार कर लिया। लगभग 40–50 लाख रुपये के मूल्य का रद्द सामान पड़ा हुआ है। मैं यह सब यह दिखाने के लिये कहता हूं कि कितनी कौतूहलजनक प्रणाली है। सबसे पहले तो भुगतान दूसरे कार्यालय द्वारा किया जाता है। रद्द सामान 40 अथवा 50 प्रतिशत मूल्य पर नीलाम किया जाता है जो वही ठेकेदार खरीदकर नये माल के रूप में विभाग को बेच देते हैं।

पिछली बार हमने यह बताया था कि अनेकधा (मल्टिपिल) वांरवारता पद्धति के लिये बैल कम्पनी का टेंडर अधिक मूल्य का होने पर भी गलत ढंग से स्वीकार किया गया था। माननीय मंत्री श्री अशोक सेन ने कहा था कि तकनीकी समिति ने सर्वसम्मति से टेंडर स्वीकार करने की सिफारिश की थी। लेकिन तकनीकी समिति की बैठक की कार्यवाही से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ये टेंडर बहुमत से अस्वीकार कर दिया गया था। इस मामले पर पुनर्विचार होना चाहिए। बड़े आश्चर्य की बात है कि इस मामले में डाक तथा तार बोर्ड से परामर्श नहीं किया गया जो इस पद्धति का संचालन करता है तथा इसका प्रयोग करता है। बैल कम्पनी 11/2 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी डाक प्राधिकारी को यह बताने में असमर्थ है कि पुरानी व नई पद्धति में अर्न्तसंचार किस प्रकार होगा। इस पद्धति से प्रत्येक टेलीफोन पर 40 रुपये अधिक व्यय होगा। 1.20 करोड़ रुपये के व्यय का बिल विभाग उठायेगा अथवा उपभोक्ता से वसूल किया जायेगा? अगर यही स्थिति है तो दूरसंचार सेवा में सुधार नहीं हो सकता।

कर्मचारियों की मांगों के बारे में मंत्री महोदय और डाक तथा तार बोर्ड के प्रधान द्वारा सहायक तथा रचनात्मक रवैया अपनाने के लिये मैं उनका धन्यवाद करता हूं। फिर भी कुछ चौंधियां देने वाली बातें हैं। केवल चार प्रतिशत कर्मचारियों को क्वार्टर दिये गये हैं। विभाग ने चौथी योजना में क्वार्टरों के लिये 120 करोड़ रुपये की मांग की थी लेकिन 15 करोड़ रुपये दिये गये हैं। चौथी योजना के अन्त में प्रतिशतता और भी कम हो जायेगी। कर्मचारियों की कमी की बारहमासी समस्या है। पर्याप्त तकनीकी कर्मचारी न होने के कारण विभाग सुचारू रूप से काम नहीं कर सकता। कभी कभी अधिकारियों को काम के नये तरीके सूझते हैं। लाइनमैनों के लिये जीप चलाई गई थी लेकिन इनका प्रयोग अधिकारियों के बच्चों को स्कूल ले जाने के लिये किया जा रहा है। और फिर 25 हजार अनियत कर्मचारियों का प्रश्न है। हम अधिक कुछ नहीं चाहते, केवल रेलवे की तरह ऐसा नियम होना चाहिये कि छः महीने की सेवा के बाद उनको स्थायी कर दिया जाये। अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की अलग समस्या है जिनकी संख्या लाखों में है। 18, 20 अथवा 30 रु० वेतन पर इनसे काम की क्या आशा की जा सकती है। इस पर विचार करना चाहिए।

तार जांच समिति ने 1958 में अपना प्रतिवेदन दिया था लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस मामले में विभाग की शीघ्रता से काम करना चाहिए इससे पहले कि कर्मचारी किसी अन्य रूप में अपना असंतोष प्रकट करें। इसी प्रकार कर्मचारियों की दिन प्रतिदिन की

[श्री दाजी]

समस्याओं को निबटाने का प्रश्न है। माननीय मंत्री महोदय ने एक सम्मेलन में बातचीत के दौरान कहा था कि उन्हें कर्मचारियों की क्षमता व देशभक्त भावना का विश्वास है। लेकिन इस विश्वास को पूरा करने के लिये उन्हें कम से कम आवश्यक सुविधायें देनी चाहिएं। मेरी प्राधिकारियों से प्रार्थना है कि कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनायें। एक संसदीय समिति स्थापित की जानी चाहिए जो उन्नत तकनीक तथा देश की संभावनाओं व आवश्यकता को ध्यान में रखकर विभाग के कार्यों, संगठन तथा आवश्यकताओं आदि पर विचार करें।

श्री सोलंकी (कैरा) : अध्यक्ष महोदय मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि डाक तथा तार विभाग व संसद् कार्य विभाग के लिये अलग अलग मंत्रालय होने चाहिए। जबसे डाक तथा तार बोर्ड स्थापित हुआ है इसका कार्य वास्तव में वित्त तथा गृह मंत्रालय देखते रहे हैं। जैसा श्री दाजी ने कहा कि रेलवे बोर्ड की तरह डाक तथा तार बोर्ड भी देश को काफी राजस्व प्राप्त कराने में समर्थ हैं लेकिन वित्त तथा गृह मंत्रालयों द्वारा लगाये गये नियंत्रणों के कारण यह अक्षम है। इस वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन व बजट से पता लगता है कि विभाग की आय केवल अपनी मांगों को पूरा करने के लिये ही पर्याप्त है।

इस वर्ष राजस्व 141 करोड़ रुपये हुआ लेकिन बहुत सी राशियां बकाया हैं। इसका कारण दूसरे मंत्रालय का हस्तक्षेप है। यदि बोर्ड को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाता तो ऐसा नहीं होता। मोटर डाक सेवा के बारे में मुझे अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मई, 1963 में छंटाई तथा विमान डाक विभाग ने सुपरिन्टेंडेंट श्री कैलाश प्रकाश ने एक योजना रखी थी जिससे विभाग को दिल्ली में मोटर डाक सेवा में प्रतिवर्ष 1,61,000 करोड़ रुपये की बचत होने की आशा थी। इस योजना को कार्यरूप नहीं दिया गया। मैं अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार की बचत करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यदि हम कुछ मार्गों पर कुछ तंग गलियों में बड़ी मोटरों के स्थान पर छोटी मोटरों का प्रयोग करें तो इसके प्रतिवर्ष 21,66,468 रुपये की बचत हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस विभाग में नौकरशाही चल रही है और ऊंचे अधिकारी मोटरगाड़ियों पर काम करने वाले कर्मचारियों से सलाह लेने में हीनता अनुभव करते हैं।

तीसरी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात, जिस पर मंत्रालय को तुरन्त ध्यान देना चाहिए, वह यह है कि काश्मीरी दरवाजा के बड़े डाकघर के निकट बीच सड़क पर एक पैट्रोल पम्प है जिसके कारण एक भंयकर दुर्घटना हो जाती। किसी भी समय दबाब से उत्पन्न गैस के इक्ट्ठा होने से विस्फोट हो सकता है जिससे जीवन तथा सम्पत्ति की भारी क्षति होगी। इस पैट्रोल पम्प को सड़क के बीच से हटाना चाहिए।

डाक मोटरगाड़ियों के अनेक टायर घिस जाते हैं और उनके स्थान पर नये टायर मांगे जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पुराने टायर ही काम में लाये जाते हैं और पता नहीं नये टायरों का क्या होता है। फिर कुछ मास पश्चात नये टायर मांग लिये जाते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। एक अन्य मामले की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। डाक तथा तार विभाग की एक मोटरगाड़ी नम्बर डी० एल० डी 2510 के 10,000 रु० के मूल्य के कुछ पुर्जे एक अधिकारी की निजी मोटर नम्बर एन० डी० एल० 1084 में लगा दिये गये जिसके फलस्वरूप सरकारी गाड़ी बेकार हो गई। मोटरगाड़ियों के पुराने पुर्जों के स्थान पर अच्छे पुर्जे नहीं लगाये जाते जो अधिक समय तक काम नहीं देते। पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखने वाले शीशे घटिया किस्म के लगाये गये जिससे 44 दुर्घट-

नाओं के परिणामस्वरूप डाक तथा तार विभाग को 50,000 रुपये की हानि हुई । एक मामले में ड्राइवर ने दोष अपने सिर ले कर सरकार के 1 लाख रुपये बचाये लेकिन उसको बधाई देने की अपेक्षा उससे मुअत्तिल कर दिया गया और बाद में उसे एक अस्थायी नौकरी दी गई । इस मामले से संबंधित कागजात मेरे पास हैं जिन्हें मंत्री महोदय चाहें तो देख सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे इतने बड़े विभाग के प्रत्येक मामले की जानकारी रखें । ऐसे मामलों में पूर्व सूचना देना आवश्यक है ताकि मंत्री महोदय तैयार रहें तथा मुझे भी जानकारी हो । वे इतनी अधिक बारीकी में जा रहे हैं कि मंत्री महोदय से उत्तर की आशा नहीं की जा सकती फिर माननीय सदस्य शिकायत करेंगे कि उनकी बात का उत्तर नहीं दिया गया ।

श्री सोलंकी : तार सेवाओं में अधिक कुशलता की आवश्यकता ह । अनेक देशों में, जैसे जापान, टैलीफोन सेवा का वाणिज्यिकरण करने से विभाग को बहुत सा राजस्व प्राप्त हुआ है । यहां भी ऐसा ही करना चाहिए । यहां टेलीफोनों की बहुत मांग है और यदि टेलीफोन सेवाओं का विस्तार किया जाये तो डाक तथा तार विभाग को बहुत लाभ होगा और इस समय हो रही हानि पूरा हो जायेगी । टेलीफोन कार्यालय सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे हैं । मेरे निर्वाचन क्षेत्र कैरा में, जो जिले का मुख्यालय है, एक पास के 20 मील दूर कस्बे से टेलीफोन मिलाने में टेलीफोन कार्यालय को 30 से 40 मिनट तक लग जाते हैं जबकि सड़क परिवहन के द्वारा वहां 15 मिनट में पहुंचा जा सकता है । इस सम्बन्ध में अनेक शिकायतें की गई हैं । मैं मंत्रालय से इसकी जांच करने की प्रार्थना करूंगा । मंडल नामक स्थान में एक टेलीफोन कार्यालय खोला गया है लेकिन स्थानीय प्राधिकारी दूरस्थ को टेलीफोन करने में परेशान करते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ धन मांगा था जो उनको नहीं दिया गया ।

रेल डाक व्यवस्था की क्षेत्रीय पुनर्गठन योजना असफल रही है और इससे रेल डाक व्यवस्था के कार्य में अधिक कठिनाईयां उत्पन्न हुई हैं । मंत्रालय को इस योजना को रद्द कर देना चाहिये ।

डाक विभाग के तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को जो वर्दियां दी जाती हैं वो बहुत ही भद्दी और कम चलने वाली होती हैं । जिस प्रकार रेलवे और अन्य विभागों को चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को मिल के कपड़े की वर्दियां मिलती हैं उस प्रकार इनको भी मिल के कपड़े की वर्दियां मिलनी चाहियें । फिलहाल उनको खादी की वर्दियां मिलती हैं जो बहुत ही घटिया किस्म की होती हैं । इससे कर्मचारियों में बहुत असंतोष है । मैं चाहता हूं कि इसकी जांच की जाय ।

दिल्ली के बड़े डाकघर की दशा बहुत ही खराब है । वहां का फर्नीचर टूटा फूटा पड़ा है । वहां पर इससे अच्छा फर्नीचर होना चाहिये और कर्मचारियों को अधिक सुविधायें मिलनी चाहियें ।

जब 1956–60 में सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल की थी तो ब्रिटेन की तरह यहां भी बिट्ले कौंसिल बनाने की बातचीत चल रही थी । परन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ नहीं हुआ है । यदि इन कौंसिलों की स्थापना हो जाय तो कर्मचारियों और सरकार के पारस्परिक सम्बन्ध अच्छे हो सकते हैं और सभी समस्यायें सुलझाई जा सकती हैं ।

[श्री सोलंकी]

डाक विभाग के कर्मचारियों को सार्वजनिक छुट्टियों में कार्य करने का अतिरिक्त भत्ता मिलना चाहिये यदि उनको अतिरिक्त भत्ता नहीं मिल सकता तो उन्हें यह छुट्टियां मिलनी चाहियें। उनको रात्रि में कार्य करने के लिये भी अतिरिक्त भत्ता मिलना चाहिये।

डाक और तार विभाग में 2.5 लाख कर्मचारी हैं और 1.5 लाख आकस्मिक श्रमिक, परन्तु उनके लिये केवल 18,000 मकान बनाये गये हैं जो बहुत कम हैं। चौथी योजना में नये मकान बनाने के लिये 120 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी परन्तु उसे अब घटाकर 15 करोड़ कर दिया गया है। मंत्री महोदय को अधिक धन की व्यवस्था करनी चाहिये।

जिस प्रकार रेलवे देश के राजस्व का एक बहुत बड़ा भाग दे रहा है उसी प्रकार डाक तथा तार विभाग कर सकता है यदि इसका पूरी तरह से फायदा उठाया जाय।

Shri R. S. Pandey (Guna) : The services rendered by the Post and Telegraphs Department have been satisfactory.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : There is no quorum in the House.

Mr. Speaker : Now there is quorum in the House.

Shri R. S. Pandey : These services are reaching the huts even in the remotest villages. I am also grateful to Shri Satya Narayan Sinha for establishing a P.M.G. Circle in Madhya Pradesh; he went to Bhopal and assured the establishment of this P.M.G. Circle.

With the assistance of $4\frac{1}{2}$ lakh workers and a capital outlay of Rs. 205 crores this department is doing day and night service. 41,000 postmen daily distribute 15 million letters. We must thank the P.& T. Board for rendering this service.

While the investment on a single steel plant is Rs. three to four hundred crores, the total outlay on this service is Rs. 205 crores. It is providing a revenue of 110 crores and an income of Rs. 98 crores. I hope Shri Satya Narayan Sinha will try to improve this service.

We have very few telephones as compared to those anywhere in the world. There are 27 countries where there are more than 5 lakh Telephones and our standing in that list is 27th. While there are 7 lakh Telephones in our country, in Tokyo city alone there are 17 lakh telephone connections. There are 4 lakh applications for telephone connections which are still pending. You must try to improve the situation. A Corporation can be set up to meet the shortage of telephones. I am stressing it because the economic development of any country depends on how easily and quickly are people able to communicate among themselves.

If an improvement is made in the micro-wave system introduced by you, we can introduce direct dialling system for long distance calls, *i.e.* Delhi-Bombay, Bombay-Calcutta, Calcutta-Assam. Our telephone system is primitive as compared with other parts of the world. Telephone is a commercial as well as a public utility service. We should, therefore, be courteous to the subscribers and attend to their complaints quickly.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

I want to draw your attention to the States Reorganization Commission Report that although the area of Madhya Pradesh is increasing yet it is devoid of modern facilities. If these modern facilities, *e.g.* Roads, Railway Communications etc., are not provided, it will lag behind in economic development. I would, therefore, request that you should try to provide the maximum facilities which you can provide to Madhya Pradesh. You must try to get sanctioned Rs. 700 crores in the Fourth Five Year Plan so that you can provide 13 lakh telephone connections in the fourth plan.

There has been a marked improvement in the services since 1948. There has been an increase of 199 per cent in the number of employees, an increase of 356 per cent in post offices etc. Seeing this improvement there is hope that there will be more and more improvement in the services.

P. & T. Board is not paying due attention to the needs of its employees. A postman who has to go from village to village, hardly gets Rs. 103 and there is no satisfctory provision for his housing also. There are many places in the interior of Madhya Pradesh where the postman has to travel through miles and miles of jungle. I want to suggest that in all the dacoit infested areas, a special delivery system through the police station should be devised. This area is providing a number of soldiers to the army and those people send money orders.

There is no teleprinter service in Madhya Pradesh, attention should be paid towards it. There should be a telephone office in each headquarter in the tribal areas.

I want to mention something about the savings bank account. When a person opens an account, there is no provision that he should nominate the next of Kin, with the result that Rs. 1,82,98,813 are lying unaccounted. The Public Accounts Committee has suggested that when a person opens an account, he should be asked to give the name of his legal heir also.

The Jabalpur workshop which manufactures poles had to suffer a loss of Rs. 1 crore and 50 lakhs because an order for poles was placed with a private firm instead of this workshop. It should be investigated into.

संचार विभाग की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
103	9	श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल और महाराजा सयाजीराव गायकवाड के स्मारक टिकट जारी करने की आवश्यकता	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
103	10	श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	महत्वपूर्ण राज्य परिवहन बसों पर पत्र डालने की पेटियां लगाने की आवश्यकता	100 रुपये
103	11	श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	गांवों में डाक बांटने की वारंवारता बढ़ाने की आवश्यकता	100 रुपये
103	12	श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंजों को आधुनिक बनाने और उनका विस्तार करने और बड़े शहरों को और अधिक टेलीफोन देने की आवश्यकता	100 रुपये
103	13	श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	प्रशासनिक तथा कार्य संचालन कार्यालयों के कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने के लिये प्रशिक्षण बढ़ाने की आवश्यकता	100 रुपये
108	14	डा० मा० श्री० अणे	सेन्ट्रल सर्किल, नागपुर को इसके वर्तमान रूप में अधिक कायम रखने की आवश्यकता	100 रुपये
104	15	डा० मा० श्री० अणे	अधिशेष को विकास निधि तथा राजस्व रक्षित निधि में अन्तरित करने की नीति	100 रुपये
105	16	डा० मा० श्री० अणे	राष्ट्रीय संकट, विशेषकर हवाई हमले से बचाव के अधीन, और अनुश्रवण संगठनों से सम्बन्धित व्यय के लिये अपर्याप्त व्यवस्था	100 रुपये
101	20	श्री दाजी	भोपाल में मध्य प्रदेश सर्किल स्थापित करने में विलम्ब	100 रुपये
101	21	श्री दाजी	इन्दौर में टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत बनाने में विलम्ब	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
101	22	श्री दाजी	टेलीफोन बिलों की काफी बकाया रकमें वसूल करने की आवश्यकता	100 रुपये
101	23	श्री दाजी	पदाधिकारियों की संख्या में अनावश्यक वृद्धि जिससे विभाग का खर्च अत्यधिक बढ़ जाता है	100 रुपये
101	24	श्री दाजी	क्रॉस-बार प्रणाली की तकनीकी कठिनाइयां	100 रुपये
101	25	श्री दाजी	अतिरिक्त विभागीय डाक कर्मचारियों की सेवा की दशाएं	100 रुपये
101	26	श्री दाजी	त्रिचूर नगर में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज बनाने की आवश्यकता	100 रुपये
101	27	श्री दाजी	सभी डाक कार्यालयों को किसी मध्यवर्ती स्थान में एक जगह रखने के लिये त्रिचूर में कई मंजिलों वाली एक इमारत बनाने की आवश्यकता	100 रुपये
101	28	श्री दाजी	त्रिचूर में डाक-तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने की आवश्यकता	100 रुपये
101	29	श्री दाजी	त्रिचूर में टेलीफोन एक्सचेंज के कर्मचारियों को शयनागार की यथोचित सुविधायें देने के लिये कार्यवाही करने की आवश्यकता	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
101	30	श्री दाजी	त्रिचूर जिले में पलप्पिल्ली बागान क्षेत्र में टेलीफोन और तार की सुविधायें देने की आवश्यकता	100 रुपये
101	31	श्री दाजी	त्रिचूर जिले में टेलीफोन लगाने के सम्बन्ध में आवेदन पत्रों को शीघ्र निबटाने की आवश्यकता	100 रुपये
101	32	श्री दाजी	डाक-तार कर्मचारियों के लिये पर्याप्त और आवश्यक सुविधाओं का अभाव	100 रुपये

उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं।

Shri Bishwanath Roy (Deoria) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the charge of an hon'ble Member a few minutes back, claiming himself to be a socialist or communist, that the Ministry has suffered a heavy loss, appears to me not only improper but also surprising enough. It is not a big industry or business with huge capital. Whatever loss is there it is not as a result of misuse of funds. The hon'ble Member should not lose sight of the fact that this expenditure is incurred with the object of benefitting the masses living in the rural and backward areas. Therefore, the criterion for judging the usefulness of such expenditure should be whether this objective has been achieved. The post and telegraph services have been speedily and adequately extended throughout the country whether it be Ladakh or NEFA. In these circumstances I feel that more facilities and funds should be made available to the Ministry so as to enable it to extend the facilities to the villages.

There is a mention in the report of the Department that now there are 96,596 post offices in the villages whereas a few years back this facility was available only in 22,116 villages. But there is cause for slight discontentment as the mail is delivered in some places not more than once or twice in a week while there is provision for daily delivery of mail. It happens because the local authorities do not pay due attention to the village post offices. The Government should look into it more effectively that their decisions are properly implemen tedby the officers so that people in the villages may also fully utilise these facilities.

I am glad to say that you have not only increased the facilities for despatch of mail but also the telephone facilities have been increased rapidly. The

Indian Telephone Industries Ltd., have reached a stage when in addition to catering the needs of the country they are exporting some of their products to other countries as well. I shall suggest that we should increase our production and try to capture market in the newly independent and developing countries of Africa. It will also yield some foreign exchange. With this end in view a factory should be established in the private sector during the Fourth Plan since the resources for the Fourth Plan are limited.

Similarly there has been considerable progress in providing teleprinter facilities. But still in some big cities this facility is not available as is the case with Gorakhpur where a daily newspaper could not be started for the last 15-16 years for want of teleprinter arrangement though the paper is badly needed by the rural population around Gorakhpur.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Mr. Deputy Speaker, Sir, there is no quorum in the House.

Shri Bishwanath Roy : Some of the zones have at present been so organised that a part of one State falls in the zone of another State. I may submit that keeping it in mind the zones should be reorganised so as to avoid delay in the delivery of telegrams.

I have already paid my compliments to the Government for opening new village post offices. The organisation is growing with the increase in postal facilities. But the old British system of sending mail bags is still being followed . I feel that if at some places mail bags are sent by road these will reach the public much earlier and perhaps result in reduction of expenditure as well. I am full of praise of the Government and the Ministry for the progress achieved in handling of mail. Of course there have been a few cases of delay but while handling so many letters it is quite natural. But in spite of such mistakes the public feels that in the matter of mail a poor has got facilities equal to a millionaire.

On behalf of Parliament Patel Committee had insisted Eastern U. P. and North Bihar, which are very backward and had recommended increase in postal facilities. Government should pay attention to it. In the end I shall state a few words about Deoria District. Though telephone facilities have been increased, yet due to carelessness of local authorities public has to face difficulties. There is a place Sahibganj, which is a big jute marketing centre but there is no telephone facility. There are many such other towns where extension of telephone facility would help them very much in their buiness. I hope that my suggestions would be sympathetically considered by the Ministry.

श्री वासप्पा (तिपतुर) : उपाध्यक्ष महोदय, डाक तथा तार विभाग के व्यापक क्षेत्र तथा अंग्रेजों से उत्तराधिकार में प्राप्त कमियों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इस दिशा में जो प्रगति हुई है वह मामूली बात नहीं है । हमें बताया गया है कि हाल में योरुप में हुई अन्तर्राष्ट्रीय डाक संघ कांग्रेस में भारत एक उप-प्रधानके रूप में चुना गया तथा कार्यकारिणी समिति व प्रबन्ध समिति में भी कुछ स्थान प्राप्त हुए । इस विभाग के सफलतापूर्वक कार्य करने के

लिये मैं विभाग में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को बधाई देता हूं। मंत्री महोदय ने अपने अनौपचारिक दृष्टिकोण तथा व्यावहारिक सूक्ष्म बुद्धि से विभाग को एक नया रूप दिया है जिससे यह विभाग जनता के अधिक निकट आयेगा।

कर्मचारियों के कल्याण के लिये अनेक कल्याण बोर्ड बनाये गये हैं। उनको अधिक क्वार्टर व मकान प्रदान किये जायेंगे। नेहरू जी को श्रद्धाजलि सारे भारत में हुए अनेक धार्मिक सम्मेलनों तथा अन्य अनेक समारोहों के अवसर पर विभाग ने महत्वपूर्ण कार्य किया। हाल में मनाया गया डाक तथा तार सप्ताह देश की जनता के लिये बहुत शिक्षाप्रद था। खेलों में भी विभाग आगे रहा है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Mr. Deputy Speaker, Sir, there is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : कोरम की घंटी बजाई जा रही है। अब कोरम हो गया है।

श्री बासप्पा : डाक तथा तार के आधुनिक तरीकों के आधार पर विकास के लिए 600 करोड़ रुपये से भी अधिक की आवश्यकता है और जो राशि दी गई है वह कुल आवश्यकता के आधे से भी कम होगी। सारे भारत में 7 लाख टेलीफोन हैं जब कि मुझे बताया गया है कि केवल अकेले टोकियों में ही 7 लाख टेलीफोन हैं। प्रति 1,000 जनसंख्या के लिए भारत में 0.9 टेलीफोन हैं जब कि अमरीका में प्रति हजार 379 व स्वीडन में 340 टेलीफोन हैं। चौथी योजना में 7 लाख टेलीफोन लगाये जायेंगे और 3,000 टेलीफोन कार्यालय खोले जायेंगे।

विभाग का पूंजीगत परिव्यय में 493 प्रतिशत कर्मचारियों की संख्या में 199 प्रतिशत तथा डाकघरों की संख्या में 356 प्रतिशत वृद्धि हुई है। यदि हम विभाग के कार्यों व प्रगति का इस प्रकार विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हमने बहुत सफलता प्राप्त की है। आवश्यकता इस बात की है कि विस्तार के लिये अधिक धन प्रदान किया जाये ताकि यह कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये अधिक धन नियत करना चाहिये। जापान में प्रगति का एक मुख्य कारण जनता द्वारा योगदान है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे इस बात पर ध्यान दें ताकि जनता का अधिक धन व सहयोग विभाग को प्रगति के लिए प्राप्त हो सके।

अनेक अच्छी बातें की गई हैं। जिससे काम जमा न हो सके जैसे तार शुल्क की नकद वसूली, रात्रि डाक सेवा, पंचायत डाक योजना आदि। यदि पत्रों की छंटाई मशीनों से की जाये तो काम बहुत शीघ्रता से हो सकेगा। डाक तथा तार विभाग द्वारा जारी किये गये स्मारक टिकटों के सम्बन्ध में 11वीं शताब्दी के कन्नड़ साहित्य के महान दार्शनिक तथा हरिजनों का उत्थान करने वाले कर्नाटक के भक्ति वनधारी वासावेसबरैय्या के बारे में बिगत समय में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस मामले पर ध्यान देंगे तथा इस महान व्यक्ति का स्मारक टिकट जारी किया जायेगा।

डाक तथा तार सलाहकार समितियां, जिनके हम सदस्य रहे हैं, काफी अच्छा काम करती रही हैं। विशेषत: मैसूर सर्कल में इनकी बैठक प्राय: होती रहती है जिनमें जनता की शिकायतें डाक प्राधिकारियों के सामने रखी जाती हैं और उनको तुरन्त दूर किया जाता है। रेलवे डाक सेवा के सम्बन्ध में मेरा अनुरोध है कि रेलवे व डाक तथा तार विभाग में अधिक तालमेल की आवश्यकता है। कच्चे माल की कमी के कारण वर्कशापों में उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा है। स्टोर विभाग में अधिक सतर्कता की आवश्यकता है ताकि जनता को सामान समय पर मिल सके क्योंकि अन्यथा कार्य समय पर आरम्भ नहीं किये जा सकेंगे। हम देखते हैं कि काफी डाक सम्पत्ति बेकार पड़ी रहती है जिससे सरकारी सम्पत्ति को बहुत क्षति पहुंचती है। इस मामले में अधिक सावधानी से काम लेना चाहिये ताकि इसके कारण हानि न हो। इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज़ बहुत अच्छा कार्य करती हैं। मेरे विचार में एक नया कारखाना स्थापित करने की अपेक्षा इस कारखाने का विस्तार करना चाहिये। यह कारखाना टेलीफोन सेवाओं के प्रसार तथा अनुसंधान के क्षेत्रों में भी बहुत सराहनीय कार्य कर रहा है।

समुद्रपार संचार सेवा से प्राप्त संवादों को भेजने में बहुत बिलम्ब होता है। मेरा अनुरोध है कि समुद्रपार संचार सेवा की बारंबारता में वृद्धि की जानी चाहिये तथा इसके लिये अधिक मांग व उसका पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिये।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : Mr Deputy Speaker, Sir, at the outset I shall thank the employees of the P.& T. Department who devoted their time and service in handling the 149,226 money orders worth Rs. 5,22,295, the commission of which amounts to Rs. 22,000.

The hon. Minister has acted very clearly in discontinuing the informal meeting of the members of Parliament with the officers of the Department and also the audit Report, of course, this Department has shown some improvement and has done some good work, but it is like a vehicle, whose steering wheel is in the hands of Ministry of Home Affairs, wheels in the hands of Transport Ministry and the brakes in the hand of Finance. It is mentioned in the Annual Report that the amount allotted for opening of new post offices during 1964-65 was reduced by Rs. 8 lakhs due to financial difficulties. The fulfilment of target of opening 23,000 new post offices under the third Five year Plan during 1965-66, the last year of the third Plan, will depend on adequate provision of funds. If adequate funds are not made available to this Department and its entire revenue is taken away how will it function ?

I congratulate the hon. Minister that there is not much bungling in this Department like Railways and Police. Whatever bungling is there, it is due to the fact that mostly unqualified persons are enjoying high positions, who have risen on account of their flattery. The matters should be set right and opportunities should be provided to qualified staff for promotion.

I feel that wherever Panchayats are there, post offices and P.C.Os. should be opened on panchayat basis, atleast in Gujarat and Rajasthan. There have been considerable progress in Rajasthan. But the Deaprtment is handicapped by lack of funds. I will request the hon. Finance Ministry to allocate more funds to this Department.

[Shri Onkar Lal Berwa]

There is great disparity in the rates of overtime allowance paid to the employees of R.M.S. and those working in the Railways. If they cannot be brought on par with the Railway employees atleast thier rates should be suitably revised. Similarly, the khadi uniforms provided to the postal employees for three years do not last for more than six months. The washing allowance of as. 8 or Re. 1 also lasts for two weeks. There should be no such differential treatment in between two Departments both under the central Government.

The arrangement in the offices is very bad. I may tell you about Kotah in Rajasthan that the employees find it difficult to work efficiently due to congestion in the office. The attention of the hon. Minister has been drawn to it several times but to no avail. Hon. Minister should pay a visit for an the spot study. Rs. 4,000 or so have been allocated for the repair of telegraph office there but it needs to be reconstructed. It is regrettable that in spite of the increase in population from 33,000 to 1½ lakhs and its development as an industrial area there is no General Post Office and a big Telegraph office.

The compartments provided to the R.M.S. are so old and bad that during rains the mail bags are spoiled by rain water. The Railways and the P.&T. shift the responsibility on the other. There is no coordination between the two departments. Attention should be paid to the construction of roads for carrying mail on trollies across the railway lines. The employees, who have to visit villages, should be provided with bicycles. The increase in the staff is not commensurate with the increase in population. In the industrial area mobile post offices should be run in the evening. Like other places offices should be opened on Sundays & holidays to avoid accumulation of mail.

A training centre for Rajasthan was opened at Sataranpur some 50-60 years back. I would suggest that separate training centres should be opened in each state taking into account the population and convenience of employees. As regards the transfer of employees drawing small salaries of Rs. 50, 60 or 70 p.m.I would submit that as far as possible they should not be transferred to distant places. The telephone Directory is being published in English. In the Hindi-speaking states it should be published in Hindi so as to enable the development of Hindi.

The recommendations of the welfare Committee regarding sports facilities and Quarters have not been implemented so far. The Finance Minister should be approached for more funds for construction of quarters. The Rest House at Kotah is in a very bad state and full of bedbugs. Attention should be paid to it.

Shri Hukam Chand Kachhaviaya : Mr. Deputy Speaker, Sir, there is no quorum in the house. This question has been raised for the forth time.

उपाध्यक्ष महोदय : कोरम की घंटी बजाई जा रही है । अब कोरम हो गया है । मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे कोरम बनाये रखें ।

श्री रामचन्द्र मलिक (जयपुर) : मैं मंत्री महोदय, उपमंत्री महोदय व उनके सुयोग्य अधिकारियों को बधाई देता हूं । मैं इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, बंगलौर, टेलीप्रिन्टर कारखाना, मद्रास तथा केबल कारखाना, रूपनारायणपुर देखने गया था । वे सभी अच्छा कार्य कर रहे है तथा हमारी आशानुसार प्रगति हो रही है । मैं अब अपने राज्य उड़ीसा की समस्याओं का उल्लेख करूंगा । वहां पर डाक तथा तार सुविधाओं का बहुत विकास

हुआ है। मेरे विचार में उड़ीसा सर्कल का स्तर ऊंचा करना चाहिये तथा इसका कार्यभार एक पोस्ट मास्टर जनरल जैसे वरिष्ठ अधिकारी को सौंपना चाहिये ताकि यह और अधिक कुशलता से कार्य कर सके। इस सम्बन्ध में जनता ने समाचार पत्रों तथा विभिन्न डाक तथा तार सलाहकार समितियों में मांग की है। मैं आशा तथा विश्वास करता हूं कि मंत्री महोदय इस वैध मांग को स्वीकार कर लेंगे।

मुझे यह जान कर बहुत खुशी हुई है कि 1 अप्रैल, 1963 से उड़ीसा को एक पृथक् टेलीफोन राजस्व लेखा कार्यालय खोलने की मंजूरी दे दी गई है। हम यह चाहते हैं कि इसका मुख्यालय कलकत्ता से कटक या भुवनेश्वर भेज दिया जाये। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि इस बारे में क्या प्रगति हुई है।

अधिक टेलीफोनों की व्यवस्था करने से सरकार की आय में वृद्धि होगी, फिर क्या कारण है कि सरकार लोगों की इस बढ़ती हुई मांग को पूरा नहीं कर रही है। इसलिये लोगों की इस मांग को पूरा करने के लिये डाक तथा तार प्राधिकारियों को अधिक प्रयत्न करना चाहिये।

उड़ीसा में टेलीफोन पर जब एक जिले से दूसरे जिले में बातचीत की जाती है तो ध्वनि ठीक सुनाई नहीं देती। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि इस ओर अधिक ध्यान दिया जाये और इसकी प्रणाली में सुधार किया जाये।

अब मैं रेल-डाक-व्यवस्था सेक्शन पर आता हूं। इस सेक्शन को कटक से विजयनगरम तक जल्दी से जल्दी काम करना चाहिये जिससे गंजम और कोरापुट जिलों में डाक जल्दी से पहुंच सके। रेल डाक व्यवस्था सैक्शन का जो भाग उड़ीसा की राज्य सीमा में है उसको डाक तथा तार निदेशक, कटक के अधीन लाया जाना चाहिये जिससे कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न हो सके। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि दक्षिण उड़ीसा में विशेषकर गंजम, कोरापुट तथा सम्बलपुर में डाक का सामान चार पांच दिन के पश्चात् पहुंचता है। इसका कारण यह है कि डाक को पहले विजयनगरम भेजा जाता है जहां से वह कटक पहुंचती है और फिर लोगों को बांटी जाती है। इसके अतिरिक्त विजयनगरम के कई कर्मचारियों को उड़िया भाषा नहीं आती है। इस लिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इस सैक्शन को उड़ीसा सर्किल में रखा जाना चाहिये।

मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। उड़ीसा के देहाती क्षेत्रों में डाकघरों में बहुत से फार्म उपलब्ध नहीं होते हैं जिस से लोगों को बहुत असुविधा होती है। इस मांग को हैदराबाद तथा कलकत्ता में स्थित मुद्रणालय शीघ्रता से पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिये मेरे विचार से कटक या भुवनेश्वर जैसे स्थानों पर एक विभागीय मुद्रणालय स्थापित किया जाना चाहिये जिससे अविलम्ब इस समस्या का स्थायी रूप से हल किया जा सके।

डाक कर्मचारी संघ का प्रधान होने के नाते मुझे पता है कि मेरे राज्य में कर्मचारियों की दशा क्या है। देहाती क्षेत्रों में मैंने विशेषकर बेचारे शाखा पोस्ट मास्टरों को देखा है। कार्यालय में मनीआर्डर फार्म, पोस्ट कार्ड आदि भी नहीं होते हैं जिससे लोगों को असुविधा होती है तथा देश को राजस्व की हानि।

[श्री रामचन्द्र मलिक]

अब मैं कुछ बातें ई० डी० डी० ए० तथा ई० डी० डी० एम० सी० के बारे में कहना चाहता हूं। यह एक उपेक्षित विभाग है। यहां के कर्मचारियों को 22 से 35 या 40 रुपये प्रतिमास वेतन मिलता है। वेतन के अतिरिक्त कोई साइकिल भत्ता आदि नहीं मिलता है चाहे इनको देहाती क्षेत्रों में 5, 10 या 15 मील तक घूमना पड़ता है। उनका मामला इस माननीय सदन में है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि उनके मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये।

शाखा पोस्टमास्टरों तथा डिलीवरी एजेंटों को आकस्मिक तथा भैषजिक आकाश आदि की भी सुविधा नहीं दी गई है। इसलिये यदि उनमें से कोई बीमार पड़ जाये तो उसको उस दिन का वेतन नहीं दिया जाता है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि उन्हें आकस्मिक तथा भेषजिक अवकाश अवश्य दिये जाने चाहियें। इन कर्मचारियों को अभी विभागीय कर्मचारी नहीं समझा जाता है। इसलिये वे अपने आप को ऐसे सरकारी कर्मचारी नहीं समझते हैं जिन्हें सरकार सामान्य सुविधायें प्रदान करती है। उनका काम गांवों में बहुत महत्व का होता है इसलिए इन के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिये। हमें यहां पांच सौ रुपये मिलते हैं। परन्तु जिन्हें बीस रुपये मिलते हैं वे कैसे गुजारा करते होंगे।

अब मैं एक और बात मन्त्रालय के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं। मैंने भूतपूर्व मन्त्री श्री जगजीवन राम से भी इस बारे में प्रार्थना की थी। मेरे गांव में एक डाकघर है जो कि मेरे मकान से थोड़ी दूर ही है। यह डाकघर बहुत ही पुराना है। इसके आसपास बहुत से कार्यालय भी हैं। उड़ीसा निगम का कार्यालय है, नायब तहसीलदार का कार्यालय है, चावल की मिल है तथा रेलवे स्टेशन भी है। इसलिये इसका वहां बड़ा महत्व है। अतः इसमें तार तथा टेलीफोन की सुविधाओं का होना बहुत आवश्यक है। जब प्रधान सचेतक ने मुझे तार भेजा था तो वह मुझे छः दिन के पश्चात् मिला। जब संसद सदस्यों का यह हाल है तो फिर आम जनता का क्या होगा। इसलिये यहां उप-कार्यालय का होना आवश्यक है।

मैं अपने क्षेत्र के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। यह एक विशेष प्रकार का क्षेत्र है। इसमें वन भी हैं और बाढ़ वगैरह भी आती रहती हैं। बाढ़ के दिनों में लोगों को नावों आदि में जाना पड़ता है। ऐसा विशेषकर जाजपुर धर्मशाला, बिनजरपुर आदि में होता है। इसलिये ऐसे स्थानों पर टेलीफोन तथा तार आदि की सुविधाओं का होना बहुत आवश्यक है। तब ही केवल सन्देश वहां पर पहुंच सकते हैं।

Shri Bagri (Hisar) : Though many a suggestions are made to make improvements in the Posts and Telegraphs Department but no heed is paid to them.

Government always claims to bring socialism in the country. But in practice we don't see so. The Posts and Telegraphs Department is purely a Government department. But the signs of socialism are not seen there. To some employees big bungalows are allotted and many other facilities are provided to them while to others even small quarters are not allotted. There is a great disparity in the pay scales a.so. So, who will bring socialism in this Department. Either Government should bring it or public will bring it by way of revolution.

The employees of the P. & T. Department are not given good uniforms. The reason is that the contractors who supply the uniforms use bad material.

The uniforms are kept for three years and then given to the employees and thus the blames does not fall on the contractors because it is said that these were got three years ago and thus have become old.

Now I would say something about the working of the Department. I would quote an instant. The leader of one political party, Shri Diwakar Kakodkar, sent a telegram from Goa to Dr. Ram Manohar Lohia in which it was stated that they are prepared to give their support in cases the demand would be pressed through peaceful revolution. But the officer of the Department did not accept the telegram because he said that it is against the rules to accept such telegrams. Perhaps he did not like the words 'peaceful revolution'. Had some strong words been used he might have accepted it and sent forward.

Now I would say something about Corruption cases. When cases of embezzlement against the incharges of workshop of this Department were brought to the notice of the authorities no enquiry was instituted against them but the drivers of this Department are dealt with severely even though there are small charges against them.

Lastly I would come to the teleprinter service. English teleprinters are being used even now in the Hindi-speaking areas. Repeated requests have been made to remove them and install Hindi teleprinters but in vain.

Shri Dhubleshwar Meena (Udaipur) : Mr. Deputy Speaker, Sir I am thankful to the employees of the Ministry of Communications for the work they did in collecting the funds for the Country.

This Department is doing very good work since its separation from Transport and Communications but still it is not very satisfactory. Now I want to draw the attention of the Hon. Minister to the State of Rajasthan. There is no centre of the Department in Western Rajasthan in the 100 mile area towards Pakistan. In the desert of Rajasthan where we have posted our I.A.C.battalion there is no post and telelgraph service. The result is that our military personnel cannot contact their families. I would therefore request that posts and telegraphs facilities should be provided at such places without any further delay.

In my constituency also the post and telegraph facilities are very rare. I this connection I met the concerned officers but nothing has been done so far.

Banswara and Dhungarpur are two district headquarters in Udaipur Division where till now the post and telegraphs department are run in the rented buildings.

I don't know the reason for this. Moreover the accommodation in the rented buildings is too small. Apart from these two district headquarters there are others where also there is lack of such facilities. I would therefore ask Government to provide these offices with Government accommodation.

In my constituency area which is a tribal area it takes four to five days to reach a post from one tehsil to another. But no action has been taken from

Government side to make improvements in this respect. The villagers may not feel it much but when our military personnel get their telegrams late they feel resented. Similarly the Higher Secondary Schools and other offices find difficulties for their smooth running.

I would also like the Government to increase the staff. The staff is too less to finish their work even by sitting late hours. Therefore there should be at least two or three Postmaster in the Post Offices of every District headquarters for the smooth running of the work.

The runners postmen who have to go from tehsil headquarters to villages on foot for 20 to 25 miles a day should be given bicycle facility for the distribution of post.

I had requested the Minister a year ago toopen an employment exchange at Nathdwara in Udaipur. Nathdwara is a pilgrimage and has a sufficient population. In this connection I had also written to the Telegraph and Telephone Director who replied that the opening of the exchange is not possible because there is not sufficient population and moreover the consumption also is not much. But when I personally contacted him and explained him the whole thing he was satisfied. I would now therefore like that the telephone exchange may be opened there as early as possible.

डा० मा० श्री अणे (नागपुर) : रेलवे तथा डाक व तार के महकमें ऐसे हैं जिन्हें सरकार कई वर्षों से चला रही है। बहुत देर हुई तो इनका राष्ट्रीयकरण किया गया था और इन को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था।

क्योंकि यह एक वाणिज्यिक विभाग है इसलिये ऐसा विचार किया जाता है कि इससे कुछ लाभ होगा और सामान्य राजस्व में भी इसका कुछ अंशदान जायेगा। अभिसमय के जिन नियमों के अनुसार रेलवे सामान्य राजस्व में लाभांश देता है वे तो जनसाधारण को मालूम ही हैं परन्तु डाक व तार विभाग के ऐसे नियमों का उनको कोई पता नहीं है। इस लिये मैं सभा का ध्यान संचार विभाग की अनुदानों की मांगों के पृष्ठ 18 की ओर दिलाता हूं।

सामान्य आय-व्ययक में भी जो 10 करोड़ रुपये का अतिरेक दिखाया गया है वह भी वास्तव में अतिरेक नहीं है क्योंकि जिस राशि को किसी फण्ड के लिये रक्षित रखना था उसको सामान्य आय-व्ययक में दिखाया गया है। यदि इन को ठीक प्रकार से दिखाया जाता तो बजाय अतिरेक के कमी दिखाई पड़ती। इसलिये सभा को इन सब बातों की ओर ध्यान देना चाहिये।

अब मैं केन्द्रीय डाक सर्किल के कर्मचारियों, जिनका मुख्यालय नागपुर में है, की शिकायतों की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। ऐसा सुना गया है कि इस सर्किल को नागपुर से बदल कर भोपाल ले जाने का विचार है। पहले भी उन्होंने बेरार और दर्ग जिलों को मध्य प्रदेश से लेकर लोगों की इच्छा के विपरीत महाराष्ट्र में मिला दिया था। परन्तु ऐसा होने पर भी लोगों का यही विचार था कि नागपुर में जो कार्यालय हैं उन को वहां से नहीं बदला जायेगा क्योंकि ऐसा करने से तो नागपुर का कोई महत्व ही न रहता और वहां के लोगों को बहुत नुकसान भी होता है परन्तु राज्य पुनर्गठन के पश्चात् धीरे धीरे कार्यालय वहां से जाने आरम्भ हो गये हैं और अब डाक तथा तार विभाग की बारी आ रही है।

इस बारे में संचार मन्त्रालय को दो अभ्यावेदन पहले ही दिये जा चुके हैं जिनमें लोगों ने यही मांग की है कि डाक व तार सर्किल को नागपुर में ही रखा जाये । परन्तु भोपाल के लोगों से इस सर्किल की अधिक मांग होने के कारण इस को वहां भेजने पर विचार किया ही जा रहा है । अतः मैं अधिक तो कुछ नहीं कहना चाहता परन्तु इतना अवश्य कहूंगा कि नागपुर के लोगों ने यह अभ्यावेदन भेजा है जिस पर नागपुर के निगमाध्यक्ष ने हस्ताक्षर किये हुए हैं तथा इसको नागपुर से बदलना सर्वथा भूल होगी ।

यदि इस सर्किल को बदल ही दिया गया तो भोपाल में इन लोगों के रहने के लिये आवास-स्थान आदि की कई कठिनाइयां होंगी । इन सब बातों की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये । मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के लिये एक नया डिवीजन बनाया जाये । यदि यह भी सम्भव नहीं है तो नागपुर के आठ जिलों के लिये एक नया सर्किल खोला जाये जिस का कार्यालय नागपुर में हो ।

मैं एक और बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । आपातकाल का कोई विचार नहीं रखा गया है। 1963–64 में संचार विभाग का व्यय 798 रुपये था । 1964–65 में 2000 रुपयों की व्यवस्था की गई थी परन्तु इस वर्ष के आय-व्ययक में यानि कि 1965–66 के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है । । क्या सरकार का विचार है कि राष्ट्रीय आपातकाल से सम्बन्धित व्यय के लिये किसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है । यदि इस आपातकाल को इस प्रकार सरकार ही महत्व नहीं दे रही तो फिर लोगों से क्या आशा की जा सकती है । मुझे आशा है कि मेरे इन सुझावों पर अमल किया जायेगा ।

श्री बसुमतारी (ग्वालपाड़ा) : आधुनिक युग में संचार के महकमे का बहुत महत्त्व है । इस महकमे के बगैर प्रशासन का चलना भी कठिन है । श्री दाजी तथा अन्य सदस्यों ने इस महकमे की कार्यप्रणाली की कटु आलोचना की है परन्तु उन को इस के संचालन में जो कठिनाइयां आती हैं उन को भी ध्यान में रखना चाहिये था । जब हम देश में डाक व तार की सुविधायें प्रदान करते हैं तो हमें ऐसे क्षेत्रों को विशेषकर ध्यान में रखना चाहिये जिन का उल्लेख मध्य प्रदेश तथा राजस्थान से आये माननीय सदस्यों ने किया है । बंगलौर का टेलीफोन कारखाना ठीक ढंग से चल रहा है और इस में उत्पादन भी काफी होता है परन्तु इस से देश की सारी मांग पूरी नहीं हो सकती । डाक तथा तार घरों के लिये मांग बहुत बढ़ गई है परन्तु इन पर विचार करते समय हमें पिछड़े हुए क्षेत्रों का विशेषकर ख्याल रखना चाहिये । आसाम का तो खास तौर से ख्याल रखा जाना चाहिये । प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि जब चीन ने आक्रमण किया तो हमें वहां कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा । उस समय जब हम नेफा में गये तो बहुत से लोगों से यही शिकायत मिली थी कि डाक तथा तार ठीक तरह से नहीं मिल रहे हैं । नेफा में अच्छी तरह से मुकाबला न करने का यह भी एक कारण था ।

हमारे सत्य नारायण सिंह न केवल संचार मंत्री ही हैं वे संसद् कार्य मंत्री भी हैं । इसलिये मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे संचार सुविधाओं को बढ़ाने के लिये गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे ।

अब मैं अपने राज्य के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । पिछली बार भी मैं ने डाक तथा तार की सुविधाओं की कमी के बारे में कहा था । मेरा निर्वाचन क्षेत्र, जैसे सभा को ज्ञात ही है, सीमा से केवल तीन चार मील की दूरी पर है । वहां डाक तथा तार की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं । मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं परन्तु मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये सुविधायें वहां प्रदान की जायें ।

डाक व तार विभाग के नियमों के अनुसार यदि किसी क्षेत्र के लोग डाकखाना स्थापित करवाना चाहते हों तो उस क्षेत्र के लोगों को कुछ राशि पेशगी देनी होती है तथा कुछ वर्षों तक प्रशासन व्यय वहन करना पड़ता है । इसलिये मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि आदिम जाति क्षेत्रों में इन नियमों की ढील दी जाये जिस से उन लोगों को यह खर्चा न करना पड़े ।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय के थोड़ी दूरी पर एक सार्वजनिक टेलीफोन लगवाने के लिये बहुत प्रयत्न करता रहा हूं परन्तु अभी तक वह नहीं लग पाया है । सम्बन्धित अधिकारी कहते हैं कि इसे लगाना अलाभप्रद होगा । मेरी समझ में नहीं आता कि टेलीफोन के लगाये बिना उस के राजस्व का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है ।

अंग्रेज़ों के जमाने में मैं ने कई आदिम जाति क्षेत्रों में डाक घर खुलवाये थे । मुझे पता है कि उस के लिये लोगों को कोई दस साल तक व्यय करना पड़ा था । परन्तु अब जब कि भारत आजाद हो गया है इन आदिम जातियों के लोगों को यदि वैसे ही खर्च करना पड़े तो मेरे विचार से यह उन के साथ न्याय नहीं है । इसलिये मंत्री महोदय को इन लोगों को रियायतें देने के लिये विशेष ध्यान देना चाहिये ।

आसाम एक युद्धनीति सम्बन्धी क्षेत्र है । इस में एक दारांग नामी स्थान है जो कि भूटान सीमा के पास है । मेरे ख्याल से मंत्री महोदय ने शायद वह स्थान देखा भी न हो । वहां पर कोई तार घर नहीं है । यदि सेना ने अब खोल दिया हो तो पता नहीं । परन्तु इस विभाग को यह काम अपने हाथ में लेना चाहिये । मैं प्रार्थना करता हूं कि आदि जाति क्षेत्रों की ओर विशेषकर ध्यान दिया जाये । और इस विभाग का काम कुशलतापूर्वक किया जाये ।

Shri H.C. Soy (Singhbhum) : Mr. Deputy Speaker, to be very frank, I would say that I have not been able to follow the report of the Ministry. I therefore request the hon. Minister to make this report drafted in such manner as may be intelligible to an average literate man like me.

I want to congratulate the Minister that he has been successful to a great extent in opening most of the offices which had been targeted for the third plan period. But I would tell him that still there are villages where there is no post office within a range of 200 to 500 miles. I hope it will be done at least in the 4th Plan period.

In the interior parts of the country, some post offices have part time workers and their pay is only Rs. 22-00 per month. Either their pay should be increased or they should be given allowances as are given to the Central Government employees. I would also endorse what an honourable member said that there should be atleast one telephone and telegraph office in each block as they are very essential for the execution of work there.

Now I would refer to a personal matter. After 3 months of the installation of telephone in my flat in New Delhi, I was served with a trunk call bill of Rs. 440. But I never made any trunk calls. I request the hon. minister to get some proper enquiries made as to how this happened.

The postage stamps issued in the memory of our leaders should not be confined to Pt. Jawaharlal Nehru but these should be issued in the memory of others too.

I want some sort of medical facilities for Post and Telegraph Department workers which are available to other Central Government employees. They should also be given other facilities, and more houses should be built for them.

I thank the minister for the progress made by his department.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो मैं डाक तार कर्मचारियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया । वैसे मैं नये मंत्री महोदय को भी बधाई दूंगा । मैं उन्हें अपने सहयोग का विश्वास दिलाता हूं ।

अब मैं डाक तार बोर्ड के बारे में कहूंगा और प्रार्थना करूंगा कि इसमें कुछ सुधार किया जाये । इस पर जो नियंत्रण लगाये गये हैं उनके कारण यह अपना कार्य ठीक प्रकार नहीं कर पा रहा है ।

मैं यह भी प्रार्थना करूंगा कि स्टाफ से सम्बन्धित जो मेम्बर है उसके अधिकारों का विस्तार हो । क्योंकि हमें हर बात के लिये महासंचालक के पास जाना अच्छा प्रतीत नहीं होता ।

क्षेत्रीय पुनर्गठन योजना अपने उद्देश्य में विफल रही है । इसलिये इसे समाप्त किया जाये । इसके बारे में मैं ने एक प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पास करवाया है ।

चौथी श्रेणी के जो लाईन मैन हैं उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है । नैमित्तिक श्रमिक रखने की प्रथा को समाप्त किया जाये और उन्हीं को ही नियमित रूप से काम पर लगाया जाये ताकि उनमें काम करने की रुचि उत्पन्न हो और वे मन लगा कर कार्य करें ।

टेलीफोन का प्रशिक्षण लेने वाले लाईन मैन को इस समय केवल 3 रुपया मिलता है । इसे बढ़ा कर 10 रुपया कर देना चाहिये । ऐसे ही लाईन मेन का मकान किराया भत्ता केवल 2 रुपया है । इसे भी बढ़ा कर 10 रुपया किया जाना चाहिये ।

जो आर० एम० एस० में डाक छांटने वालों की स्थिति के बारे में एक नया ढंग अपनाया गया है उसके कारण उन्हें अपना कार्य करने में कठिनाई होती रही है ।

डाक तार के कर्मचारियों के लिये अधिक मकान बनवाये जाने चाहिये क्योंकि उनमें से 10 प्रतिशत को भी मकान नहीं मिले हैं ।

जिनके वेतन 70 से 109 रुपये हैं तथा जिनके वेतन 150 से 209 रुपये हैं, उनके वेतन बढ़ाये जाने चाहियें ।

मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे मैथिलीशरण गुप्त, जो एक बड़े कवि थे, सिसीर कुमार भादुरी, जो नाट्य सम्राट माने गये थे तथा विष्णु दिगम्बर, डी० वी० पलुस्कर और उस्ताद फय्याज़ खां के नाम पर भी डाक टिकट जारी किये जावें । मुझे प्रसन्नता है कि ऐसा टिकट गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर जारी किया गया है और मैं आशा करता हूं कि स्वर्गीय मौलाना हसरत मोहनी तथा पं० बालकृष्ण शर्मा के नाम पर भी जारी किये जायेंगे ।

श्री महेश दत्त मिश्र (खंडवा) : सर्व प्रथम मैं मंत्री महोदय को बधाई दूंगा कि उन्होंने संचार विभाग का मंत्री बनना स्वीकार किया है । उनके कंधों पर बहुत उत्तरदायित्व आ गया है ।

मैं आशा करता हूं कि केन्द्रीय सरकिल का कार्यालय नागपुर से भोपाल जुलाई से पूर्व ही ले जाया जायेगा । मैं यह जानता हूं कि इस से बरार तथा नागपुर के लोगों को कुछ असुविधा होगी परन्तु उस कारण इस कार्य में कोई रुकावट नहीं पड़नी चाहिये ।

जबलपुर के लोगों को यह शिकायत है कि तार का कारखाना जो बहुत कार्यकुशलता से कार्य चला रहा है, उसे उचित प्रोत्साहन नहीं दिया गया है ।

अब मैं श्री बनर्जी, श्री दाजी तथा श्री पांडे की इस मांग का अनुमोदन करूंगा कि डाक तार बोर्ड को अपने क्षेत्र में वही अधिकार हों जो रेलवे बोर्ड को हैं । डाक तार विभाग का कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिये इसे गृह-कार्य अथवा वित्त मंत्रालय की दया पर नहीं छोड़ दिया जाना चाहिये ।

डाक-तार विभाग के प्रशासनिक कार्य के बारे में जो शिकायतें हों उनकी दिन प्रति दिन जांच के लिये एक समिति नियुक्त की जाये । जब मैं इस विभाग के कार्यकर्ताओं से मिलता हूं तो उनकी शिकायतें अधिकतर तो प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध होती हैं । हमारे देश का प्रशासनिक ढांचा अब भी पुराने ढंग का है और उसमें "बड़ा साहिब" की मनोवृत्ति अब भी जारी है । जब यह बात डाक-तार विभाग में हो तो और भी बुरी है क्योंकि इसका जनता से बहुत गहरा सम्बन्ध है ।

मैं आज इस सदन में खड़ा हो कर डाक-तार विभाग के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि वे बड़ी मेहनत, इमानदारी तथा कार्यकुशलता से कार्य करते हैं ।

जहां तक डाक तार बोर्ड तथा रेलवे बोर्ड में मुकाबले का प्रश्न है मैं यह कहूंगा डाक-तार विभाग पर जिम्मेदारियां तो सारी लाद दी गयी हैं परन्तु उन्हें स्वतंत्रता तथा स्वायत्तता नहीं दी है । मुझे पता चला है कि इस विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिये चौथी योजना में क्वार्टर बनाने के लिये 120 करोड़ रुपया मांगा था परन्तु उन्हें केवल 40 करोड़ रुपये की मजूरी दी गई है । इस मामले में इसे रेलवे बोर्ड के बराबर नहीं समझा गया है । इस लिये यदि इसे ऐसे अधिकार नहीं दिये गये तो इसकी कार्यकुशलता पर प्रभाव पड़ेगा ।

मैं आप को इस बारे में दो उदाहरण दूंगा । एक तो यह कि यदि किसी की नौकरी भंग हो जाये तो उसके लिये गृह-कार्य मंत्रालय से परामर्श लिया जाता है और ऐसे ही यदि किसी पदावलि का पुनर्गठन करना हो तो वित्त मंत्रालय से परामर्श लिया जाता है । ऐसा होता है कि इन मंत्रालयों में फाइलें बहुत दिनों तक पड़ी रहती हैं और कार्य बन्द हो जाता है । इसीलिये मैं ने आरम्भ में कहा था कि इस विभाग को अगुआई तथा स्वायत्तता नहीं दी गई है । यह अधिकार इसे दिये जाने चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि जो समाज आगे समाजवाद तथा लोकतंत्र की ओर बढ़ना चाहता है उसे कुछ स्वस्थ परम्पराओं का भी निर्माण करना होगा । इसी लिये मैं ने कहा है कि इस विभाग से "बड़ा साहिब" वाली मनोवृत्ति समाप्त की जानी चाहिये और ऊपर वाले अधिकारियों को सहानुभूति, नम्रता आदि से बर्ताव करना चाहिये ।

श्री सुब्बरामन (मदुरै) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने से पूर्व वक्ताओं की इस मांग का समर्थन करता हूं कि डाक तार विभाग के बोर्ड को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बारे में जांच करें और यह प्रयास करें कि इस बोर्ड को रेलवे बोर्ड जैसे अधिकार प्राप्त हों ।

कर्मचारियों के रहने के लिये मकान बहुत आवश्यक हैं । रेलवे विभाग में तो एक तिहाई कर्मचारियों के लिये अच्छे मकान हैं, परन्तु डाक-तार विभाग में तो 5 प्रतिशत के पास भी नहीं हैं । इसलिये मकानों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिये । यह कठिनाई बम्बई आदि बड़े नगरों में तो और भी गम्भीर है ।

पिछले दिन तमिलनाद में जो भाषा सम्बन्धी उपद्रव हुए उनका एक कारण यह था कि वहां पोस्टकार्ड हिन्दी में छापे गये थे । इसलिये मेरी प्रार्थना यह है कि मनी आर्डर के फार्म, पोस्टकार्ड तथा दूसरे फार्म क्षेत्रीय भाषाओं में छपने चाहिये । यदि आवश्यक हो तो अंग्रेजी तथा हिन्दी भी क्षेत्रीय भाषा के साथ जोड़ दी जाये ।

टेलीफोनों की बहुत मांग है और उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। इस मांग को पूरा करने के लिये टेलीफोन का सामान बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जावे।

आजकल जब हमें कोई टेलीफोन का नम्बर नहीं मिलता है तो 191 नम्बर से पता किया जाता है। वह फिर किसी और नम्बर को कह देता है और वह किसी तीसरे नम्बर के बारे में कहता है कि वहां से पता कीजिये और इस प्रकार जनता को बड़ी असुविधा होती है। मैं चाहता हूं कि ऐसी बातों की ओर ध्यान दिया जाये।

ऐसे ही मदुरै जैसे नगरों में रेलवे स्टेशनों पर तथा बस के मुख्य अड्डों पर सिक्के के टेलीफोन लगाये जावें।

मदुरै एक बड़ा नगर तथा जंक्शन बन गया है परन्तु वहां का आर० एम० एस० कार्यालय अब भी बहुत छोटा है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि या तो कोई दूसरा भवन उसके लिये बनाया जाये अथवा और अधिक स्थान उसे दिया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

Shrimati Subhadra Joshi (Balrampur) : Mr. Speaker, the Ministry of Communications is very important Ministry as it directly deals with Public. The telephone services are not satisfactorie managed by the post and Telegraph Department. It generally causes much inconvenience to the public. On the basis of my personal experience I can say that there is not a smooth and proper functioning in the Telephone exchanges. Sometimes we are not able to get the required number even after dialling the same number serveral times and some times we are connected with wrong numbers. It is also a matter of regret that even the special numbers allotted by the Government are not attended to promptly by the staff on duty. The staff also does not care to see that the subscribers are connected with the numbers asked for. Though these are very small matters yet they are certainly responsible for creating an adverse impression on the mind of the public for the public sector. I, therefore, request the hon. Minister to take necessary steps, in consultation with the concerned unions and associations of the employees which are in close touch with the Department, to enable the Government to improve the efficiency of the department in order to remove the genuine grievances of the public.

Gonda is a place of historical importance, but arrangements have not been made by the Government to provide necessary telephone connections in this area hence a lot of difficulties is being experienced not only by public but also by Government Officials in their offical business. Even some of the police stations of the area are without telephones. In view of the facts stated above Government should look into the matter and do the needful.

Shri Sheo Narain (Bansi) : The Post and Telegraph Department has a creditable performance in the Public Sector. It brings all the parts of the country nearer to one another. Thus it plays a very important role in the public sector so far as the national integration is concerned. As an ex-employee of the department I am in the know of certain difficulties experienced by the Post and Telegraph Department. As the House is aware, the employees of this department are honest, sincere and hard working, they deserve a fair deal and there services also deserve due recognition by the Government.

The department has taken a salutary step by way of raising the rate of interest on savings bank account. I would like to suggest that this rate may further be raised to 5 per cent with a view to atract more funds to the savings bank. There is a pressing need to open a post office within a distance of every five miles in rural areas in order to provide Postal facilities there.

I may also suggest that Money Order forms may be printed in Hindi and English only.

There have been instances where Postal authorities in Calcutta returned those letters and newspapers which were not addressed in English. This state of affairs is really worth condemnation. The Department should take adequate steps to see that such incedents do not recur in further. It is also necessary that persons responsible for such actions are given deterrent punishment.

The interest of the employees should also be safeguard and given a fair deal. The staff should not be put to any unnecessary arassment for technical errors.

Sometimes lack of smooth functioning of Telephone services cause inconvenience to the public. Necessary measures should be taken by the Government to improve the machinery.

संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों के विचारों को मैंने ध्यान से सुना। मैं सदा ही रचनात्मक आलोचना का स्वागत करता हूं क्योंकि बिना आलोचना के प्रजातन्त्र निरंकुश बन जाता है।

सदस्यों ने कुछ रचनात्मक आलोचना की है, मैं माननीय सनस्यों की कठिनाइयों के बारे में जानता हूं। यह ठीक है कि विभाग द्वारा की जाने वाली सेवाओं से जनता पूर्णरूप से सन्तुष्ट न हो किन्तु इस विभाग के काम की मात्रा तथा तकनीकी सीमाओं को देखते हुए मैं समझता हूं कि विभाग में काफी अच्छा कार्य हो रहा है। माननीय सदस्य मेरी बात से पूर्णता सहमत होंगे।

साधारणतया टेलीफोन विभाग के बारे में शिकायतें मिलती हैं। इस सम्बन्ध में मैं केवल यह कह सकता हूं कि टेलीफोन विभाग को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उन पर उचित रूप से ध्यान देना आवश्यक है। उदाहरणार्थ केवल बम्बई में 1924 में लगाये गये 20,000 टेलीफोन कार्य कर रहे हैं जबकि इन टेलीफोनों को केवल 25 वर्ष तक कार्य करने के लिए लगाया गया था। इन्हें 4 'काल' प्रतिदिन क्षमता का बनाया गया था जबकि प्रतिदिन इन पर 16 काल प्रति टेलीफोन किये जाते हैं। हम इन टेलीफोनों के बारे में केवल यह कह सकते हैं कि ये उपकरण बहुत पुराने हो चुके हैं और उनसे क्षमता से अधिक काम लिया जा रहा है। यही बातें अन्य शहरों पर भी लागू होती हैं। अतः यह स्पष्ट है कि इन उपकरणों से आशा के अनुकूल कार्य नहीं किया जा सकता। इस कठिनाई को दूर करने का एक मात्र उपाय यही है कि पुराने उपकरणों के स्थान पर नये उपकरण लगाये जायें। हम इस बात का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं किन्तु वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस कार्य में थोड़ा समय लगेगा।

मैं यह गर्व के साथ कह सकता हूं कि डाक और तार सेवायें यदि बहुत अच्छी नहीं भी हैं तो उन्हें अच्छा कहा जा सकता है। इस बात की पुष्टि इस से भी हो जाती है कि विदेशी संवाददाताओं तथा प्रमुख व्यक्तियों ने हमारी डाक और तार सेवाओं की अत्यन्त प्रशंसा की है। इस सम्बन्ध में सदस्यों को विवरणिका भी बांटी गई हैं। विदेशियों ने हमारी सेवाओं को अपने देश की सेवाओं से भी अच्छा बताया है।

जब से मैंने संचार मंत्रालय का भार संभाला है डाक तार विभाग अपने कार्यों में त्रुटियों के बारे में जागरूक है तथा सदैव उनमें सुधार करने के लिए प्रयत्नशील है। मैंने अपने अधीन विभागों को समझाया है कि विभाग की सेवाओं में सुधार करने तथा कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए विलम्ब को दूर करना आवश्यक है क्योंकि विलम्ब से ही सब प्रकार का भ्रष्टाचार फैलता है। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए केवल सदाचार समिति पर निर्भर रहना व्यर्थ प्रतीत होता है। अधिकारियों को मामलों को शीघ्र निबटाने के लिए आदेश दिए गये हैं। मैंने अधिकारियों से इस बात का भी पाक्षिक तथा मासिक विवरण प्रस्तुत करने को

[श्री सत्यनारायण सिंह]

कहा कि उन्होंने उक्त अवधि में कितनी फाइलें निबटाई हैं । अधिकारियों द्वारा निर्णय लेने में विलम्ब होने से उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाता है। इसके परिणामस्वरूप अब विभाग में मामले शीघ्र निबटाये जाते हैं।

मैं डाक तथा तार बोर्ड को अधिक शक्तियां देने के पक्ष में हूं। मैं बोर्ड की बैठकों में सदस्यों से स्पष्ट तथा निर्भीक रूप से चर्चा करता हूं। इसमें कई निर्णय किये गये। इन निर्णयों को कार्य रूप दिया जा रहा है।

वास्तव में डाक और तार विभाग बहुत बड़ा है। विभाग द्वारा प्रतिदिन लगभग डेढ करोड़ पत्रों को निबटाया जाता है। अतः कुछ मामलों में त्रुटि होना कोई बड़ी बात नहीं है। इस समय विभाग में बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के फार्मों का उपयोग किया जाता है। अतः मितव्ययता की दृष्टि से यह जांच की जा रही है कि उनमें कितनों का प्रयोग बन्द किया जा सकता है।

जहां तक मनीआर्डर फार्मों का सम्बन्ध है, 1 मार्च, 1964 से इनको बेचे जाने की योजना लागू करने से तीन लाख रुपये के फार्मों की बचत हुई है क्योंकि अब लोग उनका गलत प्रयोग नहीं करते । कुछ लोगों ने इस योजना की आलोचना की है। मैं समझता हूं कि इस से जनता को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है क्योंकि मनीआर्डर करते समय फार्म का मूल्य मनीआर्डर शुल्क में से घटा दिया जाता है। हमने तारों के फार्म भी मोड़े जाने वाले लिफाफों के रूप में चलाये है जिससे लिफाफों की बचत हो गई है।

विभाग ने यह भी निर्णय किया कि सर्वोत्तम सुझाव देने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार दिये जायें। जिनके सुझाव अच्छे हों किन्तु जिन्हें सर्वोत्तम नहीं कहा जा सकता। उन्हें भी पुरस्कार के रूप में प्रमाणपत्र दिये जायेंगे। इसमें हमें आशा है कि विभाग का कार्य काफी सुधर जायेगा। अधिक से अधिक सुझावों को क्रियान्वित किया जायेगा ।

दूर संचार के क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई है। माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि दिल्ली–जयपुर, दिल्ली–आगरा, दिल्ली–कानपुर, आगरा–कानपुर तथा कानपुर–लखनऊ के बीच सीधी टेलीफोन व्यवस्था है। इस समय 500 किलोमीटर तक सीधी टेलीफोन व्यवस्था की जा सकती है। आवश्यक तार बिछाये जाने पर तथा उपकरणों की व्यवस्था हो जाने पर 2,000 किलोमीटर की दूरी तक सीधी टेलीफोन व्यवस्था हो जायेगी जिससे हम बड़े शहरों के बीच सीधे टेलीफोन से सम्पर्क स्थापित कर सकेंगे। सीधी टेलीफोन व्यवस्था करने के लिए हम सूक्ष्म तरंग रेडियो सम्पर्क की व्यवस्था कर रहे हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम इस दिशा में काफी प्रगति कर लेंगे। इसके अतिरिक्त रेलों के विद्युतीकरण के लिए हमने दूर संचार की एक बड़ी योजना आरंभ की है। डाक और तार विभाग तथा रेलवे के उपयोग के लिए प्रति वर्ष रेलवे लाइनों के साथ-साथ 500 किलोमीटर बिजली का तार बिछाया जाता है।

स्थानीय टेलीफोनों के बारे में भी प्रगति काफी सन्तोषजनक है। भारत में 1962 में 5,18,036 टेलीफोन थे यह संख्या बढ़कर 1963 में 60,22,630 हो गई। यह वृद्धि 16 प्रतिशत से अधिक है जो विश्व के सब देशों से अधिक है। माननीय सदस्यों को यह

जानकर प्रसन्नता होगी कि टेलीफोन लगाने के सम्बन्ध में हम अपना लक्ष्य पूरा कर चुके हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमने तीन लाख नये टेलीफोन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया था और हमने लक्ष्य बढ़ाकर अब चार लाख कर दिया है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद डाक और तार सेवाओं में काफी प्रगति हुई है। उदाहरणार्थ स्वतंत्रता से पूर्व देश में केवल 22,000 डाकखाने है, आज यह संख्या बढ़ कर 94,000 है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में देश में एक लाख डाकखाने हो जायेंगे। तार घरों की संख्या भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगभग दुगुनी हो गई है।

माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार अधिक से अधिक संख्या में डाकखाने खोल रहे हैं। शहरों में प्रति किलोमीटर की दूरी पर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति तीन से पांच किलोमीटर तक की दूरी में एक डाकखाना है। डाकखानों को बचत बैंक के अधिकार दिये जा रहे हैं। आज देश में बचत बैंक का काम करने वाले डाकखानों की संख्या 47,500 है जब कि यह संख्या 1947-48 में केवल 10,000 थी। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 50 प्रतिशत डाकखाने बचत बैंक का कार्य करते हैं। इन डाकखानों द्वारा राष्ट्रीय बचत पत्र, राष्ट्रीय योजना पत्र राष्ट्रीय सुरक्षा पत्र बेचे जाते हैं तथा अन्य कई प्रकार की अल्प बचत योजनायें चलाई जाती हैं।

इस समय टेलेक्स नवीनतम सेवा है। हम चालू वर्ष के अन्त तक महत्वपूर्ण तारघरों के बीच जेनटेक्स प्रणाली आरंभ करने के लिए प्रयत्नशील हैं।

1964-65 में समुद्र पार सेवा में काफी प्रगति हुई है। जून 1960 में चालू की गई टेलेक्स का बड़ी तेजी से विस्तार किया जा रहा है। बम्बई, अहमदाबाद, कलकत्ता, नई दिल्ली तथा मद्रास से समुद्र पार टेलेक्स से बात चीत की जा सकती है। टेलेक्स द्वारा इस समय 54 देशों से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

हमारी अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार सेवा भी काफी प्रभावशाली है। हम इन सेवाओं में सुधार करने के लिये प्रयत्नशील हैं।

हमने फरवरी, 1964 में दूसरे देशों के साथ संचार प्रणाली स्थापित करने के लिए उपग्रह करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रणाली पर 20 करोड़ से 30 करोड़ डालर तक व्यय होने की आशा है जिसमें भारत का अंशदान पूर्ण व्यय का 0·5 प्रतिशत है। इससे भारत की दूर संचार प्रणाली काफी उन्नत हो जायेगी। उपग्रह संचार प्रणाली की सेवाओं का उपयोग करने के लिए भारत को ग्राऊंड स्टेशन स्थापित करने पड़ेंगे। इन स्टेशनों को स्थापित करने में 3 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसमें 2·25 करोड़ रुपये की बिदेशी मुद्रा की उपकरण मंगाने के लिए आवश्यकता होगी। विश्वव्यापी उपग्रह व्यवस्था पूरी हो जाने पर भारत आधुनिक अधिक क्षमता तथा शक्तिशाली दूर संचार सेवा चालू कर सकेगा जिससे सभी प्रकार दूर संचार सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

[श्री सत्यनारायण सिंह]

मलयेशिया से भारत तक अधिक क्षमतावाली पनडुब्बी को-एक्सियल केबल प्रणाली के विस्तार का भी एक सुझाव है। इससे काफी सुविधा हो जायेगी।

वायरलेस, योजना तथा समन्वय विभाग को आवश्यक सूचना देने के लिए हम देश में काफी संख्या में वायरलेस सूचना केन्द्र खोल रहे हैं। इस समय दिल्ली, नागपुर, बम्बई, कलकत्ता, शिलांग, श्रीनगर तथा गोरखपुर में ऐसे केन्द्र कार्य कर रहे हैं। मद्रास में एक केन्द्र शीघ्र कार्य करने लगेगा। इन केन्द्रों में विशेष उपकरण लगे हैं ताकि ये हर प्रकार के प्रसारण के लिए सभी आवश्यक सूचनाएं दे सकें।

मद्रास में हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर लिमिटेड कारखाने में इमारत न होने के कारण धीमी प्रगति हुई। अब कारखाने की इमारत तैयार हो गई है और कार्य पूरी गति से चल रहा है। आशा है कि हम अपना निर्धारित उत्पादन लक्ष्य पूरा कर लेंगे।

इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कार्य सभी सहकारी उपक्रमों से अच्छा साबित हुआ है। सभा को विदित ही है कि इसे, वर्ष 1962-63 में सब सरकारी उपक्रमों में प्रथम रहने के कारण चांदी की शील्ड के रूप में राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया गया। 1963-64 में कारखाने द्वारा निर्मित 9·30 करोड़ रुपये का सामान बेचा गया जब कि निर्धारित लक्ष्य 9·10 करोड़ रुपये का था। आशा है कि चालू वर्ष में भी हम 10·92 करोड़ रुपये के विक्रय लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे। 1963-64 में सभी प्रत्सोहन दुकानों की कुल कार्यक्षमता 110·40 प्रतिशत थी जबकि यह 1962-63 में 102·94 प्रतिशत थी। इसके परिणाम स्वरूप 1963-64 में प्रत्येक कर्मचारी 178 रुपये का बोनस पाने का हकदार बना।

सदस्यों को याद होगा कि पिछले दिनों कारखाने में कर्मचारियों तथा प्रबन्धकों के बीच चल रहे विवाद में मुझे मध्यस्थ नियुक्त किया था। अब कर्मचारी पूर्णतः संतुष्ट हैं। माननीय सदस्य स्वयं कारखाने में जाकर देख सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने कारखाने में निर्मित टेलीफोन उपकरणों के निर्यात के बारे में प्रश्न उठाये थे। 1948 के समझौते के अनुसार हम केवल बर्मा तथा लंका को ही टेलीफोन उपकरण भेज सकते थे। 1963 में करार की अवधि समाप्त हो चुकी है। अब हम धीरे-धीरे अपना निर्यात बढ़ा रहे हैं।

माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि हम विदेशों से केबल का आयात करते हैं। हम रूपनारायनपुर में बने सामान का उपयोग करते हैं यद्यपि यह कारखाना उद्योग तथा संभरण मंत्रालय के अधीन है।

माननीय सदस्य जानते होंगे कि दिल्ली और कलकत्ता के बीच आसनसोल तक को-एक्सिएल संचार प्रणाली है। इससे कार्यक्षमता काफी बढ़ गई है। हम टेलीफोन तारों में बीच में पैदा हो जाने वाली खराबी को शीघ्र दूर करने के लिए भी उपयुक्त उपाय कर रहे हैं।

डाक और तार विभाग में काम करने वाले सभी क्लर्कों तथा कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता देने के आदेश जारी किये गये हैं जबकि पहले यह कुछ ही कार्यालयों क कर्मचारियों को मिलता था। देश के सभी भागों में काम करने वाले डाक और तार विभाग के कर्मचारियों के लिए समान सेवा नियम बनाये गये हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है कि अतिरिक्त-विभागीय डाकखानों में बहुत कम वेतन दिया जाता है। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि वे लोग इसके अतिरिक्त अन्य कार्य भी करते हैं। फिर भी उनके वेतने बढ़ाने के बारे में भी हम विचार कर रहे हैं।

प्रायः तार के देर से मिलने की शिकायतें आती हैं। अतः तार भेजने में शीघ्रता करने के लिए यह निर्णय किया गया है कि मिले जुले डाक तार घरों के काम के घण्टे बढ़ा दिए जायें तथा भार को देखते हुए लाइन पर कार्यालयों की संख्या कम कर दी जाये।

तारों को जल्दी पहुंचाने के लिये मिले जुले कार्यालयों में जहां प्रति दिन औसतन तीन या इससे अधिक तार भेजे जाने होते हैं एक अतिरिक्त एक्सप्रेस डिलीवरी मैसेंजर की व्यवस्था की जायेगी। इस आदेश की कार्यान्विति से देश के तारघरों में अतिरिक्त 1500 एक्सप्रेस डिलीवरी मैसेंजरों की व्यवस्था हो जायेगी। इसके अतिरिक्त जहां दो स्टेशनों के बीच प्रति दिन 80 या इससे अधिक तार भेजे जाते हैं वहां पर सीधी लाइन की व्यवस्था करने का फैसला किया गया है। मिले जुले कार्यालयों में जहां तारों की संख्या प्रति दिन 125 से अधिक पहुंच जाती है, टेलीप्रिंटर सेवा चालू करने का फैसला किया गया है।

टेलीफोन बिलिंग प्रणाली के पुनर्गठन तथा उसे युक्तियुक्त बनाने के लिये ब्रिटेन से कुछ सलाहकार बुलाये गये हैं। बड़े टेलीफोन जिलों में जहां बहुत बड़ी संख्या में बिल तैयार करने होते हैं मशीनों का प्रयोग करने पर विचार किया जा रहा है और कलकत्ता में इस बारे में पहले से ही परीक्षण हो रहा है। ब्रिटेन में यह पंजीकृत प्रणाली सफल सिद्ध हुई है। सरकार सलाहकारों की सिफारिशों पर विचार कर रही है और उनको कार्यान्वित करने से गलत बिलिंग की समस्या काफी हद तक दूर हो जायेगी।

जहां तक डायरेक्टरी को हिन्दी में निकालने का प्रश्न है, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ प्रतिशत टेलीफोन डायरेक्टरियां हिन्दी में प्रकाशित की जायेंगी। यदि ये लोकप्रिय सिद्ध हुईं तो इन्हें अधिक संख्या में हिन्दी में प्रकाशित किया जाने लगेगा। प्रादेशिक भाषाओं में भी टेलीफोन डायरेक्टरियां निकालने पर विचार किया जा रहा है।

डाक तथा तार और संचार विभागों का विस्तार तथा विकास धन पर निर्भर करता है। धन के अभाव में हम सुविधाओं में इजाफा नहीं कर पा रहे हैं। चौथी योजना में उत्पन्न होने वाली मांगों के बारे में प्राथमिक अनुमान लगाया गया है। योजना आयोग ने हमारी मांगों में बहुत कटौती कर दी है। मैं यह महसूस करता हूं कि डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को मकान की सुविधा दी जानी चाहिये। अन्य मंत्रालयों में 16 प्रतिशत कर्मचारियों को मकान दिये जा चुके हैं जब कि इन विभागों के केवल 4 प्रतिशत कर्मचारियों को यह सुविधा उपलब्ध की गई है। परन्तु धन न मिलने के कारण हम मजबूर हैं। चौथी योजना के अन्त तक 20 लाख टेलीफोनों की आव-

[श्री सत्य नारायण सिंह]

श्यकता होगी और उसके साथ साथ डाक सेवाओं में भी विस्तार की आवश्यकता होगी। टेलीफोन कनेक्शन के लिये लगभग $2\frac{1}{2}$ 2—3 लाख व्यक्तियों के आवेदन पत्र हमारे पास आये हुए हैं और कई तो बहुत वर्षों से पड़े हुए हैं। इसका कारण भी धन का अभाव है। देश के असंख्यक व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मैं पोस्टकार्ड की कीमत घटाने के लिये इच्छुक था परन्तु जांच करने पर मालूम हुआ कि पोस्टकार्ड की वर्तमान कीमत से विभाग को 2,27,82,000 रुपये की हानि हो रही है। एक पोस्टकार्ड पर लगभग 8 पैसे खर्च बैठता है। अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार भी पोस्टकार्ड का शुल्क लिफाफे के शुल्क का 60 प्रतिशत होना चाहिये। उस तरह से पोस्टकार्ड का शुल्क 9 पैसे होना चाहिये। परन्तु हमने वैसा नहीं किया है। ग्रामीण तथा सीमान्त क्षेत्रों में डाकघर खोलने से सरकार को एक करोड़ रुपये के लगभग हानि हो रही है परन्तु हमें सन्तोष है कि वह पैसा ठीक काम पर खर्च किया जा रहा है।

यदि एक्सप्रेस तथा सामान्य तार डाक द्वारा भेजे जाते हैं और उनके भेजे जाने में क्रमशः 24 तथा 48 घंटे या इससे अधिक देर हो जाती है तो 50 पैसे काट कर, जिसमें बुकिंग आदि पर किया गया खर्च शामिल है, शेष राशि स्वयं विभाग द्वारा तार भेजने वाले को वापिस कर दी जायेगी। ऐसी स्थिति में अब तार भेजने वाले को कोई कष्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

डाक जीवन बीमा योजना की प्रगति सराहनीय रही है और 1960-63 के लिये जो बोनस घोषित किया गया है वह सबसे अधिक है। इससे उन कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा जिनके पास ये पालिसियां हैं।

मेरा मंत्रालय ब्राडकास्टिंग रिसीवर के लिये लाइसेंस भी जारी करता है। इस समय यह एक कागज पर लिख कर दिया जाता है और इसके गुम हो जाने का डर रहता है। अब यह फैसला किया गया है कि इस वर्ष के मध्य से यह लाइसेंस एक आकर्षक पुस्तक के रूप में जारी किया जायेगा और इसका शुल्क विशेष स्टाम्प के रूप में वसूल किया जायेगा जिसकी एक आकर्षक सीरीज निकाली जा रही है। लाइसेंस को पांच वर्ष तक नया कराया जा सकेगा। कुछ प्रकार के लाइसेंसों को एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिये जारी अथवा नया कराया जा सकेगा। इन उपायों से सेवा में सुधार होगा और लाइसेंसों को नया करने पर होने वाले व्यय में भी काफी कमी होने की आशा है।

गत चार वर्षों में कोयम्बटूर तथा कानपुर में दो 100 लाइनों वाले स्वयंचालित टेलीप्रिंटर केन्द्र (टेलेक्स) चालू किये गये हैं। एक केन्द्र आज नागपुर में चालू किये जाने की योजना है। एक अन्य दस दिन के भीतर सिकन्दराबाद में चालू हो जायेगा। स्मरण रहे कि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में जून, 1963 से टेलीप्रिंटर केन्द्र चालू है।

एक माननीय सदस्य : क्या भोपाल में भी कोई केन्द्र खोला जायेगा ?

श्री सत्य नारायण सिंह : भोपाल में एक पी० एम० जी० सर्किल खोलने का विचार है।

कर्मचारियों में सहकारिता तथा सामुदायिक विकास की भावना को बढ़ावा देने के लिये बड़े डाक तथा तार सर्किलों में सामुदायिक केन्द्र खोलने का भी विचार है। इस समय 8 डाक तथा तार

डिस्पेंसरियां काम कर रही हैं। प्रत्येक स्टेशन पर जहां एक हजार या इससे अधिक कर्मचारी रहते हैं एक डिस्पेंसरी खोली जायेगी। इस समय डाक तथा तार के क्षय रोग ग्रस्त कर्मचारियों के इलाज के लिये विभिन्न अस्पतालों में 180 बिस्तरों की व्यवस्था है। हम प्रसिद्ध क्षय रोग अस्पतालों में एक विभागीय टी० बी० वार्ड खोलने के बारे में विचार कर रहे हैं। प्रारम्भ में चारों मुख्य खण्डों—पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण —में लगभग 75,000 रुपये की लागत से एक एक वार्ड खोला जायेगा। इस समय पांच अवकाश गृह हैं और पांच और खोलने का विचार है।

डाक तथा तार कर्मचारियों के योग्य बच्चों की तकनीकी तथा गैर-तकनीकी शिक्षा के लिये छात्रवृत्तियां देने की पहले से ही एक योजना है। 1964-65 में इसके लिये 4.25 लाख रुपये रखे जायेंगे। तकनीकी शिक्षा की मांग बढ़ रही है, इसलिये 50 और तकनीकी छात्रवृत्तियां देने का फैसला किया गया है।

कर्मचारियों के आवास तथा कार्यालय भवन की व्यवस्था होने के पश्चात् ही सेंट्रल सर्किल मुख्यालय को नागपुर से भोपाल ले जाया जायेगा। नागपुर में एक डाक तथा तार प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के बारे में विचार किया जा रहा है। इससे खाली किये जाने वाले भवन का भी उपयोग किया जा सकेगा और नागपुर का महत्व भी बना रहेगा। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री इस व्यवस्था से सन्तुष्ट हो गये हैं।

जहां तक सामान्य राजस्व में अंशदान का सम्बन्ध है, इस पर 1935 से अमल किया जाना चाहिये था। अब हमने फैसला कर लिया है और प्रतिशतता निर्धारित कर दी गई है। इस सम्बन्ध में कदम उठाये जा रहे हैं और स्थिति में सुधार होने की आशा है।

सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार किया जायेगा और जो भी संभव हो सकेगा किया जायेगा।

सभी कटौती प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिये गये

ALL THE CUT MOTIONS WERE, BY LEAVE, WITHDRAWN

अध्यक्ष महोदय द्वारा संचार विभाग की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई :

THE FOLLOWING DEMANDS IN RESPECT OF DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS WERE PUT AND ADOPTED

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
101	संचार विभाग . . .	9,88,000
102	समुद्रपारीय संचार सेवा . . .	1,44,46,000
103	डाक तथा तार विभाग (कार्य-चालन व्यय) .	1,16,95,23,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
104	डाक और तार विभाग द्वारा सामान्य राजस्व में दिया जाने वाला लाभांश और राजस्व निधियों में विनियोग	रुपये 8,62,96,000
105	संचार विभाग का अन्य राजस्व व्यय . .	22,65,000
148	डाक और तार पर पूंजी परिव्यय (राजस्व से देय नहीं)	45,09,17,000
149	संचार विभाग का अन्य पूंजी परिव्यय . . .	29,33,000

वैदेशिक कार्य मंत्रालय

वर्ष 1965–66 के लिये वैदेशिक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
22	आदिम जाति क्षेत्र . . .	13,48,07,000
23	वैदेशिक-कार्य . . .	15,69,36,000
24	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	7,21,16,000
119	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . . .	1,25,00,000

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट): मैं अपने कटौती प्रस्ताव संख्या 7 के समर्थन में कुछ कहना चाहता हूं । हमारे पश्चिम में हमारे पड़ोसी पाकिस्तान से हमारे सम्बन्ध और खराब हो गये हैं । उत्तर में, हिमालय पर अभी भी चीनी साम्यवादी हमलावरों का कब्जा है । उत्तर पूर्व में बर्मा हमारे नागरिकों कड़ा बर्ताव कर रहा है । जब हम दक्षिण-पूर्व की ओर ध्यान देते हैं तो देखते हैं कि इंडोनेशिया द्वारा मलयेशिया पर आक्रमण किया जा रहा है । इस सारे क्षेत्र में केवल दो ही देश—अफगानिस्तान और मलयेशिया—वास्तव में हमारे मित्र हैं । लंका से भी हम सच्ची मित्रता की आशा कर सकते हैं । इन सब के बावजूद भी स्थिति संतोषजनक नहीं है । यह सब चीनी साम्यवादी शासन को समझने में हमारे असफल रहने, तिब्बत में धोखा खाने तथा दुर्भाग्य से पंचशील में विश्वास के कारण हुआ है ।

चीनी साम्यवादी लुटेरों का पृथक् पृथक् मोर्चों और पृथक् पृथक् युद्ध में विश्वास नहीं है । उनके लिये सभी क्षेत्र एक ही मोर्चे के विभिन्न भाग हैं । वह मोर्चा है समस्त एशिया का जिस पर वे आगे बढ़ना चाहते हैं ।

उत्तरी विएटनाम में साम्यवादी शासन ने जेनेवा समझौते का उल्लंघन किया है। दक्षिण विएटनाम तथा लाओस में वे एक नये प्रकार का आक्रमण कर रहे हैं। विएटकांग सेनाओं के प्रथम कोटि के सैनिकों को उत्तर विएटनाम में ही प्रशिक्षण दिया गया था और उन्हें दक्षिण विएटनाम में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए आदेश दिया गया था। विएटकांग सेनाओं का मुख्य नेतृत्व उत्तर विएटनाम की सेना के हाथ में है। युद्ध संचालन सम्बन्धी हिदायतें हनोई से आती हैं। विएटकांग सेनाओं को हथियार साम्यवादी देशों द्वारा दिये जा रहे हैं।

उत्तर वियतनाम से दो लाख अधिकारी तथा अन्य सैनिक दक्षिण वियतनाम में घुस आए हैं और उस देश से युद्ध कर रहे हैं। दक्षिण वियतनाम और अमरीका की सरकार ने उस युद्ध को सीमा के एक ओर ही तक सीमित रख कर गलती की थी। परन्तु अब इस नीति को त्याग दिया गया है और अब आयोजित रूप से युद्ध क्षेत्र को बढ़ाने की नीति अपनाई गई है। दक्षिण पूर्वी एशिया में पहली बार नेतृत्व स्वतंत्रता की सुरक्षा करने वालों के हाथ में आया है। अब साम्यवादियों के सामने एक ही रास्ता है—या तो वे 1954 तथा 1960 के जनेवा समझौतों का पालन करें या परिणाम भुगतें। देश से प्रेम करने वाले प्रत्येक भारतीय को न्याय की दृष्टि से नहीं तो अपने राष्ट्रीय हितों के लिए ही अमरीका की नीत में इस परिवर्तन का स्वागत करना चाहिये जिससे दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के भविष्य के लिये आशा बंधी है।

दक्षिण वियतनाम तथा लाओस की पराजय से कराची से लेकर सिंगापुर तक सब स्थानों पर चीनी साम्यवादी तथा उनके अनुयायी होंगे। भारत बीच में फिर जायेगा। एक बात यह भी ध्यान में रखी जानी चाहिये। यदि चीनी साम्यवादी तथा उनके सहयोगी मलयेशिया पर कब्जा कर लेते हैं तो वे मलयेशिया में रहने वाले भारतीय उद्भव के लोगों को जिनकी संख्या 10 प्रतिशत है, उनके विचार बदल कर तथा उन्हें देशद्रोही बनाकर मद्रास के रास्ते भारत में उतार देंगे और इस प्रकार यहां पर भी गुरीला युद्ध शुरू हो जायगा। इसलिये हमें दक्षिण वियतनाम और लाओस की पराजय से होने वाले खतरे को अपनी नजरों से दूर नहीं करना चाहिये।

हमारी सरकार एक और जनेवा सम्मेलन चाहती है और यह भी चाहती है कि इस क्षेत्र से विदेशी सेनाएं हटा ली जायें। जब पहले ही दो करारों का उल्लंघन किया जा चका है तो और सम्मेलन बुलाने का कोई लाभ नहीं है। हम अ रीकियों तथा वियतनाम के नागरिकों से उन लोगों के साथ समझौता करने लिये कह रहे हैं जिन्होंने धोखे से तिब्बत का विनाश किया है और धोखे से हमारे देश पर आक्रमण भी किया है। हम दूसरों को भी उतना ही मूर्ख बनने के लिये कह रहे हैं जितना कि भूतकाल में हम स्वयं बने रहे हैं। राष्ट्रपति जानसन की यह नीति शतप्रतिशत ठीक है कि उन लोगों के साथ कोई बातचीत न की जाये जब तक कि वे 1954 तथा 1960 के सत्यनिष्ठा से किये गये करारों का उल्लंघन करना बन्द न कर दें।

अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग में भी हमारा योगदान सराहनीय नहीं रहा है। हमने वहां पर आक्रमणकारी तथा जिस पर आक्रमण किया गया है उसे बराबर का दर्जा देने

[श्री मी० रु० मसानी]

का प्रयास किया है । हमने कनाडा के प्रतिनिधि की राय की बजाये पौलैण्ड के प्रतिनिधि की राय का समर्थन करके अपने देश के दुश्मनों के हाथ मजबूत किये हैं ।

हमने मलयेशिया के प्रति अपने कर्तव्य को भी नहीं निभाया है । जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था तो मलयेशिया के प्रधान मंत्री ने कहा था "कि चीन भारत पर आक्रमण कर रहा है । मैं भारत के साथ हूं ।" वे उस समय भारत में ही थे और उन्होंने सार्वजनिक सभा में ये शब्द कहे थे । इसके विपरीत, हमने इस प्रकार का कोई संकेत नहीं दिया है कि इंडोनेशिया के विरुद्ध हम मलेशिया के साथ हैं । हमें इस छोटे से मलेशिया देश के साथ अपनी सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिये अपनी सेना की एक-दो टुकड़ियां वहां पर भेजनी चाहिये थीं ।

मेकांग नदी पर अपनी सीमा की रक्षा के लिये कोई समझौता करना हमारी तटस्थता की नीति में बाधक नहीं है । 1962 में श्री नेहरु ने एक सच्चे देश भक्त की भावना व्यक्त की थी जब उन्होंने देश के हितों को प्राथमिकता दी थी और यह अनुभव किया था कि तटस्थता की नीति का उस समय कोई स्थान नहीं है जब देश की सुरक्षा तथा अस्तित्व ही संकट में हो ।

सरकार को उस अपील के स्वरूप के बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिये जो श्री नेहरू ने राष्ट्रपति कैनेडी से की थी और उसके उत्तर के बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिये । यह सुझाव दिया गया है कि यदि श्री नेहरू विमान वाहक जहाज की मांग की थी तो वह बहुत ही शर्मनाक बात है । इस बारे में भारी प्रतिक्रिया हुई है । संकट के समय देश की सुरक्षा के लिये विमान वाहक जहाज मंगाना हमारी तटस्थता की नीति के रास्ते में बाधक नहीं है । यदि श्री नेहरू ने ऐसी अपील की थी तो उन्होंने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया था ।

देश की स्वतंत्रता के समय जो परिस्थिति थी अब हम उससे सर्वथा भिन्न परिस्थितियों में रह रहे हैं। इसलिये हमें अपनी पुरानी नीतियों को छोड़ कर वर्तमान समय के उपयुक्त नीतियां अपनानी चाहियें । दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में हमारी भारी जिम्मेदारी है और हम उनसे बच नहीं सकते हैं ।

संसार के इस भाग में सबसे बड़ा और अग्रणी लोकतंत्र होने के नाते भारत की यह जिम्मेदारी है कि वह पड़ौसी देशों के साथ सामूहिक सुरक्षा संबंधी किसी प्रणाली का विकास करने में मुख्य भाग ले और ऐसी प्रणाली बन जाने पर पश्चिमी लोकतंत्र देशों से इस सुरक्षा को बनाए रखने का आश्वासन देने के लिये कहे । हमारा मुख्य ध्येय यह होना चाहिये कि इस क्षेत्र के देशों को इकट्ठा करें और जापान को उसमें सम्मिलित होने के लिये कहें । इस क्षेत्र के छोटे देश साझे खतरे का सामना करने के योग्य तभी हो सकते हैं जब एक ओर भारत और दूसरी ओर जापान आगे आये ।

Shri U.M. Trivedi (Mandsaur) : We have no friends and have enemies around us. The countries which seek our friendship are not getting enough

response from us . The eyes of the world are fixed at Peking and Delhi and not at Moscow and Washington as was the position when the idea of non-alignment was given to. Therefore non-alignment has no meaning as such in the present situation.

Our attitude towards the trouble in Vietnam has not been in good taste. If China overpowers Vietnam, it will have serious repercussions on us. It would be very difficult to check the Chinese Communists' advance and we will be encircled from all sides. By poking our nose in this affair, we are committing a great blunder. We have not condumced the act of bombing on the American Embassy in South Vietnam. Serious thought should be given to this aspect of our policy which is very damaging.

We are contributing huge sums wrds our share in the expenditure of the U.N.O. But it is very sad that in the selection of Indian representatives at the U.N.O., this aspect is not taken into consideration whether those persons are really competent to represent India at the U.N.O.

It is really very painful that the people of U.K. and U.S.A. are not convinced by the facts furnished by us ; on the other hand, it is found that they are very much influenced by elements contributing to anti-Indian propaganda. Whenever such things appear in the press, we find that our correct and factual statements do not ever bear any substantial weight.

General Ayub Khan has recently made a statement that India had always been aggres ive towards Pakistan, and he further added that India Committed aggression on Pakistan. It is really a matter of great surprise that Government of India are not prepared even to refute the charges levelled against us by Pakistan. So there is a lack of initiati e and a sense of perspective in our foreign policy. We cannot place a vivid picture of the facts berore the world and even before our own people.

Today India is the biggest democracy in the world. Most of the democratic countries of the world have focussed their attention on us. If we donot stick to or follow the principles of democracy, it would certainly bring a slur to the fair name of Democracy.

India did not also raise her voice against those matters contained in the Resolution which came up during the last Commonwealth Conference. It was said that two countries should start negotiations. India should have given a retaliatory reply to that. It is our weakness which is encouraging to Pakistan with the result that we have to suffer the consequences of the wrong pictures painted by Pakistan.

When we look at Ceylon we find that 9 lakhs and 75 thousand people of Indian origin in Ceylon have been declared by the Government of Ceylon as Stateless. No person can be declared as stateless who has been living in

[Shri U. M. Trivedi]

Ceylon for the last 100 years or so. Today they are being kicked out because of the fact that the arguments advanced by us do not really bear any substantial weight. That is why we are forced with this problem today.

It has been mentioned in the annual Report of the Ministry of External Affairs that China has illegally occupied14,500 sqr.miles of our territory which is still in possession of China. We have firmly and solemnly pledged in this House to regain every inch of our lost territory. I think that it is really very disgraceful that we have not so far done anything and we are still sitting idle. It is true that we are spending huge amounts for nothing in return. Mere expenditure does not help maintain one's dignity and prestige.

Today there are 45 thousand Tibetans who have migrated to India. We have been receiving news that Tibetans are today being crushed and killed in Tibet. Human Fundamental Rights recognised by United Nations are being encroached upon there. We are witnessing a scene of brutal and nacked genocide but we are helpless. Similar is the case with minorities in Pakistan despite the fact that both India and Pakistan had entered into an agreement for protection of minorities. I shall request the hon. Minister of External Affairs, Shri SwaranSingh, to pursue a firm and stringent foreign policy so that we may not be the victim of our own. politeness and submissiveness. China is openly supporting Pakistan and it charges India of committing aggression. Pakistan has made attacks 347 times during the last three years. They are intruding into Indian territory. They have illegally occupied 48 thousand sqr. miles of our territory.

Now I come to Sheikh Abdullah. He has been making confusing and subversive statements. He is an Indian citizen, and he is committing offence of treason and hence he is liable to be punished. I fail to understand why he is not being arrested and brought to book.

I would like to add one thing more that Mekong is, as Shri Masani has already stated, on our border.

Our Government is not paying attention towards Israel. Today Bonn is developing and strengthening its good relations with Israel. They are once bitter enemies. Today a dam is being constructed in Israel on the Jordan River and its water would go to Jordan. All this may result in a conflagration tomorrow. We are of the view that Arab countries are not in a position to maintain good relations with one another, and we keep mum. We are not prepared to raise our voice against the developments there, in spite of the fact that we do not recognise the strange ideology of democracy propounded or the democracy established by the Communist world.

In the end, I would like to suggest that we should not include female dancers in our cultural delegations to foreign countries. Only those who are symbols of our high culture and traditions need be senta broad. I would further add that we should be very cautious in making selection of our Ambassadors. Only those persons who have a sense of perspective, who are proud of our culture and traditions and who can improve external publicity should be appointed as Ambassadors.

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :--

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
23	7	श्री मी० रू० मसानी	भारत की सुरक्षा और राष्ट्रीय महत्व-पूर्ण हितों की, जो चीनी साम्य-वादियों द्वारा समर्थित आक्रमण से मलयेशिया, दक्षिण वियतनाम और लाओस की सुरक्षा में निहित है, रक्षा के लिए पर्याप्त कदम न उठाना ।	100 रुपये
23	8	डा० मा० श्री० अणे	श्रीलंका में भारतीय मूल के लोगों के सम्बन्ध में हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच किये गये करार की प्रतिक्रिया ।	100 रुपये
23	13	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	अफ्रीका-एशियाई राष्ट्रों में हमारे सम्बन्ध और प्रभाव को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
23	14	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	नाभकीय हथियारों से अपने को लैस न करने की भारत की नीति का एशियाई पड़ौसी देशों में प्रचार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
23	15	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	अन्य नाभकीय राष्ट्रों के साथ सम्पर्क स्थापित न करना और एकसी नीति या एक सी कार्यवाही न करना ।	100 रुपये
23	16	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	मैजाम्बिक से लौटाये गये भारतीयों के लिये उनकी खोई हुई सम्पत्ति के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति प्राप्त न करना ।	100 रुपये
23	17	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	वैदेशिक प्रचार में सुधार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
23	18	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	भारत की स्थल सीमा अंकित करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
23	23	श्री ही० ना० मुकर्जी .	विदेशों में हमारे दूतावासों की कार्य-प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
23	24	श्री ही० ना० मुकर्जी .	शेख अब्दुल्ला को पासपोर्ट देने के सम्बन्ध में कर्तव्य का पालन न किया जाना ।	100 रुपये
23	25	श्री ही० ना० मुकर्जी .	वियतनाम में अमरीका की लगातार गलत कार्यवाही के मामले म उचित रूप से प्रतिकार न करना ।	100 रुपये
23	26	श्री ही० ना० मुकर्जी .	तटस्थ राष्ट्रों तथा अफ्रीकी-एशिया देशों के साथ भारत की मैत्री को दृढ़ न करना ।	100 रुपये
23	27	श्री ही० ना० मुकर्जी .	हमारी परराष्ट्र नीति में अगवापन और सापेक्ष चित्रण की भावना का अभाव ।	100 रुपये
23	28	श्री ही० ना० मुकर्जी .	जर्मन लोकतंत्रात्मक गणतंत्र को पूर्ण राजनयिक मान्यता न देना अथवा उसके प्रति न्यूनतम राजनयिक शिष्टाचार भी न बरतना ।	100 रुपये
23	29	श्री ही० ना० मुकर्जी .	श्रीलंका में भारतीयों की समस्या को हल करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
23	30	श्री ही० ना० मुकर्जी .	श्रीलंका, बर्मा, मलया तथा अन्य राष्ट्र-मण्डल देशों से विस्थापित अथवा जबर्दस्ती प्रत्यावर्तित लोगों को पुनर्वास की सुविधायें देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
23	31	श्री ही० ना० मुकर्जी .	आणविक हथियारों के सब प्रकार के परीक्षण पर रोक लगाने की सम्भावनाओं का पता लगाने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
23	32	श्री ही० ना० मुकर्जी .	हाल ही में स्वतंत्र हुए अफ्रीकी देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाने और सुदृढ़ करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
23	33	श्री ही० ना० मुकर्जी .	हाल ही मैं स्वतंत्र हुए प्रत्येक अफ्रीकी देश से अलग-अलग राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
23	34	श्री ही० ना० मुकर्जी .	जिन देशों में हमारी अधिक मैत्री नहीं है, उनके द्वारा किये जा रहे प्रचार का मुकाबला करने के लिए हमारे विदेशी प्रचार को सुदृढ़ करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

अध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*

श्री हरिचन्द्र माथुर (जालोर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी वैदेशिक नीति का मूलभूत सिद्धान्त इस सदन के बहुमत द्वारा स्वीकृत नीति पर आधारित है । इसके बावजूद इस बात पर विचार करना आवश्यक एवं उचित है कि वे सिद्धान्त राष्ट्रीय हित की दृष्टि से कहां तक सफल हैं और उन्हें किस प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है ।

हमारे देश के वर्तमान प्रधान मंत्री ने दक्षिण वियतनाम के सम्बन्ध में हमारी नीति कुछ समय पूर्व बिलकुल स्पष्ट कर दी है । हम ने अमरीका की कभी निन्दा नहीं की है और न ही दक्षिण वियतनाम खाली करने को कहा है । हम चीन की विस्तारवादी नीति तथा उसके बढ़ते हुए प्रभाव को जानते हैं । वास्तव में सच यह है कि हम यह नहीं चाहते कि वहां युद्ध भड़क उठे और देश विनाश की ओर बढ़े । अतः हमारी धारणा है कि इस मामले का कोई राजनैतिक हल निकल आये । वियतनाम में मूल प्रश्न दक्षिण वियतनाम के स्थिरता का है और हम भी उसे स्थिर देखना चाहते हैं । हम किसी भी एसी कार्यवाही का समर्थन नहीं करेंगे जो अतिक्रमण, तोड़-फोड़ की कार्यवाही और चीन की विस्तारवादी चाल अथवा उसके बढ़ते हुए प्रभाव से सम्बन्धित

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

या ओतप्रोत हो। हमारे राष्ट्रीय हित अथवा अन्य किसी हित को दृष्टि में न रख कर भी, यह स्पष्ट तथा न्यायोचित है कि जिनेवा में हुए समझौते पर कटिबद्ध रहा जाये जब हम परस्पर वार्ता का सुझाव उसी प्रसंग में देते हैं। जहां तक मलेशिया का सम्बन्ध है, हम ने पहले से ही उसका समर्थन किया है। इस सदन में भी इस बारे में स्पष्ट कर दिया गया है। मलेशिया को सैनिक टुकड़ी न भेजने पर सरकार को दोषी ठहराना उचित नहीं है क्योंकि हम अपनी सेना हर किसी देश को नहीं भेजते हैं, हम ने अपनी सेना मित्र अथवा कांगो के लिए नहीं भेजी बल्कि हम ने अपनी सेना संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए अथवा उसके संरक्षण में भेजी है। प्रायः विरोधी सदस्यों द्वारा और कुछ कांग्रेसी सदस्यों द्वारा भी सरकार पर निर्णय-शक्ति-अभाव (इनडिशीजन) को आरोप लगाया जाता है। मैंने सभी सदस्यों के भाषणों का अच्छी प्रकार अध्ययन किया है, किन्तु किसी भी सदस्य ने रचनात्मक सुझाव नहीं दिये हैं। सरकार महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने में कभी भी नहीं हिचकेगी। किन्तु इसमें कोई संशय नहीं है कि हम शान्ति स्थापना पर अधिक बल देते हैं।

यह विचारणीय बात हे कि गत वर्षों में विश्व-मंच पर तीन महारथियों का प्रभत्व था—व राष्ट्रपति कैनेडी, प्रधान मंत्री ख्रुश्चेव तथा प्रधान मंत्री नेहरू थे। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर उनके व्यक्तित्व की प्रतिभा तथा आवाज का चमत्कारी असर होता था। उन में से प्रत्येक ने अपने-अपने तरीके से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये तीनों महापुरुष इस संसार से उठ गये हैं अतः आज अन्तर्राष्ट्रीय क्षत्र में सर्वत्र उदासी छाई हुई मालूम होती है।

हम अपने राष्ट्रीय हितों की देख-भाल तथा उनकी रक्षा करने में कहां तक सफल हुए हैं, यह एक पेचीदा प्रश्न है जिस पर हमें विचार करना है। पाकिस्तान के साथ हमारा विवाद मुख्यतः काश्मीर के बारे में है सरकार ने गत छः महीनों में काश्मीर के एकीकरण तथा उससे सम्बन्धित मामले पर व्यापक प्रकाश डाल कर सराहनीय कदम उठाये हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 356 तथा 357 भी वहां लागू कर दिये गये हैं। हम ने वहां कांग्रेस दल की स्थापना कर दी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन कार्यवाहियों के बावजूद भी पाकिस्तान को, जो कि छोटी-छोटी बातों को लेकर भी संयक्त राष्ट्र में चला जाया करता था, उसे अब वहां ऐसा कोई भी मित्र नहीं मिल सका जिसकी सहायता से वह वहां काश्मीर पर पुनः वाद-विवाद उठा सके।

शख अब्दुल्ला की गतिविधियां हमारी एक चिन्ता का कारण बनी हुई हैं। मेरे विचार में हम शेख अब्दुल्ला को अधिक महत्व दे रहे हैं। शेख अब्दुल्ला की रिहाई पर मैंने स्वर्गीय प्रधान मंत्री को एक पत्र इस आशय का लिखा था कि उन्हें (शेख को) विभिन्न देशों में जाने के लिए पासपोर्ट देना उचित है किन्तु उन्हें जो सामाजिक प्रतिष्ठा एवं मान दिया जा रहा है वह अनुचित है उसके लिए वह उपयुक्त पात्र नहीं हैं और स्वर्गीय प्रधान मंत्री के घर में अतिथि के रूप में रहना भी उचित नहीं है।

यह देश इतना दुर्बल नहीं कि अब्दुल्ला जैसे व्यक्ति से डर जाए। अब्दुल्ला की शक्ति प्रायः समाप्त हो चुकी है

कुछ दिन हुए, ब्रिटेन के राष्ट्रमंडल सचिव ने हाउस आफ कामन्स में एक वक्तव्य में कहा कि अब्दुल्ला एक ऐसा व्यक्ति है जिसको भारत सरकार का विश्वास प्राप्त है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस स्थिति को स्पष्ट करें। क्या हमारे उच्च आयोग ने ब्रिटेन की सरकार को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि भारत सरकार का अब्दुल्ला से कोई सम्बन्ध नहीं है। भारत सरकार को ब्रिटेन की सरकार से विरोध प्रकट करना चाहिये कि वह अपने वक्तव्य को शुद्ध करे। हमें अब्दुल्ला की बकझक को कोई महत्व नहीं देना चाहिये। अब्दुल्ला जब कारावास में था तो अधिक शक्तिशाली था। परन्तु कारावास से बाहर आने पर, जम्मू तथा काश्मीर के लोगों को उनसे बहुत आशाएं थीं। लेकिन अपने भाषणों से उन्होंने वह विश्वास खो दिया। अब्दुल्ला ने विदेश यात्रा पर जाने से पहले कहा था कि वह फरुख को समाप्त कर देगा। परन्तु विदेश यात्रा जाने से पहले उसे अपने शत्रु, फरुख से भी हाथ मिलाना पड़ा। और इसी फरुख ने काश्मीर में एक भाषण में कहा कि अब्दुल्ला देशद्रोही और पाकिस्तानी है। अब्दुल्ला का प्रभाव दिन प्रति दिन कम होता जा रहा है और यदि उस ने चीन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया तो उसका प्रभाव बिल्कुल समाप्त हो जायेगा।

जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, अंग्रेजों ने अपने प्रभाव को बनाये रखने के लिये उसको बनाया था। पाकिस्तान ने पहले अमरीका के साथ सैनिक समझौते किये और अब चीन के साथ कर रहा है। परन्तु हैरानी इस बात की है कि अमरीका पाकिस्तान के इस रवैये के विरुद्ध आपत्ति क्यों नहीं करता। जबकि अमरीका ने कुछ अन्य देशों को आर्थिक सहायता भी देनी बन्द कर दी है, फिर भी पाकिस्तान को सैनिक तथा आर्थिक सहायता मिल रही है। परन्तु मैं सरकार को सावधान करना चाहता हूं कि वे पाकिस्तान को छोटा शत्रु न समझे।

जहां तक चीन का सम्बन्ध है, कोलम्बो प्रस्तावों को समाप्त ही समझना चाहिये। जबकि चीन सीमा पर सेना का जमाव कर रहा है और युद्ध की तैयारियां कर रहा है, सरकार को कोलम्बो प्रस्तावों को रद्द कर देना चाहिये। चीन का पीछे हटना, चीन के आक्रमण से हमारे लिये कहीं अधिक हानिकारक है।

चीन, वियतनाम में अमरीका का सामना खुलेआम नहीं करना चाहता। यद्यपि चीन ने अमरीका को मिट्टी का शेर कहा, फिर भी वह दूसरों को उससे भिड़ाना चाहता है।

यह बिलकुल गलत है कि यह सरकार सतर्क नहीं है अथवा निर्णय नहीं करती। यद्यपि कांग्रेस को केरल में चुनाव हारने पड़े, फिर भी उसने देश के हित में वामपंथी साम्यवादियों को नज़रबन्द कर दिया। यदि कांग्रस केरल में अपना शासन स्थापित करना चाहती है, तो वह केरल कांग्रेस से मिलकर वहां सरकार बना सकती थी, परन्तु देश के हित में इसने ऐसा नहीं किया।

यह प्रसन्नता का विषय है कि हमारे प्रधान मंत्री रूस यात्रा के लिये जा रहे हैं। हमें चीन और रूस को बराबर नहीं समझना चाहिये। रूस हमें बराबर सहायता देता रहा है और उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी बहुत अच्छा रहा है।

[श्री हरिश्चन्द्र शर्मा]

विदेश मंत्री को विदेश मंत्रालय का भी पुनर्गठन करना चाहिये । स्वर्गीय प्रधान मंत्री नेहरू के काल में हर बात की शुरूआत उनसे होती थी और फिर नीचे जाती थी । परन्तु अब कार्य निचले स्तर से आरम्भ होता है और फिर ऊपर जाता है । इससे किसी विषय के सम्बन्ध में जो तुरन्त प्रतिक्रिया होनी चाहिये वह नहीं होती । आप ने जो दूतावासों का क, ख, ग, घ वर्गीकरण किया है वह भी उचित नहीं

विदेश-सेवा में राजनैतिक क्षेत्र में से व्यक्ति लेने के बारे में इस देश में कुछ गलत भावना है । हमारे देश में 30 प्रतिशत से कम ऐसे राजदूत हैं जिनको राजनैतिक क्षेत्र से लिया गया है, जबकि अमरीका में संख्या 40 प्रतिशत से अधिक हैं । हमारे लिये यह आवश्यक है कि इन पदों पर एसे व्यक्ति रखे जाएं जो हमारे देश की विचारधारा को समझते हों और इसका उचित ढंग से प्रचार भी कर सकें ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : It does not behove our Government to condemn America for using gas in Vietnam, when it does not hesitate to use teargas on its own people. They are citing world opinion in favour of their contention. But China has not occupied the land of any other country. In the past the world wanted to appease Hitler by surrendering Czechoslovakia to him, and now the world wants to appease China by abandoning India. Therefore you should adopt a clear policy of not taking any such measures in South Asia as would weaken America vis-a-vis China.

In the present situation, I would advise you to maintain silence because such times are always there in history when in the interest of the world and the country a particular nation has to maintain silence. In South Asia, if you must speak, speak against China.

There has been a lot of criticism in Lok Sabha in regard to America. But I want to point out that America has launched the biggest *Jehad* against racial and colour discrimination. I salute that white woman Ziala Louido who sacrificed her life to end racial discrimination. There are extremists in America but I do sincerely hope that America would be successful. While Russia is only sermonising, America is actually implementing it. We should also end caste discrimination in our country.

You must make some radical changes in your policy. We must adopt an Indian policy. Today in the world there are two types of ideologies—American and Russian. Internally we have adopted the American ideology that is leading a life of luxury and high spending. But externally we have adopted the Russian ideology. If you want to make progress you must base your internal policies on Russian ideology i.e. socialism and for external policies you can adopt the American way.

I want to draw your attention to the statement made by Dudley Senanayke after election in Ceylon. He has associated Ceylon with India and against China. This world is very complicated and we should not adopt this criterion for our polices. We have been hit by China, and we must expose it to the world. We should not say or do any such thing in South Asia which would go against America.

श्री दशरथ देव की गिरफ्तारी :

Arrest of Shri Dasaratha Deb

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करता हूं कि अध्यक्ष महोदय को त्रिपुरा के प्रशासक से दिनांक 31 मार्च, 1965 का निम्नलिखित तार मिला है :

> "मैं आप को सूचित करना चाहता हूं कि श्री दशरथ देब को भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत निरुद्ध कर दिया गया है जिससे वह भारत के सुरक्षा तथा लोक सुरक्षा के विरुद्ध कोई कार्यवाही न कर सके। तदनसार उनको 30 मार्च, '65 को सेन्ट्रल जेल, अगरताला में रखा गया था।"

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, 1 अप्रैल, 1965 / चैत्र 11, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, April 1, 1965/Chaitra 11, 1887 (Saka).

GMGIPND—LS—658LS—17-7-65—600